(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

खंड 11] पंचम् विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का दूसरा दिवस [संख्या 2

मंगलवार,

9 मार्च, 1976

विधान सभा की बैठक म.पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सिंचाई, चिकित्सा, शिक्षा, अकाल सहायता, गृह; समाज कल्याण एवं विद्युत् विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री रामानन्द अग्रवाल

सरपंच एवं हैड कान्स्टेबल तारानगर] (चूरू) के विरुद्ध शिकायतें

1. **श्री रतीराम यादव** (तिजारा) [श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) की अनुपस्थिति में] : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले के तारानगर थाने के ग्राम भलऊ टीबा निवासी श्री नन्दराम नाम के एक व्यक्ति ने रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 15-9-75 को गृह मंत्री को शिकायत भेजी थी कि उसे एक हैड कान्सटेबल व एक सरपंच ने तारानगर थाने के अंदर लाकर बुरी तरह बिना किसी कारण पीटा और आपातस्थिति का डर दिखाकर 700) रु. जबरदस्ती रिश्वत के रूप में ऐंठ लिए ?

(2) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई ? यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त हैड कान्स्टेबल के विरुद्ध पहले भी कई शिकायतें हुई हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त सरपंच को रिश्वत के आरोप में सेशन्स कोर्ट, चूरू से 15 माह कैद की सजा हो चुकी है ?

(5) उक्त दोनों व्यक्तियों के खिलाफ सरकार ने अभी तक उक्त शिकायत संबंधी मामले में क्या कार्यवाही की है ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : (1) जी हां।

(2) जी हां, जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

(3) जी नहीं। केवल नन्दराम की ही शिकायत इसी घटना से संबंधित विभिन्न अधिकारियों को प्राप्त हुई थी।

(4) जी हां। सेशन्स से एक वर्ष की सजा हुई थी परन्तु उच्च न्यायालय से बरी हो गया था।

(5) चूंकि जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए इसलिए कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहर सिंह (सादुलपुर) : आपने जांच के लिए डी वाई.एस.पी. को एस.पी. के अ॒ कागज भेजे और डी.वाई.एस. पी. राजगढ़ ने वहां जाकर जांच की। 6 आदमियों ने गवाहियां दीं। यह सही साबित हुआ है कि रिश्वत ली। उसके बाद एस.पी. के पास कागजात आते हैं। तोड़ मरोड़कर आपके पास रिपोर्ट भेजी जिसकी बिना पर आप समझते हैं कि रिश्वत नहीं ली गई है। क्या सही है कि एस. पी. ने जांच सही करके भेजी ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : जांच अधिकारी कौन नियुक्त हुआ ? क्या सी.आई.डी. के द्वारा जांच कराई गई ? क्या विभागीय जांच कराई गई ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : डी.वाई.एस. पी. से जांच कराई गई।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : मोहर सिंह जी पूछ रहे हैं कि क्या यह सही है कि डी.एस.पी. ने जो जांच की थी उसमें 6 बयानात हुए, उसको दोषी पाया जाकर जब कागजात एस.पी. के पास भेजे तब बदल गए। आप कहते हैं कि डीवाई.एस.पी. के मार्फत जांच करवाई गई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप सही मानते हैं कि क्या डीवाई.एस.पी. ने रिपोर्ट को बाद में तोड़ मरोड़कर नए बयानात इनकार्पोरेट किए उनको बचाने के लिए ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जिसके आधार पर कहा जा सके कि डीवाई. एस. पी. के द्वारा बयानात को तोड़ मरोड़कर रिपोर्ट को बदला गया।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपके पास जो सूचना है उसके आधार पर बता सकते हैं कि कितने बयानात कलमबंद हुए और किस किस के ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : शिकायतकर्त्ता थे और उनके गवाह·······

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : कौन कौनसे गवाह थे ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मेरे पास नाम नहीं हैं, लेकिन रिपोर्ट के आधार पर··

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : रिपोर्ट एस.पी. ने या डी.वाई.एस.पी. ने की ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : एस.पी.।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न यह है कि क्या डीवाई.एस.पी. ने जांच में बयानात लेकर प्राइमाफेसी उसमें उसे अपराध का दोषी पाया ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : जहां तक अभी मेरे पास जानकारी है उससे ऐसा नहीं लगता, लेकिन आप जो सूचना दे रहे हैं बयानों के बारे में तो फिर से रिपोर्ट को देख लेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर वे बयानात सही हुए हैं तो आप उसको मुअत्तिल करेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : सारी बात को देखना होगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : लेकिन आप सारे मैटर को रिओपन करने के लिये तैयार हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : आपका एजीटेशन यह है कि डीवाई. एस. पी. ने रिपोर्ट भेजी थी वह प्राइमाफेसी सही नहीं है, अगर सही ही है तब तो इट इज ए डिस्टार्शन आफ रिपोर्ट। इसको देखना होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 6 गवाहों की गवाहियां हो गईं, न रिपोर्ट मोहर्रसिंह जी ने देखी है . . .

श्री हरिदेव जोशी : मोहर्रसिंहजी एम्फेटिकली कह रहे हैं।

श्री मोहर्रसिंह : 6 बयानात जो डीवाई. एस. पी. ने लिए हैं उनसे ऐसा प्रकट होता है कि वास्तव में रिश्वत ली गई है, उसके बाद एस. पी. ने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें तोड़ मरोड़ हुई है।

श्री हरिदेव जोशी : आपने फरमाया है कि डी. वाई. एस. पी. ने उनको दोषी पाया है जब कि एस. पी. ने रिपोर्ट बदल दी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा प्रश्न यह है कि अगर प्राइमाफेसी स्टेटमेन्ट्स हो गये हैं और वह प्राइमाफेसी गिल्टी है तो उनको वहां से रिमूव किया जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस के मामले में अनुभव है कि अगर पुलिस अधिकारी वहां हाजिर होता है, फिर गवाहों की हिम्मत नहीं होती कि कोई स्टेटमेंट दे सके। तो उनको लाइन हाजिर किया जाय, पद से रिमूव किया जाए, फिर उनके खिलाफ एन्क्वायरी करें।

श्री हरिदेव जोशी : अगर डी. वाई. एस. पी. जरा भी इम्प्लीकेट होता है और यदि लगता है कि केस डाउटफुल है, रिश्वत ली गई है तो सीरियस मामला है और उसे देखा जाना चाहिए। जब डी. वाई. एस. पी. इस नतीजे पर पहुंच जाए कि प्राइमाफेसी ऐसा है तो हमारे पास रिपोर्ट उसकी आनी चाहिए कि केस साबित नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उषा प्रकाश।

भरतपुर जिले में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र

2. **श्रीमती उषा प्रकाश (वैर)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भरतपुर जिले में 1975 में बाढ़ से कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ था ?

(2) बाढ़ और वर्षा की वजह से किन-किन तहसीलों में कितने कितने क्षेत्र जलमग्न हो गए ? जलमग्न क्षेत्रों से पानी के निकास के लिए क्या कदम उठाए और कब यह जलमग्न क्षेत्र खाली हुए ?

(3) अभी उपरोक्त प्रकार से जलमग्न हुए क्षेत्र में से कितना क्षेत्र खाली होना शेष है ?

Page No 4

(५)

सिंचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) भरतपुर जिले में सन् 1975 की बाढ़ से 52031 हैक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ था।

(2) बाढ़ व वर्षा के कारण निम्न प्रकार विभिन्न तहसीलों के क्षेत्र जलमग्न हुए:—

तहसील	क्षेत्रफल (हैक्टेयरों में)
भरतपुर	10731
नदबई	5239
बयाना	14379
रूपवास	9623
वैर	1895
डीग	3562
कामां	2630
नगर	3834
धौलपुर	138
योग	52031

सिंचाई विभाग द्वारा बाणगंगा नदी के प्रवाह को पुनः नियंत्रित करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया। बाढ़ के पानी को सर्वथा अपूर्ण एस्केप नाली द्वारा निकाला गया जिसमें भरतपुर-मथुरा सड़क को काट कर, मदरपुर के पुल को ध्वंस कर व अन्य कई रुकावटों को पार कर पानी का निकास किया गया। बाढ़ के पानी के निकास के लिए विभाग के तीन बांधों को भी काटा गया। इस प्रकार जलमग्न क्षेत्रों का पानी अन्ततः मोतीझील, एस्केप नाली व गिरिराज नहर द्वारा निकाला गया। माह नवम्बर, 1975 के अन्त तक कामां तहसील के कुछ क्षेत्र को छोड़कर प्रायः सभी जलमग्न क्षेत्र खाली कर दिए गए थे।

(3) कामां तहसील में लगभग 900 हैक्टेयर क्षेत्र अब भी जलमग्न है।

श्रीमती उषाप्रकाश : मंत्रीजी कहते हैं कि नवम्बर, 1975 तक प्रायः सारा क्षेत्र खाली हो गया था, क्या बयाना तहसील में भी खाली हो गया था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : बयाना तहसील की करीब सारी जमीन निकल गई थी केवल 100 एकड़ जमीन, जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग डिप्रेशन बना हुआ है जिसके पानी को निकाला नहीं जा सकता, वहां थोड़ा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : 1967 से लेकर 1975 तक भरतपुर जिले में तीन बार बाढ़ आई और करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ, लोगों का भी नुकसान हुआ, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि बार बार थोड़ी सी अधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ आ जाती है, इसको रोकने के लिए भरतपुर के लिए मास्टर प्लान बनाने का विचार है जिससे वह हालत फिर न हो ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह सही है कि भरतपुर जिले में अब तक तीन बार बाढ़ आई–1967, 1971 व 1975 में लेकिन 1967 की बाढ़ में जो मेक्सीमम पानी आया था वह लगभग 3500 मिलियन क्यूबिक फीट 1971 में 54 हजार मिलियन क्यूबिक फीट था। इस बार जो पानी आया वह बहुत ज्यादा आ गया वह है लगभग...

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह तो आता ही है..

(शोरगुल)

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : मैं मंत्रीजी से पूछूंगा कि 1972 में और 1975 में भरतपुर में भयंकर बाढ़ से जो पानी की राशि थी उसने सब जमीन सिल्ट कर दी है और हजारों बीघा जमीन में आज भी भरतपुर जिले में रूपबास व बयाना तहसीलों में वह भरा हुआ है नहीं तो लाखों मन अनाज पैदा होता, उत्पादन बढ़ता, सिंचाई विभाग ने अभी तक पानी निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है।

श्री नत्थीसिंह यादव (नदबई) : दूसरी बात जो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि बयाना तहसील के एरिया में बुरी तरह से आज तक भी पानी भरा हुआ है। मैं खुद वहां पर जब बाढ़ आयी तब मौके पर गया था। और बाद में शिवचरण जी माथुर साहब, जो कि कृषि मन्त्री हैं, को लेगया। फ्लड मन्त्री जी को लेगया लेकिन इतनी ज्यादा बाढ़ आने के बाद भी सिंचाई विभाग के मन्त्री जी वहां पर मौके पर नहीं गये। इसका क्या कारण है कि आज तक वहां पर सिंचाई विभाग के मन्त्री जी मौके पर नहीं गये ? मैं कृषि मन्त्री जी श्री शिवचरण जी माथुर साहब को जोगिया-नाला के मौके पर ले गया वहां पर कृषि विभाग की मदद से 8–9 हजार फीट पानी निकाला गया। लेकिन बयाना तहसील के एरिया में आज भी पानी भरा हुआ है और वहां पर सारी जमीन बन्जर पड़ी हुई है। और वहां पर पानी बिल्कुल नहीं निकाला गया है।

श्रीमती उषा प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न तो दूसरा ही था। मास्टर प्लान की बात जो मन्त्री महोदय ने बतायी वह तो ठीक है, लेकिन साथ में मंत्री महोदय को यह पूछना चाहती हूं कि जैसा कि मंत्री महोदय ने फरमाया कि राज्य सरकार के सिंचाई विभाग ने नवम्बर माह तक उस एरिया से पानी निकाला है लेकिन मेरा प्रश्न तो यह है कि नवम्बर माह के बाद क्या आपका सिंचाई विभाग सो गया था ? आपने नवम्बर के पहले तो पानी निकाला लेकिन उसके बाद भी काफी जगह पर नालियों में पानी भरा हुआ है उन नालियों में से पानी क्यों नहीं खाली करवाया गया है ? इसका जवाब दें।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से एक बुनियादी प्रश्न है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, जब मैं इस प्रश्न का जवाब दे रहा था तब राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था कि भरतपुर में जो आये दिन बाढ़ आती है और उसकी वजह से काफी नुकसान होता है तो इसके लिए मास्टर प्लान क्यों नहीं बनाया जाय जिससे कि यह नुकसान होना बन्द हो जाय। अध्यक्ष महोदय, भरतपुर की बाढ़ के बारे में मास्टर प्लान की बात तो राज्य सरकार कर ही रही है, लेकिन राज्य सरकार ने जब बाढ़ आयी तब काफी काम किया था। चूंकि इस साल जो बाढ़ आयी थी वह काफी जोरों से आयी थी। पानी काफी मात्रा में आ गया था और जो नार्मल केपेसिटी पानी बाढ़ के आने की है उससे बढ़ कर इस बार जो पानी आया था वह एक लाख 75 हजार मिलियन क्यूबिक फीट था। और जो वहां की नॉर्मल रेनफाल

(श्री हीरालाल देवपुरा)

है। वह 672 मिलीमीटर है जब कि इस बार जो रेनफाल हुई वह 1900 मिलीमीटर हुई थी। जो प्लान हमने फ्लड के किये थे उससे भी काफी अधिक मात्रा में फ्लड आया। तो मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इतने ज्यादा फ्लड आने के बावजूद राज्य सरकार ने उस एरिया से पानी निकालने का काफी अधिक मात्रा में काम किया। अगर राज्य सरकार वहां से पानी नहीं निकालती तो आज जो वहां पर स्थिति है वह वहां पर नहीं होती। और इसके अलावा एक बात यह और हो गयी कि वहां की जो बाणगंगा नदी है उसने अपना रास्ता ही बदल दिया। जिसका नतीजा यह हुआ कि काफी चेक दूसरी जगह लगाने पड़े। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने उस नदी के बदले हुए रास्ते के पानी को चेक किया और जितना पानी निकाल सकते थे उतना हमने निकाला। जो पानी भर गया था उसको अक्टूबर तक निकाला और उसके बाद नवम्बर तक हमने वहां पानी था और जो निकाला जा सकता था उसको पम्पों से निकालने की कोशिश की और निकाला भी। लेकिन कामां क्षेत्र के आसपास और उसके आगे हरियाणा के क्षेत्र में पानी को रोक दिया गया जिससे पानी इकट्ठा हो गया तो हमने बाद में उसके लिये हरियाणा की गवर्नमेन्ट को प्रोटेस्ट किया और पानी को तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद में पानी निकाला गया तथा कई जगहों पर पम्पों से पानी निकाला। जैसा कि माननीय सदस्या श्रीमती उषा प्रकाश ने कहा कि वहां पर सिंचाई विभाग ने कोई काम नहीं किया और अभी भी पानी भरा हुआ है यह बयाना और कामां के एरिया में सारी तहसील के एरिया में पानी भरा हुआ है और इससे रबी की फसल नहीं हो सकी है यह बात सही नहीं है। राज्य सरकार ने जहां जहां पानी था चाहे किसी प्रकार से हो वहां से पानी निकाला गया है और उससे वहां पर रबी की क्रॉप हुई है। न केवल बयाना और दूसरी जगह पर सारे भरतपुर जिले में रबी क्रॉप अच्छी मात्रा में हुई है। सिर्फ कामां तहसील में दो हजार हेक्टेयर जमीन और बयाना तहसील में 100 हेक्टेयर जमीन ऐसी है जहां पर खेती नहीं हो सकी है। बाकी सभी जगह पर रबी की फसल पिछले साल से बहुत अच्छी है। तो यह कहना कि फसल रबी की नहीं हो सकी है और उससे नुकसान हुआ है यह सही नहीं है। राज्य सरकार ने पूरी तरह से कोशिश की है नुकसान कम से कम हो।

श्री विजयसिंह (मांडल): इन्होंने तो यह प्रश्न पूछा ही नहीं है कि फसल का कितना नुकसान हुआ।

श्री हीरालाल देवपुरा: अध्यक्ष महोदय, हमने एक लाख एम. सी. फीट अधिक पानी निकालने की कोशिश की है। करीब सात आठ लाख रुपये खर्च किये।

एक माननीय सदस्य: काफी लम्बा जवाब दे रहे हैं...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: आज परसराम जी से गुरुमन्त्र ले लिया है क्या ?

श्री हीरालाल देवपुरा: अध्यक्ष महोदय, अभी एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि सिंचाई विभाग ने कुछ नहीं किया और कृषि

(श्री हीरालाल देवपुरा)
विभाग ने काम किया। तो चाहे सिंचाई विभाग ने काम किया, चाहे कृषि विभाग ने काम किया, फ्लड रिलीफ डिपार्टमेन्ट ने काम किया, एक ही बात है, यह तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है जो चाहे किसी विभाग ने निभायी। लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई विभाग ने पानी निकाला है। फ्लड रिलीफ विभाग में पैसा नहीं होने से हमने सॉइल कन्जर्वेशन मेजर्स लिये। और इसके बाद में सिंचाई विभाग ने कलेक्टर को लिखा।...

श्री नत्थासिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि जो मन्त्री महोदय ने कहा है कि सिंचाई विभाग ने काम कराया है वह सही नहीं है असत्य है...

(व्यवधान-अश्रव्य)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। नेक्स्ट।

श्रीमती उषा प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो इतना ही प्रश्न था कि भरतपुर जिले में बाढ़ से बहुत अधिक क्षेत्र प्रभावित होगया और आज भी वहां पर पानी भरा हुआ है उसके लिए राज्य सरकार क्या कर रही है? जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया कि राज्य सरकार के 7–8 या 9 लाख रुपये खर्च हो गये। लेकिन वहां पर राज्य सरकार ने नवम्बर तक पानी निकालने का काम किया। तो उसके बाद में काफी जगह नालियों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। वहां पर सिंचाई विभाग ने उसके बाद में उस पानी को क्यों नहीं निकलवाया?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो इतना ही प्रश्न मन्त्री महोदय से पूछना है कि बाढ़ की वजह से आज भी नालियों में जगह जगह पानी भरा हुआ है इससे खेती नहीं हो पा रही है तो आपका सिंचाई विभाग क्या काम कर रहा है? दूसरा प्रश्न यह है कि जो बरसात में पानी स्टोरेज होता है उसके रिलीज के लिये राज्य सरकार क्या कोई परमानेन्ट सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोच रही है? क्योंकि जब तक आप इसका परमानेन्ट सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तब तक यह प्रॉब्लम बनी रहेगी जैसी कि घग्घर नदी में बाढ़ आने से स्थिति बनी रहती थी वह बनी रहेगी। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आज तक जितने भी इन्टर स्टेट मामले हुए हैं चाहे पानी का मामला हो, चाहे और कोई मामला हो क्या राजस्थान सरकार ने दूसरी स्टेट्स से मार खाने का ठेका ले रखा है? आज बिजली का मामला हो चाहे, रोडवेज का मामला हो दूसरी स्टेट वाले आपको बड़े ही धाकड़ तरीके से पीटते हैं। तो आखिर आप कितने दिन तक मार खाते रहेंगे? क्या राजस्थान सरकार ने मार खाने का ठेका ले रखा है? इसका जवाब मंत्री महोदय मुझे दे दें।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि...

श्री करनसिंह (डीग) : अध्यक्ष महोदय, वहां पर बाढ़ से काफी मात्रा में पानी आने से नुकसान हुआ है और पानी भरा हुआ है

(श्री करन सिंह)
उसको निकालने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने काफी काम किया है और रबी की फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो इनन्डेशन हुआ है उसके लिए रबी की जो रेट्स हैं वहीं लागू रहेंगी...

श्री नत्थासिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि...

श्री हीरालाल देवपुरा : एक मिनिट थोड़ा मैं निवेदन कर दूं। तो, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि श्रीमती उषा प्रकाश ने कहा कि अक्टूबर और नवम्बर तक सिंचाई विभाग ने पानी निकालने की कोशिश की उसके बाद में सिंचाई विभाग ने क्या काम किया ? तो मेरा निवेदन है कि सिंचाई विभाग ने लगातार पानी निकालने का काम किया और पम्प लगाकर पानी निकाला, जितना पानी निकाला जा सकता था वह निकाला। यह तो मैंने खुद ने स्वीकार किया कि जहां पर पम्प्स से पानी नहीं निकाला जा सका वहां थोड़ा बहुत कहीं पानी हो सकता है, लेकिन अगर माननीय सदस्या यह बतावें कि किसी अधिकारी के लेकूना की वजह से पानी भरा हुआ है और पानी नहीं निकाला जा सका तो मैं उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये तैयार हूं।

श्री नत्थासिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो पूछा था उसका जवाब नहीं आया। मैं एक मिनट का समय लूंगा। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि सन् 73 और 75 में बाढ़ भरतपुर में आयी जिससे काफी जमीन सिल्ट हो गयी और जगह जगह पानी भर जाता है तो इसके लिए राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जिससे कि यह पानी भरा रहना बन्द हो जावे और फसल को नुकसान नहीं हो ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग तो जितना पानी निकाल सकता था उसने पानी निकाला, लेकिन हां, अगर किसी अधिकारी ने कोई काम नहीं किया हो तो वह माननीय सदस्या बतादें मैं उस अधिकारी के खिलाफ में कार्यवाही करने की कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामप्रसाद।

झालावाड एवं झालरापाटन के कन्या सैकेन्डरी स्कूलों को क्रमोन्नति

3. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ में छात्राओं के लिए आज तक कोई हायर सैकेन्डरी स्कूल नहीं खोला गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) झालावाड़ व झालरापाटन कन्या सैकेन्डरी स्कूलों को क्या अगले सत्र में हायर सैकेन्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत किया जायेगा या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री फारूक हसन) : (1) जी हां। वित्तीय स्थिति के कारण।

(2) वित्तीय संकोच के कारण फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही ताज्जुब की बात है कि इतने वर्षों में दूसरे जिलों की तरह इस जिले को हायर सैकेन्डरी स्कूल की सुविधा प्राप्त नहीं करा सके । इसका क्या कारण है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिंह) : श्रीमन्, आप जानते हैं कि वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कृपापूर्वक यह कहा है कि कोई भी हायर सैकेन्डरी स्कूल क्रमोन्नत नहीं होगा ।

श्री रामप्रसाद बोहरा : कई जगह हुए हैं, कोटा में हुए हैं, बूंदी में हुए हैं और भी कई जगह हुए हैं ।

श्रीमती ऊषा प्रकाश (वैर) : हर एक जिले में एक कन्या हायर सैकेन्डरी स्कूल तो होना ही चाहिए ।

हाजी श्री जान मोहम्मद (पिड़ावा) : क्या वजह है जिला झालावाड़ की तरफ आप कोई तवज्जह नहीं देते हैं ? एक भी स्कूल नहीं है। इसको क्यों पीछे रखना चाहते हैं ? या तो यह वजह है कि झालावाड़ के एम. एल. ए. कमजोर पड़ते हैं····

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : इनकी सफेद दाढ़ी की लाज तो रखो ।

हाजी श्री जान मोहम्मद : झालावाड़ के एम. एल. ए. क्या पतले दुबले हैं जिनकी वजह से आप ध्यान नहीं देना चाहते हैं ? हम अब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं । झालावाड जिले में एक हायर सैकेन्डरी स्कूल खोला जाय। महिला भी हमारे साथ हैं और हमारे प्रधान मंत्री जी की भी इच्छा है । इसलिए हमारी मांग है कि झालावाड़ की ओर ध्यान दिया जाय ।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : अब आपके पास हां करने के सिवाय चारा ही नहीं है ।

हाजी श्री जान मोहम्मद : हमारी मांग है कि झालावाड़ में स्कूल खोलें ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले के लिये मैंने प्रश्न पूछा था···

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : झालावाड़ जिले की तमन्ना पूरी होने दें ।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, काफी बुजुर्ग सदस्य हैं, उनका जवाब आना चाहिये । माननीय सदस्य वृद्धिचन्द्रजी को इस तरह उनकी बात में बीच में नहीं आना चाहिये ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : मैं माननीय सदस्य वृद्धिचन्द्रजी से निवेदन करूंगा कि झालावाड़ की मांग पूरी होने दें···

(अश्रव्य, व्यवधान)

श्री खेतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के 10 जिले हैं जहां पर हैडक्वार्टर है और वहां गर्ल्स का हायर सैकेन्डरी स्कूल नहीं है। चूरू में, जैसलमेर में, सिरोही में, बाड़मेर में, सवाई माधोपुर में, झाला-

Page No 10

(१०)

(श्री खेतसिंह)
वाड़ में। झुंझुनूं में। इस तरह के 10 जिले हैं जहां हायर सैकेण्डरी स्कूल नहीं हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सब जगह होने चाहिये।

श्री खेतसिंह : इसके लिये आप प्रयास कीजिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : तो हम प्रयास ही तो कर रहे हैं ..

(व्यवधान, अश्रव्य)

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, अगले सत्र में जब नया एकेडेमिक सैशन शुरू होगा तब इस प्रश्न पर विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री केशरीमल।

ब्यावर ए. के. शफाखान में एम्बुलेन्स गाड़ी की व्यवस्था

4. **श्री केशरीमल (ब्यावर)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर के ए.के. शफाखाने में एम्बुलेन्स गाड़ी नहीं है? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि लम्बे अर्से से एम्बुलेन्स के नहीं होने से आम जनता कष्ट पा रही है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने अब तक व्यवस्था क्यों नहीं की और अब कब तक व्यवस्था कर दी जावेगी ?

चिकित्सा मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : (1) जी हां, जून, 1975 से।

(2) जी नहीं। एम्बुलेन्स के खराब होने के कारण मरीजों को लाने व ले जाने के लिये कोई न कोई गाड़ी समय समय पर शफाखाने में उपलब्ध रही है। एम्बुलेन्स ठीक होकर ब्यावर पहुंच गई है।

श्री केशरीमल : यह गाड़ी कब खराब हुई थी और कब पहुंच गई ? आपका कहना गलत है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया कि जून 75 में खराब हुई थी उसके बाद हमने दूसरी गाड़ी उसके स्थान पर लगा दी थी। यह फरवरी में खराब हो गई और इसके बाद आर.जे. जेड. 4327 जीप को लगाया था। इस तरह दो गाड़ियां लगाई थीं। और वे लगातार अवेलेबल रहती थीं।

श्री केशरी मल : हालत यह थी कि मरीजों को गाड़ियां मिलनी चाहिये लेकिन नहीं मिल रही थीं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : पहले एक गाड़ी लगाई, वह खराब हो गई फिर दूसरी गाड़ी लगाई और अब एम्बुलेन्स भी ठीक होकर आ गई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न यह है कि जीप एम्बुलेन्स का पर्पज सर्व नहीं कर सकती।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उसमें लम्बी सीटें लगी हुई थीं और अब तो एम्बुलेन्स ठीक होकर पहुंच गई है।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): अध्यक्ष महोदय, एम्बुलेन्स खराब हो जाय तो उसको

(श्री मूलचन्द सामरिया)
ठीक कराने की व्यवस्था जल्दी होनी चाहिये। इतना लम्बा समय क्यों लगे ?

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

जयपुर जिले की रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन योजना

5. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन योजना के तहत जयपुर जिले के लिये कौन कौन सी योजनायें कब कब स्वीकृत की गई ?

(2) किस किस योजना के लिये कितनी कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

(3) क्या सम्पूर्ण स्वीकृत राशि का उपयोग निश्चित समय में किया जा सकेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विद्युत मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) ग्रामीण विद्युतिकरण निगम नई दिल्ली से विद्युत् मण्डल को जयपुर जिले के लिये अब तक 11 रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन योजनाओं की स्वीकृति की गई है जिनकी क्रमानुसार वर्षवार सूची संलग्न है।

(2) सूचना उपरोक्त सूची में उपलब्ध है।

(3) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं यह जानना चाहता था कि जो सूची दी गई है इसमें बसवा–सिकराय–दौसा–शाहपुरा संयुक्त योजना वर्ष 1973–74 में स्वीकृत हुई है, और 42 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई है और अब तक खर्च के जो आंकड़े दिये गये हैं उसमें 15 लाख के आंकड़े हैं यानि केवल 15 लाख खर्च हुये हैं। दूसरी तहसील जमवारामगढ़ योजना वर्ष 1973–74 में स्वीकृत हुई है 53 लाख की और केवल 17 लाख ही खर्च हो पाये हैं। इसी तरह तहसील बैराठ की योजना है जो वर्ष 1974-75 में स्वीकृत हुई है और 19 लाख रुपयों की स्वीकृति हुई है, लेकिन केवल मात्र 7 लाख ही खर्च कर पाये हैं। इसी तरह तहसील बस्सी की है, जो वर्ष 1974-75 में स्वीकृत होकर आई है और 15 लाख रुपये की स्वीकृति आई है जो दो साल में पूरी करनी थी उसमें भी केवल कुछ हजार रुपये ही खर्च कर पाये हैं। केवल मात्र 30 हजार रुपये खर्च किये हैं। इसी तरह तहसील लालसोट की योजना है जो वर्ष 1974-75 में स्वीकृत होकर आई है, और 53 लाख रुपयों की योजना स्वीकृत हुई है उसमें केवल आप खर्च कर पाये हैं दो लाख 90 हजार। इसी प्रकार तहसील दौसा की योजना है, यह वर्ष 75-76 में स्वीकृत होकर आई है और जो फीगर दिये हैं उसमें 50 लाख की योजना थी जिसमें अभी तक काम ही चालू नहीं हुआ है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोआपरेटिव योजना तहसील कोटपूतली–इसका जहां तक मेरी जानकारी है अभी, 5 सितम्बर को उद्‌घाटन जरूर करवा लिया है लेकिन उसके बाद एक भी नया कनेक्शन नहीं दिया है। यह शायद आपकी जानकारी में नहीं है, आप कैसे फरमा रहे हैं कि निश्चित अवधि में योजनाओं को पूरा कर देंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने जो इस बारे में कमेन्ट्स दिये हैं····

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने कमेन्ट्स नहीं दिये हैं, आपकी बात ही कही है।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बसवा-सिकराय-दौसा तहसील योजना वर्ष 73-74 में स्वीकृत हुई है और तहसील जमवारामगढ़ की भी योजना वर्ष 73-74 में स्वीकृत हुई है, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इन योजनाओं का कार्यकाल तीन वर्ष का है। वर्ष 73-74 के लास्ट मंथ में योजनाएं स्वीकृत होती हैं और गत वर्ष में यह खर्चा किया गया है और उसमें भी कई दिक्कतें आई हैं। कई बार मैटेरियल उपलब्ध नहीं हुआ और कई बार कुछ नहीं मिला इसलिये खर्चा पूरा नहीं हो पाया है लेकिन अब कठिनाई नहीं है और यह विश्वास है कि निश्चित अवधि में योजनाएं पूरी करेंगे। जो पैसा योजनाओं में मिलता है वह तीन साल में इन्स्टालमेंट में मिलता है—फर्स्ट इन्स्टालमेंट, सैकिन्ड इन्स्टालमेंट और थर्ड इन्स्टालमेंट और बाद की इन्स्टालमेंट पहली इन्स्टालमेंट के निश्चित कार्यक्रम के पूरा होने के बाद देते हैं तो वहां से पैसा उतना ही ड्रा किया गया है। इनमें पहली किश्त मिली है बाकी की किश्तें लेनी हैं और उसी हिसाब से मैं कहता हूं कि निश्चित अवधि में हम योजनायें पूरी करेंगे और कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तहसील दौसा और तहसील कोटवाड़ा की योजनाओं की शुरुआत नहीं की है क्योंकि इन योजनाओं का पैसा 1975–76 में स्वीकृत हुआ है और गत माह में ही स्वीकृति आई है। चालू वर्ष में ही इनकी स्वीकृति आई है तो जो दूसरी फार्मेलिटीज है पैसा ड्रा करने की और गारन्टी वगैरह की वह पूरी हो चुकी हैं और पहला इन्स्टालमेंट ड्रा करके अप्रेल, 1976 से ही काम शुरू होगा। इसकी पांच साल की अवधि है और निश्चित अवधि में काम पूरा करवा दिया जावेगा।

अब रहा सवाल कोटपूतली तहसील का। यह सामान्य योजना नहीं है। यह विशेष प्रकार की योजना है। कोआपरेटिव संस्था स्थापित की गयी है। वही सारा काम करेगी, लाइन खींचने का, पावर सप्लाई करने का। वही आर.एस.ई.बी. से पावर खरीदेगी और वही उसको सप्लाई करेगी। एक्ट के अन्तर्गत उसको लाइसेन्स लेना पड़ता है। सप्लाई का उसको लाइसेन्स मिल गया। इसके अलावा जो भी इस सम्बन्ध में प्रिलिमिनरी काम हैं जो कि कोआपरेटिव सोसाइटी को करने थे वह उन्होंने पूरे कर लिये हैं और फील्ड के अन्दर भी काम पूरा हो जावेगा। कोआपरेटिव के लिये कोई मयाद निश्चित नहीं की गयी है। यह लम्बे समय के लिये चलेगी। सारा कार्यक्रम कोआपरेटिव के हाथ में होगा और यह रेगुलर काम करती रहेगी। जो पैसा मिला और जिसको यूटिलाइज नहीं कर सके और वह लैप्स हो, ऐसी संभावना नहीं है। इसलिये नयी योजना में मिलने की कोई दिक्कत हो, ऐसी बात नहीं है। निश्चित समय में ही जो भी योजनायें हैं वे पूरी होंगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय मंत्रीजी ने कहा कि पांच वर्ष का योजना काल होता है। मुझे जो सूची दी है उसमें पांच वर्ष तो केवल कोटपूतली वाली योजना

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

का है बाकी की योजनाओं का काल किसी का दो साल का है और किसी का तीन साल का है। जमवारामगढ़ योजना का चार साल का काम है। 73–74 में स्वीकृत हुई। आपने कहा कि निश्चित रूप से समय पर पूरा कर देंगे। 11 तहसीलों की संयुक्त योजना थी। 76 लाख में से 74 लाख ही खर्च कर पाये हैं। बसवा-सिकराय-दौसा तहसील संयुक्त योजना-यह कहां से पूरी होगी अब तक जितना रुपया स्वीकृत हुआ उसको देखते हुए और अब तक जो खर्च किया है उसको देखते हुए ? क्या सारा पैसा इस प्रोग्राम को देखते हुए खर्च कर सकेंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह सही है कि पांच वर्ष कहा था। कुछ योजनाओं का काल दो वर्ष का है। जो छोटी-छोटी योजनायें हैं उनका पीरियड कम होता है। राशि भी कम होती है। बड़ी योजनायें हैं, उनका तीन वर्ष का, चार वर्ष का और पांच वर्ष का समय है। 70–71 में 11 तहसीलों की संयुक्त योजना बनी थी। उन पर 76 लाख 53 हजार खर्च करने थे उसमें से 74 लाख 34 हजार खर्च हुए। क्यों कम हुए वह मैंने आपको बता दिया। गोविन्दगढ़-शाहपुरा स्कीम में इन्स्टालमेन्ट पूरा नहीं मिल सका व इसी तरह से दूसरी योजनाओं में भी समय पर काम पूरा नहीं हो सका था इसलिये खर्च नहीं कर सके। अब काम भी पूरा कर सकेंगे और खर्च भी पूरा कर सकेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या राज्य सरकार के बजट में इसका प्रोविजन कर लिया गया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह सारा का सारा प्रोग्राम में लिया हुआ होता है। बोर्ड को जो काम करना है वह करेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 73–74 में बस्सी की योजना स्वीकार हुई है। वहां अब तक काम शुरू नहीं हुआ है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने आपसे निवेदन कर दिया है कि वह अब करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं यह जानना चाहता था कि क्या इन सारे कामों को इन टाइम पूरा करवा सकेंगे और कोई भी रकम लेप्स नहीं होगी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : क्यों नहीं हो पाये, उसका मैंने आपको कारण बता दिया कि क्या कारण रहे। अब उनको पूरे एफर्ट्स करके करवा देंगे। वे इसलिये पूरे नहीं हो पाये कि हम काम करने की स्थिति में थे फिर भी उनको नहीं कर पाये हों ऐसी बात नहीं है। कारण यही था डिले का कि या तो मैटेरियल उपलब्ध नहीं था, या फण्ड अवेलेबल नहीं थे। अब वह स्थिति नहीं है और हम उन कामों को पूरा करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

अनिवार्य सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पुनः सुनवाई का प्रावधान

श्री शंकर लाल (पाली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की भांति राजस्थान में भी अनिवार्य सेवा-निवृत्ति

Page No 14

(१५)

(श्री शंकरलाल)

किये गये कर्मचारियों को न्याय दिलाने हेतु सुनवाई का कोई प्रावधान किये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, नियुक्ति (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अनिवार्य सेवा-निवृत्त किये कर्मचारियों को न्याय दिलाने हेतु पुनः सुनवाई का जो प्रावधान किया गया है वह राज्य सरकार को अभी हाल में ही प्राप्त हुआ है तथा राज्य सरकार उस पर विचार कर रही है।

श्री शंकरलाल : प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार ने भी यह निर्णय ले लिया है कि इस प्रकार जो सेवा-निवृत्त किये गये व्यक्ति हैं उनको भी पुनः सुनवाई का मौका दिया जाय ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : केन्द्रीय सरकार की एडवाईस 6 तारीख को ही आयी है। उसके पहले भी जो भी पिटीशनर्स थे, जिनको कम्पलसरी रिटायर किया गया था, उन ऑफिसर्स से जो भी पिटीशन्स आयीं उनको किसी न किसी तरह से एक्जामिन जरूर कराया गया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दीपंकर।

ग्राम रतनाऊ (लाडनूं) में बिजली

7. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम रतनाऊ, तहसील लाडनूं, जिला नागौर को बिजली दी जाना स्वीकृत है ? यदि हां, तो बिजली अब तक नहीं लगने के क्या कारण रहे हैं और कब तक बिजली दे दी जावेगी ?

विद्युत मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : जी नहीं।

श्री दीपंकर : पहले राज्य सरकार ने आदेश जारी किये। आप अपने पत्रों को देख लीजिये। आपने इसकी स्वीकृति की घोषणा की थी। यदि इसकी सर्वे और ऑर्डर की कापी चाहें तो मैं आप के पास भेज दूं। यह गांव बांटड़ी से लाइन लिये जाने पर इलेक्ट्रीफाई होता है। जल योजना पूरी हो जावेगी। यह मंजूर शुदा है और इसको इन्कार मत करिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने फरमाया कि रतनाऊ गांव जो तहसील लाडनूं में है उसको इलेक्ट्रिफाई करने की स्वीकृति हो चुकी है। मैंने कहा कि नहीं हुई है। मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार यह नहीं हुई है। आपने कहा कि सर्वे हुई है। यदि कोई प्रारम्भिक कार्यवाही शुरू हुई हो उसका तो मैं ना नहीं करता। लेकिन विद्युतिकरण करने के लिये सेंक्शन जारी नहीं हुई। माननीय सदस्य चाहते हैं कि इससे लाडनूं को भी लाभ होगा। लाडनूं क्षेत्र मिनिमम नीड प्रोग्राम के अन्तर्गत है। सर्वे किया हुआ है और इस गांव का भी किया हुआ है। 76–77 के वर्ष में स्वीकार कर सकेंगे तो उक्त गांव को लेकर इसको प्रथम वर्ष में ही लिया जाय इसका प्रयत्न करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आर. एस. ई. बी. की योजना में स्वीकृत हुआ है तो पहले इसको लिया जा सकता है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : लाइन इतनी क्षमता वाली नहीं है। जो प्रोग्राम मंजूर करवा रहे हैं उसके लिये भी पैसा मिल जाता है, ऐसे क्षेत्र को आवश्यक और मिनिमम नीड प्रोग्राम में लेते हैं, उसके लिये पैसा मिल जाता है। इसीलिये इसको सुधार करवा कर स्वीकार करवाया है।

श्री दीपंकर : मंत्री महोदय के ध्यान में नहीं लाया गया है। आपके यहां से यह स्वीकृत हुई है। जल विभाग की ओर से इसमें कितना खर्चा लगेगा, उसका पेमेन्ट कर दिया है। बिजली नहीं पहुंची है। मीठा पानी मिले, सबसे ज्यादा पशु तहसील लाडनूं में रतनाऊ गांव में हैं। जो योजना प्रस्तावित है उसके लिये काम होना चाहिए। कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि जल विभाग ने आपको पैसा दे दिया है। अब आप उस गांव को इलेक्ट्रिफाई नहीं करते हैं। अधूरी पड़ी है आपकी योजना। एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय से क्यों असहयोग करता है ? मीठा पानी तो पिलाइये। उत्पादन बढ़ाइये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री हीरालाल देवपुरा : एक मिनिट, अध्यक्ष महोदय।

माननीय सदस्य ने एक बात कही। वाटर वर्क्स वालों ने रतनाऊ के लिए पैसा जमा करा दिया होगा। बिजली तो तब ही वहां ले जायी जा सकती है जहां हमारी क्षमता हो। मिनिमम नीड प्रोग्राम इसीलिये तो स्वीकार करवा रहे हैं कि वह पैसा मिल जाय। बिजली पहुंचा दें ताकि एग्रीकल्चर और पीने के लिये भी पानी उपलब्ध हो सके इसीलिये मैंने कहा कि इसको प्राथमिकता से ले रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब आपने एडवान्स मनी ले लिया और संस्थाओं ने करवा दिया...

श्री हीरालाल देवपुरा : आर. एस. ई. बी. ने नहीं मांगा है स्वतः ही उन्होंने जमा कराया है। मांगा नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : स्वतः कोई नहीं जमा कराता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष : पूछिये।

श्री दीपंकर : अर्ज यह है कि जो आपकी योजना है उसके लिए तो मैं आपको बधाई पेश करता हूं, भगवान करे आपकी तमन्ना पूरी हो लेकिन हमारे एरिया में काश्तकारों के खेतों में लाखों रुपयों की लागत के बेरे खुदे पड़े हैं और उनको बिजली नहीं देने से आपके पैसे बरबाद होंगे, न काश्तकार उन बेरों को काम में ले सकते हैं–इसका हल तो आप ढूंढिये कि उनको बिजली देनी है या नहीं ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : इसका हल मंत्री महोदय ने बताया उसको आप सुन कहां रहे हैं ? हल यह बताया कि मिनिमम नीड प्रोग्राम के अन्दर इसको ले लिया गया है ताकि आपका पूरा एरिया ही इलेक्ट्रिफाई हो सके।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट! श्री बनवारीलाल।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास विचाराधीन मामले

8. श्री बनवारीलाल (धौलपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास किस-किस वर्ष के कितने कितने मामले विचाराधीन हैं जिनमें काबिल दस्तन्दाजी पुलिस होते हुए भी एफ. आई. आर. पेश नहीं की गई ?

(2) इसके प्रत्येक में क्या कारण हैं ? कृपया जिनके विरुद्ध जांच चल रही है उनके नाम सहित तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास इस समय केवल 159 मामले विचाराधीन हैं जिनमें प्राथमिक जांच चल रही है। वर्षवार सूची संलग्न है।

(2) प्राथमिक जांच में प्राइमाफेसी आरोप सिद्ध होने पर मुकदमा दर्ज किया जाता है जिनके विरुद्ध जांच चल रही है उनके नाम व स्थिति बताना उपयुक्त नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री बनवारीलाल : अध्यक्ष महोदय, यह करप्शन के मामलों में भी नाम नहीं बता सकते हैं, यह मीसा के तहत तो रजिस्टर्ड हैं नहीं। सरकार को बताने में क्या आपत्ति है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि उन व्यक्तियों की सूची बताई जाये जिनके खिलाफ किसी ने शिकायत मात्र कर दी है। शिकायत के आधार पर जब तक हमारा विभाग जांच करके किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता और उसके खिलाफ प्राइमाफेसी केस बनता है या नहीं यह नहीं मालूम हो जाता तब तक हम कोई केस रजिस्टर नहीं करते और जब तक केस रजिस्टर नहीं होता तब तक सूची बताना उचित नह है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट के अन्दर पिछले, पांच, सात और आठ-आठ साल से कम्पलेन्ट्स पेन्डिग हैं जिनमें न तो फाइनल रिपोर्ट ही लगाई गई है और न एफ. आई. आर. ही लाज कराई गई है और न इन्वेस्टीगेशन्स कम्पलीट हुई हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप कोई प्रोग्राम अपनाने के लिए तैयार हैं कि जो कम्पलेन्ट्स पेन्डिग हैं वह शीघ्र से शीघ्र समाप्त हो सकें ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : एक हद तक तो आपकी शिकायत सही है कि काफी केसेज ऐसे इकट्ठे हो गये थे जिनके बारे में फैसला नहीं हो सका था किन्तु इस वर्ष के अन्दर इस प्रकार के 600 केसेज को डिस्पोज आफ कर दिया गया है और अब 159 केसेज रह गये हैं।

श्री बनवारी लाल : इनका फैसला कब तक कर देंगे ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : 1960 के 2 केस पड़े हैं, 1970 के 4 केस पड़े हैं तो समय तो कोई निश्चित होना चाहिए ?

श्री हरिदेव जोशी : एक ही तरीका है या तो फाइनल रिपोर्ट दे दें। तो कई केसेज ऐसे हैं कि जिनकी हम फाइनल रिपोर्ट नहीं देना चाहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा प्रश्न यह है कि 600 केसेज····

श्री रामसिंह कुडी : अध्यक्ष महोदय, पहले मुकदमा दर्ज कराना पड़ता है और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट या चालान पेश होता है तो क्या भ्रष्टाचार विभाग···

श्री हरिदेव जोशी : फाइनल रिपोर्ट देने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा प्रश्न यह है कि 600 केसेस आपने समाप्त कर दिये, यह अच्छी प्रोग्रेस है लेकिन इसमें एफ.आई. आर. क्या चाक-आउट हुई ? बेसिक चीज यह है कि एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट प्राइमा-फेसी केस बनाकर एफ.आई.आर. चाक-आउट हुई ? और मैं जानना चाहता हूं कि हुई तो कितनों में हुई ?

श्री हरिदेव जोशी : 142 केसेज चालान कर दिये गये और उनकी एफ.आई. आर. भी दर्ज की गई है। ऐसी बातें नहीं है कि जिन केसेस में हम समझते हैं एफ. आई.आर. दर्ज करानी है तो उसमें एफ. आई.आर. भी दर्ज कराते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 9

श्री रावतराम

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 10

श्री सुरेशचन्द।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री महेन्द्रकुमार।

डूंगरपुर जिले में राहत कार्यों पर लगे मजदूरों को मजदूरी का भुगतान

11. **श्री महेन्द्रकुमार परमार** (पाड़वा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले में गत वर्षों से जो राहत कार्य चल रहे थे उनमें मजदूरों का भुगतान नहीं किया है ? यदि हां तो किस किस विभाग के कार्यों की बकाया है और इस बकाया का क्या कारण है ?

राज्य मंत्री, अकाल सहायता (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : यह सही नहीं है। कुछ श्रमिकों के उपलब्ध न होने तथा कुछ कार्यों में अनियमितताओं की जांच चल रही होने के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग तथा भू-संरक्षण विभाग के कार्यों की कुछ मजदूरी का भुगतान अभी बकाया है ?

श्री महेन्द्रकुमार : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह कब तक भुगतान हो जायेगा ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : राज्य सरकार ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दे दिये हैं कि जो भुगतान बकाया है और जिनका

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं है ऐसे सारे चुकारे पंचायत समितियों को सूचना देकर संबंधित एजेंसियों में, जिनके नाम वह पेमेन्ट बकाया है उनको, सूची भेज कर चुकारा कर दें।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : ऐसे डिस्प्यूटेड केसेस कितने हैं ?

श्री रामचन्द्र रौत (चौरासी) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि यह कौन से तालाब हैं जिनकी लम्बे समय से राहत कार्य की मजदूरी बकाया चली आ रही है और उन विभागों के प्रति क्या ऐसी शिकायत हैं कि जो अभी तक पेमेन्ट नहीं हुआ और उनकी कोई शिकायत है तो इसमें इतनी देरी क्यों हुई ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सार्वजनिक निर्माण विभाग की 1972-73 और 1973-74 में 13,004 रुपये की राशि शेष है, सिंचाई विभाग की 70,628 रुपये की राशि शेष है, वन विभाग की 4511.30 की राशि का भुगतान शेष है और भू-संरक्षण विभाग की 25,376 रुपये की राशि की बकाया है। भू-संरक्षण विभाग का खास तौर से मामला एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट में पेन्डिंग पड़ा है और जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता और अन्तिम रूप से शिकायत का फैसला नहीं हो जाता तब तक भुगतान करना सम्भव नहीं है और अन्य एजेन्सियों के मजदूर उपस्थित नहीं थे उनको भुगतान के आदेश दे दिये हैं और जो मजदूर गांवों में उपलब्ध हो जायेंगे ऐसों को उनकी मजदूरी का चुकारा कर दिया जायेगा।

श्री ओंकारलाल चौहान : भू-संरक्षण का एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट में विचाराधीन है तो कब से है और कब तक फैसला हो जायेगा ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, यह 1972-73 की अवधि का है और यह जांच में चल रहा है। जांच पूर्ण होने पर ही इसका भुगतान करना सम्भव हो सकेगा।

श्री रामचन्द्र रौत : पी. डब्लू. डी. और इर्रीगेशन की ऐसी कौन कौन सी सड़कें और तालाब हैं जिनकी मजदूरी की राशि बकाया है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : विभागों का बकाया मैंने बता दिया और अगर माननीय सदस्य गांव वाइज स्थिति चाहेंगे तो मैं दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री शंकरसिंह।

बालिका हितकारिणी विद्यालय को अनुदान

12. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि नसीराबाद की बालिका हितकारिणी विद्यालय संस्था द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस विद्यालय को आर्थिक अभाव के कारण दिनांक 1-7-76 को बन्द कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विद्यालय के जो पूर्व में अनुदान की राशि दी जाती थी पुनः देने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री फारूक हसन): जी नहीं। राज्य सरकार को ऐसी कोई

(श्री फारूक हसन)
सूचना प्राप्त नहीं हुई है। संस्था को पूर्व के अनुसार ही उसी प्रतिशत से अनुदान किया जा रहा है।

श्री शंकरसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, नसीराबाद में बालिकाओं का स्थानीय कालेज और हितकारिणी संस्था उसको चला रही है और आर्थिक अभाव के कारण ऐसा निर्णय लिया गया है, मैंने बालकों के लिए नहीं पूछा है बल्कि बालिकाओं के लिए पूछा है तो पूर्व में उनको अनुदान दिया जाता रहा है वही दिया जाता रहेगा, ऐसा कहते तो मुझे खुशी होती। आपके पास सूचना नहीं हैं तो मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह यहां घोषणा कर दें ताकि मैं उनको यहीं बधाई दे दूं।

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : जैसा कि राज्य मन्त्री ने कहा कि हम वही एड जो पहले दी जा रही है वही दे रहे हैं और उसको चुका रहे हैं।

श्री शंकरसिंह : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गुरदयाल सिंह संधु।

पुलिस इन्सपेक्टर रायसिंहनगर के विरुद्ध मामला

13. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ता. 5-5-75 को चक 7 के तहसील अनूपगढ़, जिला श्री गंगानगर में सिखों के इष्ट श्री गुरुग्रन्थ साहब को जलाया गया था, उस मामले में श्री काहन सिंह इन्सपैक्टर पुलिस की शह थी ?

(2) क्या यह सही है कि श्री काहन सिंह ने रायसिंहनगर से अपनी रवानगी का सरकारी रिकार्ड में कोई उल्लेख नहीं किया था ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त मामले की जांच के लिये एडीशनल कलेक्टर श्रीगंगानगर की नियुक्ति ता. 17-5-75 को की गई थी और जांच में श्री काहनसिंह दोषी पाया गया, इस पर श्री काहनसिंह को ता. 20-5-75 को सस्पेण्ड किया गया था ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि श्री काहन सिंह को अब पुनः बहाल कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और किस आधार पर ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी नहीं।

(2) सर्किल आफिसर के लिए आने जाने का इन्द्राज सरकारी रिकार्ड पर करना आवश्यक नहीं है।

(3) एडीशनल कलेक्टर गंगानगर को जांच के लिए दिनांक 17-5-75 को नियुक्त किया गया था। जांच में श्री काहनसिंह को आगजनी के मामले में दोषी नहीं पाया गया। घटना के समय उपयुक्त कार्यवाही न करने के बारे में दोषी पाया गया था। श्री काहनसिंह को दिनांक 21-5-75 को सस्पेण्ड किया गया।

Page No 20

(20)

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

(4) जी हां, श्री काहनसिंह पर मुख्य आरोप गुरु ग्रन्थ साहिब को जलाने का था वह सही नहीं पाया गया इसलिए बहाल किया गया।

श्री गुरदयालसिंह संधु : क्या यह सही है कि तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर में सिखों के इष्ट श्री गुरु ग्रंथ साहब को जलाया गया था और वह श्री काहनसिंह की शह से जलाया गया था और यह सिद्ध हो गया है कि गुरु ग्रंथ साहब को काहनसिंह की शह से ही जलाया गया था तो फिर उसको बाहर करने का क्या कारण है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। आपने प्रश्न में भी यह पूछा था कि सिखों के गुरु ग्रंथ साहब को जलाया गया था उसमें सरकारी इंस्पेक्टर की शह थी, लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इंक्वायरी से शह होना नहीं पाया गया। आप कहते हैं कि इसकी साजिश से गुरु ग्रंथ साहब को जलाया गया यह बात स्थानीय रिपोर्ट से साबित नहीं होती।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : अगर यह बात सिद्ध नहीं होती तो इसको सस्पेंड क्यों किया था। वह किस आधार पर सस्पेंड किया गया था और उसमें क्या कमी पाई गई जिसके कारण उसको बहाल किया गया ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं यह पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि अगर काहनसिंह की शह से नहीं जलाया गया तो इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक किस की शह से जलाया गया ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह और भी है····

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, शायद आपको याद होगा कि यह प्रश्न सदन में पहले भी तीन बार आ चुका है और पहले भी तीन बार सदन में इसका उत्तर दे चुके हैं और माननीय सदस्य एक ही लैंग्वेज, एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं। इसका सदन में सरकार उत्तर दे चुकी है कि किसी की शह नहीं पाई जाती। यह भी कहा गया था कि काहनसिंह के खिलाफ सीरियस एलीगेशन्स, लगाये गए थे और उसमें सिक्खों के श्री गुरु ग्रंथ साहब को जलाने की शह के भी सीरियस एलीगेशन को ध्यान में रख कर ही हमने इमीजियेटली काहनसिंह को सस्पेंड कर दिया और माननीय सदस्य ने यह मांग की थी कि किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच करवाई जावे। हमने एडीशनल कलेक्टर को इंक्वायरी के लिए भेजा। उसी समय एडीशनल कलेक्टर को इमीजियेटली इंक्वायरी करने के लिए भेजा गया और उनका कहना है कि इसमें किसी की शह नहीं पाई जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेप्सेज हो सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव लेप्सेज के लिए ही इसकी इंक्वायरी चल रही है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : एडमिनिस्ट्रेटिव लेप्सेज की बात कहते हैं तो यह तो किसी भी चीज में एडमिनिस्ट्रेटिव लेप्सेज ही माने जायेंगे, यह तो सरकारी चीज है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेप्सेज हैं तो भी उसके बारे में राज्य सरकार क्या कर रही है ?

श्री हरिदेव जोशी : डी.आई.जी. रेंज इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और उनकी

(श्री हरिदेव जोशी)
रिपोर्ट आने पर ही आगे कार्यवाही की जायेगी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मामला बड़ा गम्भीर है । सिक्खों के इष्ट श्री गुरू ग्रंथ साहब को जलाया गया और यह निश्चित है । यह डिस्प्यूट की बात हो सकती है कि काहनसिंह की शह से जलाया गया या श्री गोपालाराम की शह से जलाया गया या और किसी की शह से जलाया लेकिन इसमें बहुत से निर्दोष लोग पकडे गए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 20 आदमी आज भी इस मामले में पकडे गए हैं जिन्होंने पुलिस आफिसर्स को वार्निंग दी, गोपालाराम और काहनसिंह को वार्निंग दी थी कि यह ग्रन्थ साहब जला दिए जायेंगे, इसके प्रोटेक्शन का प्रबन्ध करें । यहां से ग्रंथी को रिमूव नहीं करें और उसकी औरत को रिमूव नहीं करें, इसके घर वालों को रिमूव नहीं करें। लेकिन ग्रंथी को हैंडकफ किया गया, उसकी औरत को हैंडकफ किया गया, दूसरे लोगों को हैंडकफ किया गया और ग्रंथ साहब को बिलकुल निर्जन अकेला छोड़ दिया गया। इसके बाद ग्रंथ साहब को आग लगी और वह जल गए, यह एक नोन फैक्ट है । आज काहनसिंह पर से केस हटा लिया गया है क्योंकि शह नहीं पाई गई । दूसरे पुलिस अफसरों के खिलाफ इंक्वायरी बन्द हो गई। अब आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेप्सेज की बात करते हैं और उन लोगों के खिलाफ सरकार केसेज चला रही है जिन्होंने वार्निंग दी कि ग्रंथ साहब जलाए जायेंगे ।

श्री हरिदेव जोशी : काहनसिंह के खिलाफ इंक्वायरी हटाई नहीं गई है। काहनसिंह भी उन अफसरों में हैं जो कि ड्यूटी पर थे, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी चल रही है ।

श्री गुरबयालसिंह संधु : क्या यह सही है कि डी.आई.जी. रेंज, जो इंक्वायरी कर रहे हैं, के आफिस में ही यह काहनसिंह भी लगाया हुआ है ताकि वह इंक्वायरी को दबा सके, ठीक ढंग से कर सके ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं नहीं समझता कि डी. आई. जी. इतना कमजोर आदमी है कि उसको इंस्पेक्टर दबा दे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उस इंस्पेक्टर को बीकानेर रेंज से भी नहीं हटाया गया है । उसको ऐसी स्थिति में रखा गया है कि आज वह इन्क्वायरी को टैम्पर विथ कर सकता है । उनके रिकार्ड को छेड़ सकता है, मुल्जिमों को इन्फार्मेशन दे सकता है । कम से कम बीकानेर रेंज से तो उसको रिमूव कर देना चाहिए ।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे यह मालूम नहीं है क्योंकि प्रश्न में इसकी स्पेसिफिक बात नहीं थी । मगर मैं यह देखूंगा और यह सेफगार्ड लूंगा इस बात का कि काहनसिंह इसके अन्दर इंटरफियर नहीं कर सके ।

प्रश्न संख्या 14

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री जयकिशनलाल गो सावधा ।

Page No 22

(22)

फागी तहसील के ग्रामों का विद्युतीकरण

15. श्री जयकिशनलाल तोसावडा (फागी) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में सांभर सब–डिविजन में तहसील फागी के अलावा सब-तहसील हैड क्वार्टर पर विद्युतीकरण हो चुका है ? यदि हां, तो इस उपेक्षा का क्या कारण है ?

(2) विद्युत विभाग द्वारा तहसील फागी, हैड क्वार्टर पर विद्युत पहुंचाने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये और कहां कहां विद्युतीकरण किया गया ? और इस क्षेत्र के अन्य ग्रामों में विद्युत की लाइन कब तक पहुंचा दी जायेगी ?

विद्युत मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां, धनाभाव के कारण फागी का विद्युतीकरण अभी तक सम्भव नहीं हो सका है।

(2) फागी क्षेत्र में बिजली पहुंचाने के प्रयत्न किए गए हैं। गांव तो वर्ष 1974–75 तक विद्युतीकृत हो चुके हैं इसी वर्ष सांगानेर से रेनवाल तक एक 33 के. वी. लाइन लगाई गई और रेनवाल का विद्युतीकरण किया गया है।

श्री जयकिशनलाल तोसावडा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि प्रत्येक तहसील हैड क्वार्टर का विद्युतीकरण कर दिया जावे। बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि फागी तहसील जयपुर से केवल 30 माईल की दूरी पर है और तहसील हैड क्वार्टर है। इतनी कम दूरी होने के बावजूद भी मेरी समझ में यह बात नहीं आती जब कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उनकी मेहरबानी से फागी के छः गांवों को बिजली के लिए सैंक्शन किया था और उन्होंने अपने हाथ से किया था। इतना होने के बावजूद भी केवल मात्र फागी को छोड़ने में क्या दिक्कत है ? मेरा निवेदन करना है कि मैंने बार-बार माननीय देवपुरा जी को कहा है, कई दफा माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं निवेदन कर चुका हूं, कई दफा विशेष रूप से उनके पास जाकर निवेदन कर चुका हूं, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन सी ऐसी स्थिति है, कौन-सी ऐसी अड़चन आ गई है कि जिसके कारण इस फागी तहसील को इस तरह से अवहेलना की दृष्टि से देखा जाता है। इतना और निवेदन कर दूं कि इतने दिन तक यह भी था कि बीस साल से कांग्रेस को वोट नहीं पड़ते थे लेकिन अब तो मैं स्वयं वहां से जीत कर आया हूं। अब की बार 72 के चुनाव में लोगों ने कांग्रेस पार्टी के प्रति आस्था व्यक्त की है, मैं स्वयं वहां से जीत कर आया हूं और मैं यह भी निवेदन कर दूं कि और तहसीलों की वनिस्बत यदि कांग्रेस पार्टी चाहेगी तो फागी और चाकसू तहसील से चौगुने वोट कांग्रेस को दिलाने को तैयार हूं। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक साल पहले ही इलेक्शन कैम्पेन शुरू हो गया ?

श्री जयकिशन लाल तोसावडा : आप बैठे रहिए।

(शोरगुल–व्यवधान–अश्रव्य)

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

इसलिए मेरा निवेदन है ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कौन सी दिला दोगे। तुम तो महन्तजी के यहां भांग मिला रहे होंगे और अब तो भांग पर भी टैक्स लग गया है।

श्री जयकिशनलाल तोसावडा : आपका खानदानी असर है इसलिए नहीं रोक सकते।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : No direct talks.

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मेरे ही खानदान के आदमी हैं साहब, कहने दीजिए।

श्री जयकिशन लाल तोसावडा : मेरा निवेदन है कि खानदान तो आखिर आपका वही है ....

श्री अध्यक्ष : कहां पर हाण्डा साहब तक लम्बे चले गए। आप मंत्री महोदय से प्रश्न पूछना चाहते हैं वह पूछ लीजिए।

श्री जयकिशन लाल तोसावडा : मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय ....

श्री अध्यक्ष : थोड़े में कहिए और प्रश्न पूछ लीजिए। कहां इतने लम्बे चले गए।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : वास्तविकता इसमें क्या है, अध्यक्ष महोदय, कि अभी तक इस क्षेत्र को इग्नोर कर दिया गया है। राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार तो अभी तक इस क्षेत्र का विद्युतीकरण कर देना चाहिये था। मेरा निवेदन है कि तीस मील के अन्दर में से 20 माईल तक 33 के. वी. की लाइन चली गई है और सांगानेर से रेनवाल तक यह लाइन चली गई है और बाकी बचा है दस माईल का टुकड़ा ....

श्री अध्यक्ष : अब जवाब भी सुन लें। प्रश्न तो बहुत पूछ लिया।

श्री जयकिशन लाल तोसावडा : सब सैंटर बनने वाला है, बिजली वालों ने उसका सर्वे भी कर लिया है और फागी कस्बे से जोडना है तो क्या इस बजट के अन्दर इसको सैंक्शन कर दिया जायेगा ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, अभी तक ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : विद्युत् विभाग की बात कह रहे हैं या खानदानी विरुदावली बता रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : राज्य सरकार की यह नीति रही है कि तहसील हैड क्वार्टर्स को विद्युत् लाइन से जोड़ दिया जाय यह बात सही है, लेकिन कुछ तहसील हैड क्वार्टर्स ऐसे हैं जिनको अभी तक नहीं जोड़ा जा सका है। उनमें फागी भी एक है। इसमें एक मूल कारण यह रहा है कि फागी को नियरेस्ट जहां से कनेक्शन दिया जा सकता था वह जयपुर स्टेशन था। जयपुर से कनेक्शन देने में दिक्कत यह थी कि इसके लिए 33 के. वी. लाइन की आवश्यकता थी और उसके लिए 33 के. वी. लाइन को दो स्टेजेज में सैंक्शन किया गया था। एक तो सांगानेर से रेनवाल तक और दूसरा रेनवाल से फागी तक। रेनवाल तक लाइन पहुंचा दी है और अगले वर्ष यानि 76–77 में यह लाइन फागी तक पहुंचा दी जायगी और फागी

(श्री हीरालाल देवपुरा)
को भी विद्युत् कनेक्शन दे दिया जाएगा। इस फागी क्षेत्र का हमने एम. एन. पी. में सर्वे चालू करा दिया है . . .

श्री जयकिशन लाल तोसावडा : चुनाव से पहले अवश्य पहुंचा दें।

श्री हीरालाल देवपुरा : न केवल फागी को बल्कि कुछेक गांवों को भी विद्युत दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री रामगोपाल : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न ही शेष रह गया है। उसका भी जवाब हो जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 16।

हैड कान्सटेबल पुलिस स्टेशन कस्बा थाना कोटा के विरुद्ध शिकायतें

16. श्री रामगोपाल (किशनगंज) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि उदयभानसिंह, हैड कांस्टेबल पुलिस स्टेशन कस्बा थाना जिला कोटा के विरुद्ध शिकायतें विभागीय अधिकारियों को की गई थीं ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध आज तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : जी हां। श्री उदयभान सिंह, हैड कांस्टेबल पुलिस थाना कस्बा थाना जिला कोटा के विरुद्ध तीन शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें से एक शिकायत में जांच वृत अधिकारी शाहबाद द्वारा किये जाने पर आरोप प्रमाणित नहीं हुए। अन्य दो शिकायतों की जांच जारी है।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

चूरू जिले में समाज कल्याण अधिकारी का कार्यालय

9. श्री रावतराम आर्य (छापर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले में समाज कल्याण अधिकारी नहीं होने से यहां की जनता को बड़ी असुविधा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त समस्या की ओर सरकार का ध्यान समय-समय पर दिलाया गया है परन्तु अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला ? यदि हां, तो समाज कल्याण अधिकारी का कार्यालय कब तक खुल जायगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। चूरू जिले की जनता की सुविधा के लिये परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी कारागृह, बीकानेर का मुख्यावास बीकानेर से चूरू स्थानान्तर कर दिया है।

बनाडी बांध की योजना

10. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में कौन-कौन से नये बांध बनाने का कार्य शुरू किया जायगा ?

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

(2) क्या यह सही है कि कोटपूतली तहसील में बनाड़ी का बांध की योजना सरकार द्वारा काफी अर्से पूर्व बनाई जा चुकी है ? यदि हां, तो इसका कार्य कब से शुरू करने का विचार है ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में सर्वेक्षण पूर्ण होने व वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर जो कार्य शुरू किए जा सकते हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) कोटपूतली तहसील में बनाड़ी का बांध की योजना का सर्वे कार्य जारी है।

उपयुक्त धनराशि उपलब्ध होने पर इस योजना का कार्य सम्भव होगा।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की पुस्तकें

14. श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवा महल, जयपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कई पुस्तकें छः माह पूरे होने पर भी अब भी बाजार में उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो पुस्तकों के नाम सहित विलम्ब का कारण और दोषी अधिकारियों के नाम दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार की दृष्टि में छः माही परीक्षा तक पुस्तकों का न मिलना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है ? यदि खिलवाड़ है तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यपाल महोदय का संदेश

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि दिनांक 5 फरवरी, 1976 को राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर सदन द्वारा पारित धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्नांकित संदेश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है :–

''प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपका 12 जनवरी, 1976 का पत्र क्रमांक प. 10 (5) सदन/वि.स.76/1709 मिला। इस कृतज्ञता संदेश के लिये मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। आप कृपया उनके पास तक मेरे कृतज्ञता ज्ञापन को पहुंचाने का कष्ट करें।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

राष्ट्रपति महोदय से स्वीकृति प्राप्त विधेयक

श्री सचिव, विधान सभा (श्री रामजी लाल गुप्ता) : महोदय, मैं गत सत्रों में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त

Page No 26

(श्री सचिव)
हो चुकी है।

राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक :

1. मजदूरी विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक 1975

2. रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1972

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक :

1. राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन) विधेयक, 1976।

2. राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976।

3. राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1976।

3. राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1975।

5. राजस्थान स्मारक पुरातत्वीय स्थल एवं पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 1975।

6. राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1975।

7. राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन (निरसन) विधेयक, 1976।

8. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1975।

9. राजस्थान लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया विनियमन एवं विधि मान्यकरण) विधेयक, 1976।

10. राजस्थान विधान सभा सदस्य (निर्योग्यता निवारण) विधेयक, 1975।

11. राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1976।

12. राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1976।

अध्यादेश

श्री अध्यक्ष : अध्यादेश।

श्री हीरालाल देवपुरा (विद्युत् मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत् प्रदाय (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 1976 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1976) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विश्व विद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) अध्यादेश, 1975, (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1976) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय मैं निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं:—

1. राजस्थान भूमि (अन्तरण पर निर्बन्धन) अध्यादेश, 1976 (अध्यादेश संख्या 3 सन् 1976)

(श्री रामनारायण चौधरी)

2. राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1976)।

अधिनियम

श्री अध्यक्ष : अधिनियम।

श्री खेत सिंह (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज भाषा (अनुपूरक उप बंध) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत राजस्थान नौ चालन विनियमन अधिनियम, 1956 के परिशोधित हिन्दी पाठ सदन की मेज पर रखता हूं।

अधिसूचनायें

श्री अध्यक्ष : अधिसूचनायें।

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : (राजस्व मंत्री की ओर से) : अध्यक्ष महोदय मैं राजस्व विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं।

अधिसूचना संख्या 1 से 6।

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 21 (1) राज।उप।75, दिनांक 27 जनवरी, 1976

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 21(10) राज।उप।75, दिनांक 2 फरवरी, 1976

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 4(11) राज।उप।75, दिनांक 21 फरवरी, 1976

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 21(10) राज।उप।75, दिनांक 7 फरवरी, 1976

(5) अधिसूचना संख्या एफ. 4(12) रेव।कोल।75, दिनांक 16 फरवरी, 1976

(6) अधिसूचना संख्या एफ. 4(5) राज/उप।75।भाग, दिनांक 31 जनवरी, 1976।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : राजस्व मंत्री आप कब से हैं ?

श्री खेतसिंह : टेम्प्रेरी हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री वित्त मंत्री।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें 1 से 6 सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना संख्या प. 5(88) वि. वि.।वा.क।71–2, दिनांक 12 जनवरी, 1976

(2) शुद्धि पत्र संख्या एफ. 5(88) एफ.डी.।सी.टी.।71–6, दिनांक 26 फरवरी, 1976

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 2(25) एफ.डी.।ग्रुप–4।75–5, दिनांक 13 फरवरी, 1976

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 2(62) एफ. डी.।ग्रुप–4।75–3, दिनांक 13 फरवरी, 1976

(5) शुद्धि पत्र संख्या प. 6(1) वित्त। ग्रुप–4।73, दिनांक 9 जुलाई, 1975

(6) अधिसूचना संख्या एफ. 5(118) एफ.डी.।सी.टी.।71–4, दिनांक 13 फरवरी, 1976.

श्री मोहन लाल छंगाणी (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं 1 से 10 सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना संख्या प. 9 (10) गृह।ग्रु.प–7।75, दिनांक 23 सितम्बर, 1975

(2) अधिसूचना संख्या प. 1 (3) (55)परि।74, दिनांक 22 जुलाई, 1975

(3) अधिसूचना संख्या प. 9(1)गृह। ग्रु.प–7।75, दिनांक 30 अप्रेल, 1975

(4) अधिसूचना संख्या प. 9(1)गृह। ग्रु.प–7।75, दिनांक 4 जून, 1975

(5) अधिसूचना संख्या प. 9(1)गृह। 7।75, दिनांक 21 अक्टूबर, 1975

(6) अधिसूचना संख्या प. 9 (5) गृह।ग्रु.प–7।75, दिनांक 10 अप्रेल, 1975

(7) अधिसूचना संख्या प. 1 (3) (68) परि।74, दिनांक 5 अप्रेल, 1975

(8) अधिसूचना संख्या प. 1 (9) (21) परि।71, दिनांक 12 सितम्बर, 1975

(9) अधिसूचना संख्या प. 1 (3) (29) परि।74, दिनांक 17 मई, 1976

(10) अधिसूचना संख्या प. 1 (3) (14) परि।74, दिनांक 17 मई, 1975

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:–

(1) कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उपधारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1974–75 का 14 वां वार्षिक प्रतिवेदन

(2) राजस्थान वित्त निगम अधिनियम 1951 की धारा 39 की उपधारा 7 के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम के वर्ष 1974–75 को समाप्त होने वाले वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन।

श्री हीरालाल देवपुरा (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उपधारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत नेशनल प्रोजेक्ट्स कांस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का 17 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1973–74 को सदन की मेज पर रखता हूं।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन–उपस्थापन हेतु समय वृद्धि।

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन।

श्री श्रीराम गोटेवाला (सभापति, विशेषाधिकार समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन द्वारा विशेषाधिकार समिति को क्रास एग्जामिनेशन पत्रिका के सम्पादक एवं मुद्रक के विरुद्ध निर्दिष्ट विशेषाधिकार प्रश्न पर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : क्या इसके लिए सदन की अनुमति है ?

श्री मोहम्मद गफ्फ़ार अली : अध्यक्ष महोदय, प्रिविलेज कमेटी का क्या काम रह गया है। अगले सत्र तक तो इस सदन का कार्यकाल समाप्त हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि समय में वृद्धि की जावे ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसके लिए पाबंद कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : इतना ही कहना पर्याप्त होगा।

कार्य सलाहकार समिति का 24 वां प्रतिवेदन

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 24-वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि कार्य सलाहकार समिति के 24 वें प्रतिवेदन पर यह सदन सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

स्वीकृत किया गया।

श्री अध्यक्ष : शासकीय संकल्प।

शासकीय संकल्प

नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम, 33) का अंगीकरण

श्री खेतसिंह (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:--

"यत: राजस्थान राज्य के विधान मण्डल का सदन नगरीय जमाव में खाली भूमि पर अधिकतम सीमा निर्धारण अधिरोपित करने, अधिकतम सीमा से अधिक ऐसी भूमियों के अर्जन के लिये, ऐसी भूमियों में भवनों के निर्माण को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित मामलों के लिए, नगरीय भूमि के कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में जमा हो जाने और उसमें सट्टाबाजी और मुनाफाखोरी को निवारित करने और सामान्य हित के लिए उपयोगी बनाने के लिये नगरीय जमाव में भूमियों के न्याय संगत वितरण की दृष्टि से उपबन्ध करना समीचीन समझता है।

और यत: संसद को संविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में उपबन्धित के सिवाय, उपरोक्त मामलों के सम्बन्ध में राज्यों के लिये विधि बनाने की शक्ति नहीं है।

और यत: यह सदन इस मत का है कि उपरोक्त मामला राजस्थान राज्य में संसद द्वारा अधिनियमित नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976, 1976 का केन्द्रीय अधिनियम, 33 द्वारा विनियमित किया जाना चाहिये।

(श्री खेतसिंह)

अतः अब संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में राजस्थान राज्य के विधान मण्डल का यह सदन निम्न संकल्प लेता है:—

"राजस्थान राज्य इस राज्य के लिए नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 33) अंगीकार करता है।"

अध्यक्ष महोदय, यह संकल्प इसलिए लाने की आवश्यकता पड़ी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) में ऐसा प्रावधान है कि इस कानून के पास होने के बाद में भी जब तक विधान मण्डल इसको स्वीकार नहीं कर लेता है, इसको अंगीकार नहीं कर लेता है तब तक उन राज्यों के अन्दर इस अधिनियम का जो प्रभाव होना चाहिए वह प्रभाव नहीं हो सकता। इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि जब भारतीय संसद ने इस अधिनियम को पास कर दिया तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि जल्दी से जल्दी इसको अंगीकार कर लें जिससे हमारे राज्य के अन्दर भी यह प्रभावित हो जाय। यदि हम देरी करते हैं तो कई पूंजीपति, राजा-महाराजा जिनके पास में इस प्रकार की शहरी भूमि ज्यादा है वह नाजायज लाभ उठाने में लग जायेंगे। उस दृष्टि से यह आवश्यक था कि सर्वप्रथम हम इसको अंगीकार करें जिससे इस प्रकार की गलतियां न हो सकें और इस प्रकार का नाजायज लाभ न उठा सकें।

मैं इसमें आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह केन्द्रीय अरबन सीलिंग रेग्युलेशन एक्ट, 1976 अपने राजस्थान के 5 शहरों पर लागू होगा। वह शहर हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर व कोटा। इस अधिनियम के अन्तर्गत पूरे भारत के सभी नगरों को चार श्रेणियों में बांटा गया है—ए, बी, सी एण्ड डी। राजस्थान के दो शहर तो सी श्रेणी में आते हैं जयपुर और जोधपुर। बीकानेर, अजमेर और कोटा यह डी श्रेणी में आ सके हैं। सी श्रेणी के नगरों में अधिकतम सीमा 1500 वर्ग मीटर रखी गई है और डी श्रेणी में आने वाले शहरों के लिए अधिकतम सीमा 2000 वर्ग मीटर रखी गई है। इसके अलावा राज्य सरकार को यह भी अधिकार है कि केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेकर बी श्रेणी में और भी किन्हीं नगरों को यदि सम्मिलित करना चाहे तो उनको किया जा सकता है।

इस अधिनियम के तहत जो भूमि अधिग्रहण की जायगी उसके लिए मुआवजा देने का प्रावधान है और उसका प्रोसीजर भी इसमें ले डाउन किया गया है। दूसरा इसमें दिया गया है कि हरएक व्यक्ति जिसके पास में ज्यादा जमीन है उसको एक फार्म भरकर अपीलेट ऑफिसर के पास में पेश करना पड़ेगा और जमीनों का मूल्य अंकित करना पड़ेगा। आथोराइज्ड आफिसर जांच के बाद में जो फैसला देगा उसी के अनुसार उन्हें मुआवजा दे दिया जायेगा। यह अधिनियम राज्य सरकार की संपत्ति, राजकीय कम्पनीज, बैंकों, धार्मिक संस्थाओं व सहकारी समितियों, शिक्षण संस्थाओं, तकनीकी संस्थाओं आदि पर लागू नहीं होगा, और इस अधिनियम में और जितने भी व्यक्ति हैं उन पर लागू होने के

(श्री खेतसिंह)

बाद जो जमीनें इस तरह से अधिग्रहित की जायेंगी उनको औद्योगिक मजदूरों तथा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के दरम्यान आवंटित किया जायगा, जिससे कि हमारी प्रधान मंत्री जी द्वारा जो 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की गई है उसके अनुसार हम सही रूप में शहरी भूमि का समाजीकरण कर सकेंगे।

यह मैंने कुछ उद्देश्य आपके सामने रखे हैं, और मेरा आपसे निवेदन है कि एक प्रगतिशील संकल्प मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसको आप सर्व सम्मति से कम से कम समय में पारित करके इसको सफल बनायेंगे जिससे यह जल्दी से जल्दी लागू हो जाय। यदि आज ही पारित करें तो आज से ही लागू हो जायेगा तो इस राज्य के अन्दर पांच शहरों के अन्दर किसी प्रकार का नाजायज लाभ लोग न उठा सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : इस संकल्प पर वाद-विवाद दो बजे तक चलेगा। उसके बाद बजट पर सामान्य वाद-विवाद शुरू होगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह एक प्रगतिशील एक्ट है, और हमको लागू करना है। प्रश्न सिर्फ यही है कि जिन हालात में हमने अपना शहरी संपति का कानून बनाया था, वह मैं समझता हूं जिस पर एसेन्ट नहीं मिली हमारे गवर्नर साहब की, और प्रसीडेंट साहब की, वह ज्यादा अच्छा था। उसमें जो लैण्ड की डेफिनेशन थी उसमें वह सब एरिया आता था जो कि कवर्ड एरिया भी होता है। मैंने इस एक्ट का अध्ययन किया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह कानून जो लाया गया है वह सही दिशा की तरफ तो है, लेकिन राजस्थान के हालात के अन्दर हमारा जो सीलिंग का कानून था जिसको आज तक एसेन्ट नहीं मिली और वह लाइब्रेरी के एक खामोश कोने में डाल दिया गया उसको हमें अपनाना चाहिए था।

(12.16 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

जहां तक खाली जमीन के लेने का सवाल है इसके बारे में बहुत वर्षों पहले राज्य सरकार ने यहां पर कानून बनाया था कि जो जमीनें खाली पड़ी हुई हैं उनको खाली न रहने दिया जाय और उनके ऊपर टैक्स लगाया जाय। इसलिए जो वह कानून हमने बनाया था वह भी इस दिशा में बहुत अच्छा कदम उठाया था, लेकिन उसको हम लागू नहीं कर सके, क्योंकि उसके खिलाफ हाई कोर्ट में रिटें पेश हो गईं। मेरा यह निवेदन है कि क्या हमारे लिए यह आवश्यक है कि इस बिल को, इस एक्ट को जैसा कि सेन्टर में पास हुआ है उस शक्ल में लागू करें या कुछ ऐसी तरमीम करें जो कि राजस्थान के हालात के अनुसार फायदेमन्द है? क्या यह सम्भव है कि इसमें हम संशोधन करें कि उस एरिया, जो इसमें खाली जमीन तक ही सीमित रखा गया है, के अन्दर इमारतें और कवर्ड एरिया है या वह एरिया, जिस पर मकानात बनाये गये हैं, को भी जोड़ दिया जायेगा? क्या यह सम्भव नहीं है? यदि यह

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

सम्भव नहीं है तो क्या हम यह सोच सकते हैं कि हम कोई इन्डिपेन्डेन्ट बिल इस सिलसिले में ला सकते हैं ? मेरा निवेदन यही है कि आखिर जिस बिल को बहुत अच्छा मान कर राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया था, जिसमें कुछ पाबन्दियां लगाई थीं ट्रान्सफर वगैरह की, जिसमें कवर्ड एरिया को भी इन्क्लूड किया गया था उस बिल को आज कन्सीडर करने को तैयार नहीं हैं। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को इस विषय में पूरी आजादी है कि वह अपने हालात के अनुसार अपने एक्ट बनाये। ऐसा पहले भी, मैं सोचता हूं, राज्य सरकार द्वारा यह आश्वसन दिया गया था, और आज भी वही स्थिति है। तो सबसे पहले जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि क्या इस एक्ट को हम इसी शक्ल में पास करें या इसमें यह तरमीम करें कि जो लैण्ड की डेफिनेशन है उस लैण्ड की डेफिनेशन को परिवर्तित किया जाय ? दूसरी चीज मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि इस एक्ट के अन्दर जो म्युनिसिपल एरिया के अन्दर जमीनें हैं उन्हें जो सोचकर रखा गया है, इस बिल में इन्कार्पोरेट किया गया है वह यह है कि अगर कोई एग्रीकल्चर लैण्ड म्युनिसिपल लिमिट में है तो उसके ऊपर यह एक्ट लागू होगा। मैं यह समझता हूं कि राजस्थान के हालात के वह अनुकूल नहीं है। यहां पर जयपुर शहर के आस पास बहुत सी जमीनें हैं जिन पर एग्रीकल्चर लैण्ड कह कर काश्त की जा रही है, चाहे पुरानी बस्ती में हो, चाहे मिर्जा इस्माइल रोड पर हो, उनमें ऐसी जमीनें हैं जिनकी काश्त की जमीनें हैं, कह कर दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या यह सम्भव है कि इस सम्बन्ध में यह निर्णय ले लें कि 10 मील के एरिया के अन्दर या जो म्युनिसिपल लिमिट है उस म्युनिसिपल लिमिट में जितनी भी जमीनें हैं चाहे काश्त की हों, चाहे वहां आबादी की हों, वह आबादी की समझी जायेंगी, वह अरबनाइजेबल लैण्ड है और अरबनाइजेबल होते हुए अरबन डिक्लेयर किया जायेगा, उसको शहरी आबादी की जमीन डिक्लेयर किया जायगा। मैं यह समझता हूं कि अगर यह डेफिनेशन, यह परिभाषा नहीं बदली जाती है तो उसका मतलब यह होगा कि जो बहुत सी ऐसी जमीनें लोगों के पास में हैं, उनके कब्जे में हैं, मकान के अलावा बहुत बड़े फार्म्स पड़े हुए हैं, बहुत से लोगों के पास में वह फार्म हैं वह बड़े-बड़े खेत इस एक्ट की परव्यू से निकल जायेंगे और जो हमारी बहुत बेशकीमती जमीनें हैं उनके ऊपर हम नहीं लगा सकेंगे।

दूसरा निवेदन जो मैं करना चाहता था वह यह है कि इस एक्ट में जो सबसे बड़ी खामी दिखती है वह यह है। अभी आपने सुना, आपका जो एक्जम्पशन का क्लॉज है, उसमें रिलीजियस ट्रस्ट और चैरिटेबिल ट्रस्ट और चैरिटेबिल ट्रस्ट के नाम से कुछ बोगस ट्रस्ट कायम किये जाते हैं। इस प्रकार से पैसे का दुरुपयोग किया जाता है खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग किया जाता है। उनके ऊपर कोई चेक नहीं लगाया जाता है, क्यों? सरकारी अफसरों को उसके बारे में बहुमत रहती है। आर्टिकल 19 में यह साफ लिखा है। जो चैरिटेबिल ट्रस्ट हैं, उनको एक्जेम्प्ट किया जावेगा। सेक्शन 19 में

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

उनको एक्जेम्प्ट किया जाएगा। तो मेरा निवेदन यह है कि यह किस आधार पर किया जायेगा? यह कुछ भी साफ नहीं है। प्राविजन यह है कि उसको उस वक्त तक ही चैरिटेबिल ट्रस्ट समझा जायगा जब तक उसे उसी रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। जब उसका करेक्टर बदल जाएगा तो वह नहीं रहेगा। मैं अभी यह मतलब नहीं समझ पाया हूं कि जिस रिलीजियस ट्रस्ट, चैरिटेबिल ट्रस्ट की हजारों बीघा जमीन है, जिसमें कि बहुत से किरायेदार हैं, उस किराये के पैसे को उस महन्त के परिवार पर ही खर्च किया जाये। क्या आप समझते हैं कि यह सही यूटिलाइजेशन है? तो मैं चाहूंगा कि ट्रस्ट के मामले में गवर्नमेंट का यह क्लेरीफिकेशन होना चाहिए जिसका कि लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। उनकी आय उनके परिवार पर खर्च हो जाती है। बहुत से ऐसे मन्दिर हैं जो राजाओं और महाराजाओं के नाम से पुकारे जाते हैं। तो जब हमने अपना एक्ट बनाया था, उसमें बहुत सी खूबियां थी। लेकिन वह नहीं लाया जा सका है। यह सही है कि इस दिशा में जो केन्द्र की तरफ से कदम उठाया गया है, बीस सूत्री कार्यक्रम का एक कदम है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के अन्दर इस प्रकार के जो जमीन और मकान थे जो कवर्ड हैं जिनके आगे पीछे दस दस फीट छोड़ा गया है ऐसी बहुत कम जमीन रह जायेंगी जो आपको मिल सकेंगी। हमें ऐसा मौका मिला है, जिन जागीरदारों की हजारों बीघा जमीन पड़ी हुई है, हम उसको ले सकेंगे लेकिन वहां बड़े बड़े मकानात बन गये हैं। कवर्ड एरिया में हाथ नहीं डाल सकेंगे।

जहां तक इस बिल से अच्छाई होने की है, मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो बिल बनाया था, वह ज्यादा अच्छा था। राज्य सरकार यह मानती है कि वह अच्छा था। हमको ऐसे अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। यह सही है कि हमको इस एक्ट को पास करने में देरी नहीं करनी चाहिए। कुछ तरमीम करके इस सेशन में ला सकें और पास कर सकें। इसीलिए इसी सदन में सीलिंग कानून को जल्दी से जल्दी लागू कराया जा सकता है। जो जयपुर, भरतपुर, अलवर, रियासतें हैं उनकी जमीनों में जो इण्डस्ट्रीज हैं, वह सब कवर हो जाती हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं मैं चाहता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी लाया जाये। लेकिन इसमें कई खामियां हैं। उनके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि खामियों के बारे में, उनको दूर करने के लिए हमारा बिल है, उसको सदन में लिया जाये।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

इस प्राविजन के तहत इसको लागू कर सकते हैं। इसकी डेफीनेशन में तब्दीली करने का रास्ता निकालें। इसका जो यूटिलाइजेशन होता है, उसको समझें। क्या लाखों रुपया वसूल होता है, बोर्ड के काम नहीं आता है? मैं समझता हूं कि वह नहीं है। लोग अपने इस्तेमाल में उसे लें। अपनी जिन्दगी बसर करें। मैं समझता हूं कि इस दृष्टिकोण से राज्य सरकार द्वारा चेष्टा की जाये। मैं इस बारे में निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार इस पर गौर करे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

(अनुपस्थित)

श्री दीपंकर ।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, इस प्रस्ताव के सिलसिले में जिस तरीके से माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने, कानून मंत्री जी ने कहा, जहां तक सम्भव हो सके, विचार कर लिया जाएगा। आजकल शहरों में आवासीय भूमि पर लोग कब्जा कर रहे हैं। परन्तु दूसरा दायरा सीमित रहा है। इससे हमारे प्रदेश को अधिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए राजस्थान की स्थिति को ध्यान में रखते हुये हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि इस प्रकार की परिभाषाओं में ऐसी जमीन को नहीं छोड़ें जो भूमि अवाप्त की जा सके। यह बहुत ही प्रगतिशील कदम है। मैं इस प्रस्ताव का तहेदिल से समर्थन करता हूं। हमारे यहां कानून से बचने के लिए उनके कार्य कलाप ऐसे हैं, जिनसे उनको बड़ी मदद और सहारा होता है। वह लोग कानून की गिरफ्त में नही आते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से जैसा कहा गया है। जो वीकर सेक्शन है, उसको जमीन दी जाये। तो उन्होंने कुछ योजना बनाई। परन्तु मैं एक जिले की बात, नागौर जिले की नगरपालिका की कह सकता हूं कि आठ नगरपालिकाओं में से चार नगरपालिकाओं ने भूखण्ड की व्यवस्था की और चार ने कह दिया है कि हमारे पास जमीन ही नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारा ध्यान उन नगरपालिकाओं तक भी जाये जिनके पास काफी जमीन है और जो धनाढ्य लोग हैं और जो स्टेट से बाहर रहते हैं और अच्छा कमाते हैं जिनकी यहां पर लम्बी चौड़ी जमीनें हैं उनसे भी वह ली जा सके और किसी तरीके से टाउन एरिया में रहने वाले, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, लोगों वह जमीन कम कीमत पर आवासीय व्यवस्था के लिये उपलब्ध कराई जाये की व्यवस्था की जा सके। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को और अधिक प्रगतिशील बनाने के लिये राज्य सरकार कुछ कोशिश करेगी। इसी मंशा के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह सन्धु ।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : मैं तो बोल चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल (पाली)।

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय विधि मन्त्रीजी ने रखा है उसके लिए मैं उनको तहेदिल से बधाई देना चाहता हूं। यह बात जरूर है कि हमने अर्बन सीलिंग के लिये यहां पहले एक कानून बनाया था और उसको किन्हीं कारणों से राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली। अर्बन सीलिंग कानून बनाने की क्षमता राज्यों का अधिकार है और हमारी विधान सभा उस पर पुनर्विचार करके कानून बना सकती है, जैसा कि अभी गफ्फार साहब ने कहा है, लेकिन प्रश्न यह है कि अगर हम कानून की पेचीदगियों के अन्दर जावें और उसको पास करने में विलम्ब हो जाय तो जो यह कानून हम लाना चाहते हैं जिस उद्देश्य से वह उसका मकसद ही उससे दूर हो जायेगा। जैसे कि पहले हमने कृषि

(श्री शंकर लाल)

भूमि की सीलिंग का कानून लागू करते समय जो एक लैण्ड सलाहकार समिति बनाई थी और लोगों ने कानून से बचने के लिये कई प्रकार के हस्तान्तरण और ट्रांसफर्स कर डाले और सीलिंग कानून का जो मकसद है वह पूरा नहीं हो सका क्योंकि उससे बचने के लिए लोगों ने कई प्रकार की कार्यवाही कर डाली। उसी प्रकार से शहरी सम्पत्ति के इस कानून को एकदम पास न करें और राज्य के लिए एक अलग कानून बनाने की लम्बी प्रक्रिया को अपनाया जाय तो बहुत लम्बा समय लग सकता है जिससे कि उन लोगों को अवसर मिल सकता है जो इससे बच सकते हैं और कई तरह के उपाय वे इससे बचने के लिये निकाल लेंगे और हमारा जो असली मकसद है वह पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं इस बात की दृढ़ राय रखता हूँ कि वास्तव में जो यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उस एक्ट को तुरन्त लागू करने के लिए सर्वसम्मति से स्वीकार हो जाना चाहिए। यह बात जरूर है कि जैसा कि वित्त मंत्रीजी ने बताया, वह धारा 251 के सब-क्लाज (1) के अन्दर संकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं, सब-क्लाज (2) के अन्तर्गत नहीं। संविधान की धारा 251 की जो सब-क्लॉज (2) है उसमें यह उल्लेख है कि जैसा कि विधान के अन्दर है कि अगर यह कानून यों का यों ही लागू कर देते हैं तो इसमें कई दिक्कतें आ सकती हैं और खास तौर से यह कि फिर इस कानून में किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार हमारे राज्य मंडल को नहीं रहेगा। मैं विधि मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि जब कि उन्होंने जो यह संकल्प प्रस्तुत किया है, 25 के सब-क्लॉज (2) पर जो बात कही है उसमें यह लिखा हुआ है कि—"संसद द्वारा इस प्रकार पारित कोई अधिनियम इस रीति से पारित या अंगीकृत संसद के अधिनियम से संशोधित या निरस्त किया जा सकेगा, किन्तु किसी राज्य के सम्बन्ध में जहां कि वह लागू होता है, उस राज्य के विधान मण्डल के अधिनियम से संशोधित या निरस्त किया जायेगा। इसलिए गफ्फार साहब ने कहा था कि हम अमेण्डमेन्ट लायें, और अगर इस कानून को लागू करते हैं तो विधान सभा को संशोधन का अधिकार नहीं रहना है। इसलिए यह बात तो जरूर है कि हमारे राज्य की कई प्रकार की परिस्थितियां हैं और शहरी सम्पत्ति के सम्बन्ध में कई प्रकार की समस्यायें भी हैं, जिस प्रकार से गफ्फार साहब ने भी कहा कि अलग अलग आबादी वाली जगहों में अलग अलग प्रकार की समस्यायें हो सकती हैं, उन सभी बातों पर भी विचार किया जाय। यह बात जरूर है कि राज्य सरकार को चाहिए कि राजस्थान के अन्दर शहरी सम्पत्ति के बारे में आप जिन नगरों में इसको लागू करने जा रहे हैं उसी प्रकार से इसको दूसरे नगरों में किस प्रकार लागू किया जाना है और हमारे राजस्थान की कैसी परिस्थितियां हैं, उसके बारे में विचार विमर्श करने के लिए एक समिति बनायी जाय। लेकिन वह समिति विचार करे और उसके बारे में राज्य सरकार को सलाह दे उस समय तक इसकी क्रियान्विति के लिये ठहरा जाय, इस कानून को पास न करें यह बहुत ही घातक होगा। इसलिए जो कुछ भी सरकार ने संकल्प रखा है उसको तो

(श्री शंकर लाल)

तुरन्त सर्व सम्मति से स्वीकार कर लिया जाय और लागू कर दिया जाय।

इसके इम्प्लीमेन्टेशन के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह संकल्प पास हो जाने के बाद इसकी क्रियान्विति के लिये जो कुछ आपको करना है वह जल्दी से जल्दी किया जाय, क्योंकि कानून पास होते ही इसका जिन लोगों पर प्रभाव पड़ने वाला है वह कानूनी पेच निकालेंगे और इस प्रकार के स्टेप्स उठायेंगे जिससे कि वह इससे बच निकल सकें। इसलिए इसकी क्रियान्विति सरकार को बहुत शीघ्र ही करने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे और जिस प्रकार से भूमि के सीलिंग के कानून की क्रियान्विति के लिये बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कदम उठाये गये हैं उसी तेजी से इस कानून की क्रियान्विति के लिये भी कार्यवाही करनी पड़ेगी और शहरों के अन्दर तेजी से इसकी क्रियान्विति की जायेगी तो इसकी जो मंशा है वह पूरी हो सकेगी। इसलिए सबसे पहले तो इसको सर्वसम्मति से स्वीकार करना चाहिए और भविष्य के लिये सरकार को राजस्थान की परिस्थितियों को देखते हुए इस पर विचार करने के लिये एक समिति बना देनी चाहिए ताकि आगे जाकर इसका किस प्रकार का रूप आयेगा, वह देख लिया जाय। इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

(अनुपस्थित)

श्री ओंकारलाल चौहान।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अर्बन सीलिंग एक्ट सैन्टर से आया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि वास्तव में जो यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उसको हम पूरा करना चाहते हैं। इसमें कई प्रोविजन्स इस प्रकार के हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान जाना आवश्यक है। पहली बात तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस एक्ट की कापी आज ही मिली है और किसी भी कानून को पारित करने के लिये, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उसकी डिटेल्स में जाना आवश्यक है। कानून को पास करने से पहले यह भी देखना चाहिए कि वह हमारे प्रदेश की परिस्थितियों के अनुकूल किस प्रकार से रहेगा और हमारे प्रदेश की क्या परिस्थितियां हैं, हमारे प्रदेश की क्या क्या समस्याएं हैं, वह उसके अन्दर समावेश हो गई या नहीं, और क्या बाधायें हैं। उन सब बाधाओं को दूर करते हुए कानून को पारित किया जाता है तो मैं समझता हूं, मान्यवर, कि वह कानून जनता के हित के लिए होता है। लेकिन यह एक ऐसा कानून है जिसका कि काफी समय से हमको इन्तजार था और यह एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कानून है। आज के इस वातावरण के अन्दर जब कि सरमायेदार हैं चाहे वे जमीनों के मालिक हों, या कृषि भूमि के मालिक हों, जिनसे देश में असन्तुलन बढ़ता है तो इस प्रकार के कानून की बहुत ही आवश्यकता है जिससे कुछ सीमायें बनें, जिससे और दूसरे लोग जो शहर में रहते हैं उनको भी न्याय मिल सके। इसलिए मैं इसका स्वागत

(श्री ओंकारलाल चौहान)

करता हूं, यह कानून एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और आवश्यक है। लेकिन मैं इसकी डिटेल में जाना चाहता हूं, एक दो–उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा। क्लॉज (2) के अन्दर वेकेन्ट लैण्ड की डेफिनेशन दी गई है, उसके अन्दर :

"'Vacant land' means land, not being land mainly used for the purpose of agriculture, in an urban agglomeration,...."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर की आड़ के अन्दर आज भी यह सरमायेदार पनप रहे हैं। इसको हमें समाप्त करना चाहिए। इसे समाप्त करने के लिए इस प्रकार का समाजीकरण, सोशलाइजेशन का कानून है वह लाया गया है। इसलिए इसकी डेफिनेशन में तरमीम होनी चाहिए। आज दिक्कत है चूंकि समय कम है,. कानून लाया गया है, वह पास करना है। लेकिन इसमें कमियां हैं, डिफेक्ट हैं, लेकुना हैं—उनकी ओर भी ध्यान जाना चाहिए ताकि कानून बने वह ऐसा बने जिससे जनता का पूरा हित हो सके, प्रान्त में रहने वाले लोगों का पूरा हित हो सके। और उसके साथ ही कहीं ऐसा नहीं हो कि कानून पास कर देवें लेकिन जमीन नहीं मिले। जो बड़े बड़े सरमायेदार, धनी लोग जमीन पर बैठे हुए हैं, जमीन पर कब्जा किये हुए हैं, उनके हाथ से वह जमीन न निकले तो फिर ऐसे कानून को लाने का क्या फायदा ? मान लीजिये, जमीन कम प्रदेश में उपलब्ध होती है और मांग ज्यादा है, गरीब लोग ज्यादा हैं, लोगों के पास जमीन नहीं है, बेसहारा हैं, बेसहारा होते हुए लोगों के पास रहने के लिए आवासीय भूमि नहीं है, उनको जमीन उपलब्ध कराने के लिए, मुहैय्या करने के लिए यह कानून लाया गया है।

मैं यह निवेदन करने जा रहा था कि यह डेफिनेशन है, इसके अन्दर नगरपालिका की सीमा जो आयी है, सीमा के अन्दर दस मील की सीमा है—उसमें ऐसी कई दिक्कतें महसूस होंगी, कई ऐसी चीजें आयेंगी जिनसे उन लोगों की जमीन नहीं ले सकेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर लोगों की जमीन नहीं ले सकते हैं तो जमीन वास्तव में कम उपलब्ध होगी। जब जमीन उपलब्ध कम होगी तो हम लोग या सरकार जो सोशलाइजेशन के कानून को कार्यान्वित करना चाहती है, उस अंश में इसे कार्यान्वित नहीं कर पायेगी क्योंकि हमारे सामने कानूनी अड़चनें आयेंगी। जो लोग जमीन दबाये हुए हैं, जमीन पर बैठे हुए हैं, वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेंगे और वहां जाकर इस प्रकार की बाधायें आयेंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक्जेम्प्शन के लिए सेक्शन 19 है, उसमें है जो चेरीटेबिल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट बनाये गये हैं, उनके लिए और उसमें आगे प्रोविजन है सेक्शन 19 में, कोआपरेटिव सोसाइटी के लिए एक्जेम्प्शन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह देखा गया है कि कई कोआपरेटिव सोसाइटी बोगस हैं, काम नहीं करती हैं। ऐसी चेरीटेबिल इन्स्टीट्यूशन हैं जो जनता के हित में नहीं हैं, स्वयं के वेस्टेड इन्ट्रेस्ट को सर्व करती हैं। हमारा मकसद यह होना चाहिए, वेस्टेड इन्ट्रेस्ट को खत्म करना चाहिए। उनके विपरीत कदम उठा कर ऐसी संस्थाओं को खत्म करना चाहिए जिससे जनता के हित में कानून बने।

(श्री ओंकार लाल चौहान)

मैं यह निवेदन करने जा रहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए था। ध्यान देकर हम उनमें संशोधन करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह ज्यादा काम्प्रीहैंसिव एक्ट बनेगा और जनता के हित में ज्यादा मुफीद होगा। हमारा राजस्थान का लैंड सीलिंग एक्ट बना, वह कई कारणों से नहीं आ सका। वह ऐसा बिल था जिसमें कई बातें ऐसी थीं जो प्रदेश के अनुकूल थीं। प्रदेश का कानून ऐसा बनता है, ऐसा बनाना पड़ता है, ऐसा बनाना चाहिए जो वहां की परिस्थितियों के अनुकूल हो। ऐसा नहीं हो कि कानून बने और वह वहां की परिस्थितियों के विपरीत हो और उस कानून से लोग बच सकें क्योंकि लोग काफी चालाक, होशियार और अकलमन्द होते हैं बल्कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी कई एजेंसीज काम करती हैं। वह एजेंसीज इस ताक में रहती हैं कि कानून बने उसके अन्दर कोई लेकुना या लूप होल हो ताकि बच सकें और जिस आब्जेक्टिव, मोटिव से कानून को बना कर मोटिव अचीव करना चाहते हैं उसमें बाधा आवे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और तहेदिल से राज्य सरकार को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन इसमें जो कानूनी अड़चनें दिखती हैं उनकी ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि प्रोग्रेसिव एक्ट है, राज्य सरकार इसे पास करना चाहती है। हम भी चाहते हैं कि सोशलाइजेशन हो और सोशलाइजेशन होकर गरीबों को न्याय मिले। इन शब्दों के साथ पुनः मैं इसका स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं दो मिनिट बोलना चाहता हूं।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : आप बोल लीजिये। मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। जो डिस्कशन हुआ····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : दो मिनिट··

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

श्री हरिदेव जोशी : मैं अन्तिम रूप से उत्तर नहीं दे रहा हूं किन्तु कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके बारे में मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है, पार्लियामेन्ट ने इस एक्ट को पास किया; उस समय हमारी असेम्बली सेशन में नहीं थी, इसलिए हम इसको अडॉप्ट नहीं कर सके थे। सब लोग यह बात जानते हैं कि जिस कानून को हमने पास किया था, वह कानून अमल में नहीं आ सका। अब एक नये प्रकार का कानून देश भर में आ रहा है। हमारे पास में एक ऑप्शन है कि हम उस लाइन में खड़े नहीं रहे और अमुक प्रकार का रिजोल्यूशन नहीं लाये और सोशलाइजेशन हम न करें। मगर यह हमारी रीति नीति के विरोध में होगा इसलिए कि हम चाहते हैं कि सोशलाइजेशन होवे। हमारे पास में सिवाय इसके कि अर्लिएस्ट पॉसिबल इस रिजोल्यूशन को पास कर देवें, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कल अगर हम सदन में ला सकते तो कल ले आते, लेकिन

(श्री हरिदेव जोशी)

कल पासिबिल नहीं था इसलिये यह प्रार्थना करनी पड़ी सदन से कि दूसरी कार्यवाही को स्थगित करके इस कार्यवाही को प्रायोरिटी दी जाय। यह इसलिए करना पड़ा, इस कानून में प्रावधान है, जब हम रिजोल्यूशन पास करेंगे तभी हमारे यहाँ पर लागू होगा। तब से, जब हम पास करेंगे, यह लागू होगा। अब यह सैन्ट्रल एक्ट है, सारे देश में एक प्रकार का डिस्कशन होकर एक प्रकार की विचारधारा बनी है, कानून बना है। मगर जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, इसमें कई लेकुनाज हैं। चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में वह लेकुनाज पाइन्ट आउट किये गये थे। उसमें कह दिया था कि हमारी जो आकांक्षायें हैं उनके प्रतिरूप यह बन पाता है या नहीं बन पाता है, और जो हमारा पर्पज है वह इससे सर्व होता है या नहीं होता है। लेंग्वेज सम्बन्धी ऐसी गल्तियां तो नहीं रह गई हैं जिससे पर्पज डिफीट हो जाता हो। इन सारी चीजों को डिस्कस किया गया। फिर हाउसिंग मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स भी चीफ मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स के बाद हुई, उसमें भी नतीजे एकदम नहीं निकले और एक कमेटी बनाई गई। उसने 20 मार्च तक सारी स्टेट्स के सुझाव मांगे हैं। तो हम क्या चाहते हैं इसके सुझाव देंगे। उसके बाद वह मीटिंग में चर्चा करेंगे और उसके बाद अमेंडिंग बिल पार्लियामेन्ट में आयेगा और यह अमेंड होगा। आज के रिजोल्यूशन का मकसद यह है कि जो अभी यहां पर है, इसको पास कर दें, राज्य सरकार प्राथोरिटी अपाइन्ट कर दे तब जाकर कार्यवाही पूरी हो जावे और ट्रांसफर करना चाहते हैं, वे लोग वैसा न कर सकें। इस लिमिटेड मकसद से इस रिजोल्यूशन को आपके समक्ष पेश किया है। इसलिए मैं समझता हूं, इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। हम कांग्रस हैं कि जो कानून हमने बनाया था, उस कानून में और इस कानून में फर्क है। हम कांग्रस हैं· · ·

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : कुछ आस्पेक्ट्स में ज्यादा प्रोग्रेसिव था। मेरा निवेदन है कि कुछ आस्पेक्ट्स में ज्यादा प्रोग्रेसिव बिल था।

श्री हरिदेव जोशी : मैं डेरोगेटरी बात नहीं कहता, प्रोग्रेसिव था या नहीं था। थोड़ी बाज वक्त डेफिनेशन चेंज होती रहती है। हम चाहते हैं कि वह चीजें हों। उदाहरण के तौर पर इसमें रखा गया है उसमें लिखा है इस आबादी का कस्बा इसमें आना चाहिए। मेरे मन में होता है, नहीं, अधिक इसको बढ़ाना चाहिए। इस तरह की कई चीजें हैं। मगर 20 मार्च तक सजेशन मांगे हैं, राज्य सरकार सजेशन भेजेगी और जो अमेंडमेंट करे जायेंगे उनमें अपनी भावनाओं को मनवायेगी। आज मकसद लिमिटेड है, यह रिजोल्यूशन पास हो जाय और यह लागू हो जाय और फरदर ट्रांसफर लीगल होने की हैं वह न होवें।

श्री रामनारायण चौधरी : पास करो, हांडा साहब, पास करो। इसमें क्या है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात में एतराज नहीं है कि इस कानून को जल्दी से जल्दी पास किया जाय, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने जो सूचना दी है कि दिल्ली में मुख्य मंत्री और हाउसिंग मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में निर्णय लिया गया है

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

जिसमें 20 मार्च तक ही हमको हमारी भावना इस सम्बन्ध के अन्दर और सुझाव भेज देने हैं, और अमेंडमेंट भेज देने हैं। मैं समझता हूं, इस प्रश्न को दृष्टिगत रखते हुए यह दो घण्टे का समय कम है। सदन को पूरे दो दिन इस कानून के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए था। इससे बढ़िया कोई फोरम नहीं हो सकता जो कि राजस्थान की राय इस कानून के सम्बन्ध में व्यक्त करे। विधान सभा सबसे पवित्र और उच्च फोरम है, जिसकी राय 20 मार्च के पहले जाय ताकि इसके अन्दर उसके अनुरूप संशोधन किया जा सकें। केबिनेट स्तर पर मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में निर्णय लेंगे, अपनी बात कहेंगे। लेकिन उसमें माननीय सदस्यों की बात जुड जाती है तो और प्रभावशाली होता इसी बात को दृष्टिगत करते हुए मैं आवश्यक समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ कहूं।

जैसा कि मुख्य मंत्री ने स्वीकार किया है कि पिछला कानून जो हमने राजस्थान में बनाया था वह अधिक प्रगतिशील था, अधिक शक्तिशाली था और इस लिये ही हमें अधिक जमीन मिली थी। लेकिन संविधान की धारा 252 के क्लाज 1 के तहत जब तक इस कानून के संबंध में प्रस्ताव नहीं लाते, यह कानून क्रियाशील नहीं हो सकता। इसमें एक प्रस्ताव लाना आवश्यक है लेकिन उस प्रस्ताव के साथ साथ में यह जोड़ना अत्यावश्यक समझता हूं कि जो शिड्यूल इसके एण्ड में दिया है, हमारा पिछला बना हुआ कानून और जैसी कि मुख्य मंत्री ने अपनी धारणा व्यक्त की है, यह कानून राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र में लागू नहीं होगा। इस शिड्यूल के अन्दर राजस्थान के समस्त शहर सिकुड़कर सी व डी में आ गए हैं, राजस्थान का कोई भी शहर बी कैटेगरी में नहीं पहुंचता जब कि जयपुर को बी क्लास घोषित कराने के लिए पुरानी मांग चली आ रही है और हमारे उस कानून की मंशा एक लाख से ऊपर के शहरों को कवर करती थी। तो मुख्य प्रश्न जो इस सदन के सामने है वह इस शिड्यूल को चेंज करवाने का है। इसके अनुसार तो हम सी केटेगरी के शहरों में 1500 वर्ग मीटर्स के ऊपर ही जा पायेंगे और डी में दो हजार वर्ग मीटर्स के ऊपर ही जा पायेंगे, ए व बी कैटेगरी के शहरों में 500 व 1000 वर्ग मीटर्स से अधिक जमीन ही एक्वायर कर सकते हैं, उसमें राजस्थान का एक भी नगर नहीं आता। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मंत्रीजी जिन्होंने यह प्रस्ताव सदन में रखा है, कि राजस्थान के सारे नगर जहां एक लाख से ज्यादा आबादी है, वे डी कैटेगरी के अन्दर सम्मिलित किए जाय, विशेषकर जयपुर नगर को बी के अन्दर लाया जाए। अगर ऐसा नहीं करते तो इसमें जहां आपने एग्जेम्पशन्स दिए हैं, कृषि भूमि को, सहकारी समितियों को, रिलीजियस ट्रस्ट्स को व इस कानून से पहले जिन्होंने लैंड रिकार्ड के अन्दर अपने इन्द्राज करवाए हैं वे सारे के सारे इस कानून के अन्दर से निकल जाते हैं तो फिर जयपुर शहर में कुछ हजार वर्ग मीटर के अतिरिक्त जमीन प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

अगर जयपुर के चारों तरफ नजर डालें तो 10 या 15 किलोमीटर के डायामीटर में देखेंगे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज ने भी कृषि भूमि के तौर पर।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बना रखा है । जैसे कोका कोला फैक्ट्री, जिसको मैंने सदन में अनेक बार उठाया है, 6 बीघा से अधिक जमीन क्योंकि वह लगातार खेती करते हैं, गेहूँ की काश्त गिरदावरी है, पोद्दार, डालमिया, बिरलाज, आई.ए.एस. अधिकारियों के अनेकों फार्म हैं 15 किलो मीटर्स के अन्दर लेकिन दोनों पर्पजेज के लिए यूज कर रहे हैं। प्लाट्स काटकर बेच रहे हैं, 12 हजार वर्ग मीटर जयपुर महाराजा की जमीन की बात बाद में कहूँगा। फिलहाल आई.ए.एस. अधिकारियों की जयपुर में जमीन के बारे में कहूंगा। आप एक जांच कमेटी बनाकर देखें। जयपुर के चारों तरफ 16 किलोमीटर डायमीटर में कृषि भूमि के रिकार्ड्स दर्ज करवाये।

यह सही है कि आप रजिस्टर्ड सोसाइटीज को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन जयपुर की आवास समितियों की एक अपनी कहानी है जो इस सदन में अनेक बार दुहराई गई है। जो बोगस सोसाइटीज हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी वे बोगस हैं, उन्होंने अपना एक अलग व्यापार का धंधा खोल रखा है और उन्होंने अनेक भूखंड काटकर बेचे हैं। अगर आप जयपुर को बी श्रेणी में शामिल नहीं करते तो पोद्दार, डालमिया, बिरला बिजनेस के नाम से जमीन रोक रखी है, कम से कम 50 हजार वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन की एक कोठी बना रखी है, एक जगह की बात नहीं, सारी जगह पर रोक रखी है। वे सब काफी हद तक बच जाते हैं। रामबाग पैलेस के सामने जयपुर महाराजा ने करीब 12 हजार वर्गमीटर जमीन रोक रखी है। गत सत्र में जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद हो रहा था तो अलवर महाराजा की जमीन की बात का जिक्र हुआ था। उन्होंने तो एनक्रोचमेंट कर रखा है, पूरी एक गली रोक रखी है लेकिन स्टे आर्डर है बाकायदा वह एनक्रोचमेंट कायम कर रखा है। पूरे के पूरे बाग को लैंड एक्वीजिशन एक्ट व सीलिंग एक्ट के तहत एक्वायर किया गया। कोटा महाराजा तो इस मामले में विशेषज्ञ हैं उन्होंने सारी जमीन कोटा में बड़े बड़े पोलिटिशियन्स और अधिकारियों को वितरित की। कृषि भूमि में वह शामिल हैं। अगर कोटा महाराजा की जमीन लें तो उसके अन्दर चांवल की काश्त मिलेगी। कम से कम 25-30 हजार से एक लाख वर्ग मीटर जमीन कोटा महाराजा की है जो अर्बन लैंड हैं। मैं रामनारायण जी के विभाग की बात नहीं कह सकता। भीनमाल के चेयरमैन को सस्पेंड किया लेकिन लो इन्कम ग्रुप के तहत उस करोड़पति को राज्य सरकार ने परमीशन भेज दी। ऐसे केसेज आए हैं जिनका मैं कट-मोशन्स के समय वर्णन करूंगा लेकिन अगर आप इन एग्जेम्प्शन्स पर रहे और शिड्यूल पर रहे तो आपका जो 20 सूत्री कार्यक्रम है सोशलाइजेशन आफ अर्बन लैंड का, वह पर्पज हल नहीं होगा। मठाधीशों की बात छोड़िये। गंगानगर में महन्त शिवनाथ की 3 हजार वर्ग मीटर जमीन है जो वीरेन्द्रसिंह मन्त्री मण्डल में हरियाणा में मंत्री थे। भारत में कई महन्त हैं। कनखल बाबा के पास सारी की सारी जमीन कृषि भूमि का इन्द्राज है। उनके चेले तो ब्रह्मचारी होने चाहिए थे, लेकिन वे सारे के सारे गृहस्थी हो गए और आज वह चेलों की व्यक्तिगत सम्पत्ति बन गई। महाराज कर्णीसिंह के फार्म को लैंड

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
एक्वीजीशन एक्ट के तहत नहीं लेते। म्युनिसिपल लिमिट के अन्दर वह शामिल है। अगर इसी एक्ट से निकाली जाती है तो अर्बनाइजेशन के लिए 20-20-25-25 बीघा जमीन कृषि की जिनके पास है, उनसे लैंड एक्वीजीशन एक्ट के तहत लें और कानूनी कठिनाइयां आयें तो यही एक्ट सफीशियेंट होना चाहिए जो इस प्रकार की लैंड्स को टेक ओवर कर सके और शिड्यूल के अन्दर यह संशोधन आवश्यक है कि एक लाख से ज्यादा आबादी जितने शहरों की है, उन पर यह कानून एप्लीकेबल हो।

यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि यह बात दूसरे राज्यों में लागू नहीं होती, हरियाणा में लागू नहीं होती, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश में लागू नहीं होती हो, केरल में लागू नहीं होती हो, लेकिन राजस्थान सबसे बड़ी सामन्ती रियासत है, इस पर यह बात विशेष रूप से लागू होती है। अगर आप राजस्थान के छोटे से छोटे शहरों को देखेंगे तो सामन्तों और बड़े बड़े जागीरदारों ने बहुत बड़े प्लाट्स इस सारे राज्यों के अन्दर रोक रखे हैं और अगर आपको सोशलाइजेशन आफ लैंड करना है, लो इन्कम ग्रुप्स को 200 वर्ग मीटर के प्लाटस वितरित करने हैं, फैक्ट्रियों के मजदूरों को जमीन देनी है, फुटपाथ पर बैठने वालों और वहीं बच्चे पैदा करने वालों को जमीन एलाट करनी है तो इस सामन्ती अवशेष वाले प्रान्त पर आप को विशेष रूप से जोर देना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जो भी शहर एक लाख से ऊपर वाली आबादी के हैं उन शहरों को शिड्यूल में लिया जाना चाहिये। और आपने जो भी कैटेगरी राजस्थान के लिये रखी है चाहे व सी है या वह डी है उसको रिकन्सीडर करके जयपुर को जो आपने डी में या सी में रखा है उसको बी कैटेगरी में रखा जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर तो कम से कम बी कैटेगरी में तो आना ही चाहिए। दूसरे और भी जो शहर हैं उनको जिन्हें अभी तक आपने इस शिड्यूल में नहीं लिया है उनको भी शिड्यूल में लेकर जो प्रस्ताव पारित करें उनमें इस संशोधन को करते हुए भेजें। और राज्य सरकार ने जो 20 मार्च तक का समय इस सदन के सदस्यों को दिया है कि वह अपने सुझाव इस बारे में भेजें उनमें इनको इनक्लूड करके भेजने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी स्टेटों से हमारे राजस्थान की स्थिति कुछ और है क्योंकि यहां पर बड़े बड़े जागीरदारों और राजे महाराजाओं व बड़े बड़े मठाधीशों ने काफी जमीनें घेर रखी हैं। आज इन लोगों की जमीनें राजस्थान के एक शहर से दूसरे शहर तक फैली हुई हैं। मैं गलता के महाराज और सूरज महाराज की धरती की बात नहीं करता लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज जितने बड़े 2 धन्ना सेठ हैं यह सामन्तशाही के लोग हैं इन्होंने बहुत सी जमीनें एग्रीकल्चरल लैण्ड को जो कि शहरों के पास हैं अपने कब्जे में कर रखी हैं और वहां पर एक छोटा सा फार्म हाउस बना रखा है। उनका गिरदावरी में इन्द्राज करा रखा है उनको आपको हटाना पड़ेगा। आपको वहां जमीनें घेरने की स्वीकृति समाप्त करनी होगी। आज आपके लॉ में कोई फार्म हाऊस की डेफीनेशन नहीं है कहीं भी बड़ी जमीन पर जो एग्रीकल्चरल है या यों हा है

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उसमें एक मकान बना रखा है वहां पर एक टीन का शेड खड़ा कर दिया है दो चार गाय भैंसों को बान्ध दिया है, कहीं पर ट्रैक्टर के कुछ इम्पलीमेन्ट्स रख दिये हैं और उसको आपने फार्म हाउस बना दिया है। तो मेरा निवेदन है कि वास्तव में वह फार्म हाउस नहीं है। यह जो आपके फार्म हाउस की टर्मीनोलाजी है वह वेग है उसको साफ करने की आवश्यकता है। आखिर आपकी फार्म हाउस की डेफीनेशन की मन्शा क्या है? फार्म हाउस में क्या एग्जम्पशन्स आपने रखे हैं? फार्म हाउस की डेफीनेशन को वेरी वेल डिफाइन किया जाय नहीं तो आप जो यह अरबनाईजेशन करना चाहते हैं वह पूरी तरह से नहीं कर पायेंगे। आज जो शहरों में बढ़ती हुई आबादी की वजह से जो मकानों की कमी आयी है उसकी पूर्ति नहीं कर पायेंगे। आज भी आपके आदर्श नगर में लोग जमीनें घेरे हुए हैं और अमृतपुरा के लोगों को हटा दिया गया है वह लोग बेचारे आंसू बहा रहे हैं उनको आप अभी तक साइट नहीं दे पाये हैं। आज भी जयपुर में काफी कठिनाई लोगों को आ रही है। आप आज भी कार्मशियलाइजेशन की स्थिति में बने हुए हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर आप सही मायने में लोगों को इस बिल के माध्यम से राहत पहुंचाना चाहते हैं तो आपको चाहिये कि आज भी जयपुर से 15 किलोमीटर के घेरे में जो जमीनें घेरे हुये यह बड़े बड़े लोग हैं, चाहे राजा-महाराजाओं की जमीन हो, चाहे बड़े बड़े जागीरदारों की जमीन हो, चाहे बड़े बड़े धन्ना सेठों की या मठाधीशों की जमीन है, उस एग्रीकल्चरल लैण्ड को अवाप्त कीजिये। नहीं तो आप जो इस एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करना चाहते हैं वह नहीं कर पायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं और अधिक नहीं कहते हुए सदन का ज्यादा समय नहीं लेते हुए इतना सा ही नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि 20 मार्च तक का जो समय हमारे मुख्य मन्त्री जी ने दिया है कि सदन के माननीय सदस्य अपने सुझाव भेजदें, यह जो खुला समय आप दे रहे हैं उसके लिए मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि यह समय थोड़ा है, क्योंकि कम से कम तो एक दिन इस एक्ट को पढ़ने में हर सदस्य को लगेगा कल तो बजट भाषण था उसके बाद जब हम सदन में आये तो यह संकल्प हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। वैसे तो इसके बारे में मोटे मोटे तौर पर वहीं बातें हैं जो हमने अखबारों में पढ़ा है फिर भी हमें इसको पूरी तरह पढ़ने की आवश्यकता है और उसके बाद में पूरी तरह उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। उसका मौका मिलना चाहिये ताकि पूरा मौका मिलने पर सदन के माननीय सदस्य अपने ठोस सुझाव देते। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की हमारे देश में एक विशेष परिस्थिति रही है। यहां पर सामन्त शाही वर्षों तक रही है उसको आप पूरी तरह अभी तक समाप्त नहीं कर पाये हैं उसके आज भी अवशेष हमारे यहां पर बाकी हैं। इस वक्त मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि हमने इससे भी अधिक प्रगतिशील बिल इस सदन से पास कर रखा है, पर दुख की बात है कि अभी तक उस पर प्रेसीडेन्ट की एसेन्ट नहीं हुई जिससे वह प्रगतिशील बिल हमारे यहां पर लागू अभी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
तक नहीं हो सका है। अगर वह एसेन्ट हो जाती तो हमारे यहां पर जो सन् 73 में सीलिंग बिल पास कर रखा है उससे भी अधिक प्रगतिशील कार्यवाही हमारे यहां पर होती। आज जो हम 20 सूत्री कार्यक्रम की बात करते हैं और उसके अन्तर्गत हम ने काफी काम किया है। इसमें लो इनकम हाउसिंग ग्रुप के लोगों को मकान दिये, और इसके अलावा कुछ मेजर्स और भी उठाये हैं। उसके अनुसार कुछ मेजर्स अगर हम उठाते हैं तो जो प्रस्ताव सदन के सामने आया है उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैंने जो सुझाव दिये हैं उनको भी इसमें समावेश करके इसको अगर आप प्रस्तुत करें तो उचित रहेगा। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विधि मन्त्री जी।

श्री खेतसिंह (विधि मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह एक प्रगतिशील कदम है और सदन के माननीय सदस्यों ने एक मत होकर इसे एक प्रगतिशील कदम बताया है। इसलिए हमें इसको जल्दी से जल्दी एडॉप्ट कर लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : साथ में धन्यबाद भी दिया है।

श्री खेतसिंह : हां साथ में धन्यवाद भी दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : साथ में और धन्यवाद देने की गुन्जायश भी रखी है।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसको हमें एडॉप्ट कर लेना चाहिए और जैसा कि अभी सदन में मुख्य मंत्री जी ने बताया कि यह एक सेन्ट्रल एक्ट है और इसको हमें एज इट एडॉप्ट करना चाहिए। इसके बाद मैं जो सुझाव माननीय सदस्य ने जैसा कि बताया कि एक लाख से ऊपर वाले आबादी के जो शहर हैं उनको भी इन्क्लूड कर लेना चाहिए इस बारे में और भी कोई सुझाव हों, वह जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बीस तारीख तक देने का कहा है और इसके लिए मुख्य मंत्री जी ने एक कमेटी भी बनाई है उसमें हाउसिंग मिनिस्टर कान्फ्रेन्स में जो तय किया गया है कि किन किन शहरों को इसमें लिया जाना चाहिए और किस-किस केटेगरी में उसका भी प्रोविजन है जो इस पर विचार करेगी और जो संशोधन होंगे उन्हें भी साथ में भेजेगी ताकि पार्लियामेंट में जब बिल पास हो तो उन संशोधनों को उसमें समावेश किया जा सके। यहां पर माननीय सदस्यों ने जयपुर को बी श्रेणी में नहीं रख कर सी श्रेणी में रखने के लिए जो आपत्ति उठायी है वह सही नहीं है, क्योंकि जयपुर हमारे राजस्थान की राजधानी है और राजस्थान के दूसरे शहरों से ज्यादा आबादी वाला होने की वजह से आप लोगों को बड़ा दिखता है। वास्तव में बेंगलोर जो कि हमारे जयपुर से बहुत अधिक बड़ा है उसको भी बी केटेगरी में नहीं रखा है बल्कि उसे भी सी केटेगरी में रखा है। इसलिए जयपुर को सी श्रेणी में रखा है तो कोई बड़ी बात नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैसूर जयपुर से बड़ा नहीं है वह बी में है बेंगलोर बी में है

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

और मैं आज भी कह सकता हूं कि जयपुर बी श्रेणी में आना चाहिए। यहां की आबादी सात लाख से ऊपर कभी की हो चुकी है, लेकिन अगर आप जयपुर को बी श्रेणी घोषित करते हैं तो आपको चूंकि कुछ सुविधायें कर्मचारियों को देनी पड़ती है और उससे आपके ऊपर वित्तीय भार पड़ता है इसलिए आप जयपुर को बी श्रेणी घोषित करना नहीं चाहते हैं। आखिर आपको असलियत स्वीकार करने में क्या दिक्कत है।

श्री खेतसिंह : मैंने एक्ट में देख लिया है कि बैंगलोर बी में नहीं है जब कि जयपुर की आबादी सात लाख है और बैंगलोर की आबादी 18 लाख है। दोनों के ऐरिया में और आबादी में कोई कम्पेरीजन ही नहीं है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय और जो जयपुर और जोधपुर को सी और डी केटेगरी में रखा है उसको माना जाय और इस प्रस्ताव को जल्दी से जल्दी पास करके भेज दिया जाय ताकि इसमें विलम्ब होने से जो नुकसान हमें हो सकता है वह नहीं हो और कोई भी किस्म की खरीद-फरोख्त जमीन की नहीं हो जिससे हमें लाभ हो। और इस कानून को हमारे यहां पर लागू किया जा सके।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे निवेदन करूंगा कि जो संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है उसको सर्व-सम्मत्ति से एडाप्ट किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य इस राज्य के लिए नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम,, 33) को एडोप्ट करता है, यह इस सदन में पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

संकल्प सर्व सम्मति से पारित किया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद।

श्री गुरदयालसिंह संधु।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का जो बजट कल इस विधान सभा में पेश किया गया है, मैं यह मानकर चलता हूं कि वह एक पूंजीपतियों का बजट था, किसानों का नहीं था और उससे किसानों को बहुत बड़ी हानि हुई है। इस बजट के अन्दर किसानों पर कई जगह टैक्स लगाये गये हैं। पहले ही राजस्थान का किसान चिल्ला रहा था कि टैक्स बहुत ज्यादा हैं और सरकार किसानों के बलबूते पर चल रही है। मैं गंगानगर की बात करूं, गंगानगर के अन्दर जितनी म्यूनिसिपैलिटीज है वह किसानों की जो फसल वहां पर आती है या किसान की जो उपज वहां पर पहुंचती है – किसानों के ट्रैक्टर, खाद, बीज वगैरह, वह उन्हीं के पैसों पर चल रही है। उनसे जो चुंगी कर वसूल किया जाता है, गंगानगर के अन्दर, आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाओ तो टिकट के साथ भी चुंगी कर लगता है। जैसे गंगानगर से करणपुर चले जाओ तो 25 पैसे लगते हैं और सेकिन्ड में जावो तो

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)

19 पैसे लगेंगे। जितनी भी म्युनिसिपैलिटीज हैं उनका भी पैसा लगता है और जहां जाना है वहां भी यदि नगरपालिका है तो उसको भी पैसा देना पड़ता है। आम तौर पर वहां की नगरपालिकायें किसानों के बलबूते पर चल रही है। जहां ऐसी स्थिति है कि पास पड़ोस के राज्यों में पंजाब, हरियाणा, यू. पी., गुजरात में वहां चले जावो तो हमारी जो फसलें हैं उन पर कोई भी चुंगी कर नहीं है। सैल्स टैक्स फसलों पर लगता है लेकिन फसलों पर चुंगी कर नहीं लगता।

हमारे इम्पलीमेन्ट्स, एग्रीकल्चर इम्लीमेन्ट्स, फर्टीलाइजर पर कोई सेल्स टैक्स नहीं हैं, और कोई ड्यूटी टैक्स नहीं है, लेकिन यहां पर चुंगी कर वसूल किया जा रहा है और जो एक गरीब स्टेट है जहां पर जमीन अच्छी नहीं है, जहां हवा अच्छी नहीं है, ग्राऊन्ड वाटर अच्छा नहीं है, पानी की कमी रहती है और जहां पर उपज बहुत कम है, खर्चा उन्हीं के बराबर होता है खेती पर। मान लीजिये पंजाब के अन्दर एक एक खेत पर 1280 रुपया खर्चा आ रहा है, क्योंकि वहां प्रोड्यूस बहुत ज्यादा है। प्रोड्यूस अधिक होने के कारण इस वक्त लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में 37 मन है, वह दुनियां में सबसे ज्यादा पैदा करता है, दूसरे नम्बर पर जापान कर रहा है। जहां सारा पंजाब पर हेक्टर 27 क्विन्टल के आसपास पैदा कर रहा है, उसके मुकाबले में राजस्थान 12 मन पैदा करता है। खर्च हम एकसा करते हैं और उस खर्च पर, पैदावार पर तकसीम करें तो पंजाब में उपज अधिक होने के कारण एक क्विन्टल पर 60 रुपया खर्चा आता है हरियाणा में 71 रुपया खर्च आता है और राजस्थान में बहुत ज्यादा खर्चा आता है और इतना होते हुये हम चुंगी कर देते हैं। सब कुछ देने के बाद अब हमारी रेट्स और बढ़ गई हैं। पहले ही वाटर रेट इतनी दे रहे हैं कि मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान में कहीं भ इतनी वाटर रेट नहीं है। हमें कर्नाटक की मिसाल दी जाती है। कर्नाटक का इर्रीगेशन के रेट शुगर केन के 40 और 60 हैं। उसका कारण है कि वहां दो किस्म का गन्ना होता है एक साल वाला जिसका रेट 40 रु. है और एक डेढ़ साल वाला गन्ना जिसका रेट 60 रुपया है यह दो बार काटा जाता है उस पर 60 रु. है और एक बार काटा जाता है उस पर 40 रु. है और कन्टेन्ट आफ शुगर 14.9 और राजस्थान में 7 से 8 प्रतिशत तक है। शुगर ज्यादा निकलती है इसलिये वाटर रेट ज्यादा लगा देते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आंकड़े इकट्ठे किये हैं, शुगर ज्यादा निकलती है, प्रोडक्शन ज्यादा है और इतना कुछ होते हुये भी हमारी इस धरती में हम देखते हैं कि सारे हिन्दुस्तान में कैनाल के मेन्टीनेन्स चार्जेज राजस्थान में सबसे लो हैं। सबसे ज्यादा वाटर युटिलाइजेशन हम गंगानगर के लोग करते हैं। हिन्दुस्तान में 10 फीसदी वाटर यूटिलाइजेशन होता है पंजाब, हरियाणा और हम 80 पर्सेन्ट वाटर युटिलाइज करते है। वाटर युटिलाइज ज्यादा करें, मेन्टीनेन्ट चार्जेज कम हों, लैन्ड हमारी अच्छी नहीं हैं, ग्राउन्ड वाटर अच्छा नहीं है, और इतना होते हुये इतना बड़ा बोझ किसानों पर डाल देना, और फिर सरकार कहेगी कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं। पूछो गंगानगर के किसानों को कि आप कैसा समाजवाद लाना चाहते हैं?

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)

अभी थोड़े दिनों पहले गंगानगर में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्दर वहां के मेम्बरों ने जगह जगह मीटिंगें की, उन मीटिंगों में एक जगह चौधरी राम चन्द्र था और सरदार सेवासिंह था लेकिन जब किसानों में बैठते थे तो कहते थे कि किसान खतम गये। आज राजस्थान का किसान महसूस करता है कि किसान खतम हो चुका है। आज जब भूमिहीन की बात आती है तो कहते हैं कि भूमिहीन जमीन डबल कीमत की कर दी गई है लेकिन आप उनसे पूछो क्या भूमिहीन जमीन ले सकेगा वह भूमि नहीं ले सकेगा। 1700) रु. से 3400) रु. कर दी, उसमें दो हजार लेवलिंग का खर्चा आयेगा और उसके बाद उसकी पेट पूजा भी करनी होगी तो यह स्थिति है कि उस जमीन को नहीं ले सकेगा और फिर सरकार समाजवाद का नारा लगा रही है। बड़े बड़े शहरों से 8 मील के दायरे में जिसमें जमीन नीलाम करना चाहते हैं आज के युग में जबकि 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम चला रहे हैं मैं अर्ज करना चाहता हूं जितना बोझ इस बजट से किसानों पर पड़ा है, किसान इसे सहन नहीं कर सकेगा। आप कैसे भी चलाये, चाहे समाजवाद की बात करें, लेकिन किसान सन्तोष नहीं करेगा तो आपको मानकर चलना चाहिये कि यह सरकार नहीं चला सकेंगे, सरकार चलाने के लिये आपको किसानों पर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं और आंकड़े पेश करते हुये थोड़े में कहना चाहता हूं, अगर हम वाटर रेट की बात करें तो हमें एक बात कही जाती है कि नहरें बहुत दूर दूर से आती हैं। नहरें दूर से आती हैं तो रोपड़ से चलकर गंगानगर में साफ पानी दे रही हैं वह तो हमारे से भी दूर से आती हैं और जो चार्जेज हैं वह पांच रुपया 85 पैसे हैं और आपने तीन गुना कर दिये। यह कहां का न्याय है? पंजाब का इलाका हमारे दो दो, चार-चार मील के फासले पर है वहां नहरें दूर से आती हैं इसके बावजूद मैं अर्ज करूंगा कि जिस क्षेत्र में पंजाब की नहरें आई वहां पहले ही लोग मौजूद हैं। वहां शहर बने हुए थे। आप जिस क्षेत्र में नहरें लाए हो उसमें नब्बे फीसदी जमीन सरकार की है और वहां पर कीमत वसूल की है। आपको धन मिला है, वहां पर ऊंचे 2 टीबों के अन्दर आपने शहर बसाये हैं और लाखों रुपया आपको मिला है, करोड़ों रुपया मिला है। एक एक मण्डी से कई 2 करोड़ रुपये लिये हैं। जहां आपकी यह स्थिति है उस जमीन से इस जमीन की कीमत वसूल करो। उस जमीन में शहर से बने हुए हैं वहां नए शहर बनाओ और कीमत वसूल करो और फिर कहो कि हमारी नहरें दूर से आती है, यह मानने वाली बात नहीं है। और वाटरिंग रेट में कितना बड़ा अन्तर है? पंजाब के अन्दर शुगरकेन का 27 रुपये से लेकर 32) रुपये तक वाटर रेट है जो कि वहां पर 35-40 है और जहां इसके मुकाबले में हरियाणा में साढ़े सोलह रुपये से 13 रु. तक है। इसके मुकाबले में आप गेहूं को ले लीजिए। पंजाब के अन्दर साढ़े पांच रुपया है जो हमारे साथ लगा हुआ इलाका है। जहां नहरें दूर से आती हैं और जो इंटीरियर में हैं, नहर के शुरू में है तो उसका 11 रुपया 70 पैसे हैं और उसके मुकाबले में हरियाणा में 5 रुपया 85 पैसे हैं और राजस्थान में आपने 21) रुपया कर दिया है। फिर और अर्ज करूंगा कि जैसे पैंडी है, तो

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)

पैडी पंजाब में 19।। रुपया है हरियाणा में 9) 75 पैसे है और राजस्थान में 28) रुपया। चना है, पंजाब में 6 रुपया, हरियाणा में 3) रुपया है और राजस्थान के अन्दर 20) रुपया है। और फर्स्ट वाटरिंग चने का है उसमें पंजाब में 3 रुपया है, हरियाणा में डेढ़ रुपया है और यहां पर 14) रुपया है। बार्ली, जो जो पहले 130) रुपया तक बिक रहा था अब 35) रुपये में बिकता है। वह 130–135 रुपया वाला जो, उसकी चूंकि रेट गिर गई है उसकी जगह वाटर रेट बढ़ा दी गई है राजस्थान के अन्दर। उसकी रेट है पंजाब में 12 रुपये 75 पैसे, हरियाणा में 6 रुपये 32 पैसे और राजस्थान में 15) 41 रुपये कपास है, यह यहां अभी नहीं बढ़ा है लेकिन यहां पहले से है। कपास में पंजाब में 13 रुपये 50 पैसे, हरियाणा में 6 रुपये 75 पैसे और राजस्थान में 25) रुपया है। यह स्थिति है वाटर रेट की। जो जमीन के अन्दर पानी दे रहे हो जो सबसे अच्छे किसान बैठे हुए हैं, आपकी निकम्मी जमीन में पैदावार ज्यादा कर रहे हैं, जो वाटर यूटिलाईजेशन सारे इलाके में बेस्ट कर रहे हैं उसको आप जेल दे रहे हो। आपने उसके वाटर रेट बढ़ा दिये हैं और उसका कारण समझना हो तो गंगानगर में देखो। गंगानगर में किसान कोशिश कर रहा है इस इलाके को छोड़ कर जाने की और हर साल आबादी कम हो रही है। करनपुर में 61 की सैंसस के बाद 71 में पांच हजार की कमी आई थी देहातों में और शहर में पांच हजार बढ़ गए। श्री करणपुर के बराबर है पदमपुर जिसमें 1300 की कमी आई है। इस तरह से लोग जा रहे हैं इलाका छोड़ कर। रहना नहीं चाहते आपके इलाके में और अगर आपने पंजाब के किसानों को इस तरह से निकाला तो इसका नतीजा जो है वह सरकार को बाद में मालूम होगा। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इतने बड़े टैक्सेज किसानों पर लगाने के बाद सरकार कहे कि हम किसानों को रिलीफ देना चाहते हैं, हम भूमिहीनों को बसाना चाहते हैं तो भूमिहीनों पर मैं ऐसे भी उदाहरण आपको दूंगा, मैंने कई दफा कहा है, यहां पर कह चुका हूँ कि सीलिंग आप कर नहीं पाए। आप भूमिहीनों को जमीन नहीं दे पाये। पचास प्रतिशत जमीन आपने नाजायज एलॉट की है।

मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बीकानेर में एक डाक्टर साहब हैं। उन डाक्टर साहब का नाम है गोविन्दराम। आखिर बीकानेर में डाक्टर गोविन्दराम रहता है और छतरगढ़ तहसील का ही नहीं बल्कि छतरगढ़ और विजयनगर में अलाटमेंट होती है जमीन। मैं मान कर चलता हूं कि चाहे विजयनगर का तहसीलदार न जानता हो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर उस पर किसी ने रिपोर्ट की होगी उसकी दरख्वास्त पर। बीकानेर में वह डाक्टर लगा है और बीकानेर से छतरगढ़ में नम्बर 365 बी. बी. के साथ चक नम्बर 2 के वार्ड डी में एक मुरब्बा और विजयनगर में 197–47 और 147।52 में दो मुरब्बा उसके पास है और विजयनगर में 2 बी में 199।26 में है, ये तीन मुरब्बा जमीन उसके कब्जे में है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह किस प्रकार उस तहसीलदार ने कर दिया, क्या आप उस तहसीलदार को सस्पेंड कर सकते हो? देख लो करके। मैं यहां और नाम नहीं लूंगा

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)

लेकिन आपके सारे अलाटमेंटों में पचास फीसदी बोगस हैं। मैं सीलिंग के उदाहरण में एक नाम और बताता हूं। एक आदमी हैं एस. कुमार चौधरी, हमारे हनुमानगढ़ का है उसके पास 21 एच एम एच में जमीन है और उनके पास बहुत ज्यादा जमीन है और कुछ ऐसे लोगों के नाम से करवा रखी है और उसके नाम धरती पर नहीं हैं। अभी पैदा नहीं हुए, पैदा होंगे तो पता लगेगा। उसकी रिपोर्ट एक पटवारी ने की, उसको सस्पेंड कर दिया क्योंकि उसने उसकी रिपोर्ट की। आपने उस पटवारी को 7–8 महीने से सस्पेंड कर रखा है, अब उसने माफी मांगी है और अफसर कहते हैं कि जल्दी कोशिश करेंगे दुबारा लगाने की। यह स्थिति है सीलिंग की। यह हालत है आपके भूमिहीनों की। आप कहते हैं कि पैसे चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर ठीक एलाटमेंट कर दो तो कम से कम दो दो जगह एलाटमेंट है उनको ही खारिज कर दो तो आप जितना भूमिहीनों से पैसा लेना चाहते हैं उतना पैसा मिल जायगा। मिल जाएगा आपको पैसा, लेकिन भूमिहीनों से इतनी बड़ी कीमत अगर आप वसूल कर लें तो यह नहीं हो सकेगा। भूमिहीन पैसा दे नहीं पायेंगे। तो मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि इन हालात में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन इतना कहूंगा कि आपने किसानों को पूरी तरह कुचला है और साथ ही एक बात कहूंगा कि आप रोटियों से बेबाक कर रहे हैं वह भी अच्छा नहीं है।

मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी एक बात कहूंगा। इस सदन के एक माननीय सदस्य जेल में बैठे हुए हैं और आप उनके साथ सी क्लास कैदी का बर्ताव कर रहे हैं यह अच्छी बात नहीं है।

मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं कि पिछले दिनों गंगानगर में आपने 153 हाई स्कूलों में से चार स्कूल खोले लेकिन तीन विरोधी शख्सों के यहां, तीन विरोधी दलों के क्षेत्रों में एक भी स्कूल नहीं खोला, यह हमारे क्षेत्र की हालत है। आज भी हम रोज चिल्लाते हैं, मैंने पिछले दिनों भी यह कहा था, लिख कर सरकार को भेजा कि मैं अपने इलाके से डेढ़ लाख रुपया इकट्ठा करके देने को तैयार हूं मेरे यहां स्कूल खोल दो लेकिन सरकार कहती है कि विरोधियों के इलाके में हम स्कूल नहीं खोलेंगे। हम हास्पिटल नहीं बनायेंगे, हम सड़क नहीं बनायेंगे। यह स्थिति कब तक चलेगी? मैं आपसे यह अर्ज कर दूं कि आप कभी कह देते हैं कि इमरजेन्सी लागू कर दी है, ठीक है हम मानते हैं आपने लोगों को अच्छी तरह से डराया। अब फिर डराते हैं। कभी पाकिस्तान का डर देते हैं लेकिन हम एक बात आपसे कह देना चाहते हैं कि पाकिस्तान लड़ेगा और उसका कोई बम पड़ेगा तो वह हमारा लिहाज नहीं करेगा। हम आपके साथ हैं, हमेशा ही आपके साथ रहे हैं और 1971 की जंग के अन्दर गंगानगर के सारे कांग्रेसी डरकर भाग गए और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मेरा लड़का ट्रैक्टर लेकर बोर्डर पर से लोगों को निकाला करता था। मेरी सिस्टर गंगानगर में बैठी हुई है और वह गंगानगर से बाहर रहती थी उनकी मदद के लिए रहती थी मैंने कह दिया कि तुम यदि यहां से हिल गयीं तो उसका नतीजा यह होगा कि लोग

Page No 50

(50)

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)

हिल जायेंगे। मैंने उसको एक दिन नहीं हिलने दिया। मेरे कहने का यह मतलब है कि हम किसी से कम देश भक्त नहीं हैं। अगर लड़ाई होगी तो हमारे भी रिश्तेदार हैं जो लड़ रहे हैं। अकेले आप नहीं लड़ेंगे। अकेले आपकी सरकार नहीं लड़ेगी। इसलिए जो हमें आप रोज डर देते हैं इमरजेन्सी का तो हम इमरजेन्सी से नहीं डरते हैं। हम यह अर्ज कर देना चाहते हैं और कम से कम मैं 184 के अन्दर बैठा हुआ यह कह सकता हूं कि मेरे बुजुर्गों ने इमरजेन्सी उस समय भी देखी थी जब कि इस देश के अन्दर कहा करते थे कि इस देश के अन्दर एक ही फिरका हम देखना चाहते हैं। तो हमने उस समय भी कुर्बानियां दी थीं। आज कुछ लोग कहते हैं कि हम एक पार्टी का देश में राज्य देखना चाहते हैं। तो हम यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने उस समय भी विरोध किया था और अब भी विरोध करेंगे और हम इसको एक पार्टी का राज्य नहीं होने देंगे। हम इस बात का विरोध करेंगे। हमारा फर्ज है कि हम आपको सही रास्ता दिखलायें। हम विरोध करना चाहते हैं। लेकिन ईमानदारी का विरोध करना चाहते हैं।

आज आपने कमेटियाँ बनाई हैं बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को लागू करने के लिए। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं कि उसमें ऐसे कौन मैम्बर हैं। उन कमेटियों में बहुत से मैम्बर्स ऐसे हैं जो कि करप्ट थे और जिनको आप टिकट नहीं दे पाये थे। वह उन कमेटियों के मेम्बर हैं। वह वहां बैठकर राय देते हैं और मेरा जैसा मान लो कि कह दे कि पहले इनकी जांच कराओ तो वह नाराज हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि दुनियां का कोई देश है जहां कि इन गैर सरकारी कमेटियों के अन्दर चाहे किसी की फाइल मंगा लें? पहले हिटलर और मुसोलिनी के समय में ऐसा नाजी पार्टी किया करती थी। अब आपने कुछ लोगों को अधिकार दे दिया है। एम. एल. ए. फाइल नहीं मंगा सकता, लेकिन जो आज पंच नहीं बन सकता था वह फाइल मंगाकर देख सकता है।

मैं आपके कमजोर वर्ग की डेफीनेशन बताना चाहता हूं जिनको आप भूमि एलॉट कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन हुए मेरी ही पदमपुर तहसील में 600 आदमियों की लिस्ट बनी। यह कमजोर वर्ग में आते हैं और इनको मुफ्त भूखण्ड दिये गये। उसमें ऐसे ऐसे कमजोर वर्ग के आदमी थे जिनका पचास हजार रुपये का कपड़ा दुकान में है और 50 हजार के आर्डर्स दिये हुए हैं और इन्कम टैक्स देते हैं और उन्होंने भूमि एलाट करा रखी है और एक दिन 23 जनवरी को टेलीफोन आया एक लड़के का। मेरे दोस्त का लड़का था। उसने कहा कि कल एलाटमेन्ट है आप आयेंगे क्या? मैंने कहा कि मुझे जयपुर जाना है इसलिए नहीं आ सकता हूं। मैंने उस लड़के को कहा कि मेरी क्या जरूरत है, एलाटमेन्ट तो तहसीलदार ही कर देगा। उसने कहा कि तहसीलदार नहीं करता है। मैंने पूछा कि क्यों नहीं करता तो वह कहता है कि तहसीलदार कहता है कि वह हां करेंगे तो मैं करूंगा नहीं तो नहीं। कमजोर वर्ग के लोगों का नाम मैं बताऊं सदानन्द है। उसका लड़का भी कमजोर वर्ग में है। एक यूथ कांग्रेस का प्रेसीडेन्ट है बल्लूराम और दो आदमी और हैं। मैंने कहा कि मेरी गैरहाजरी में करालो मैं बैठा,

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)

तो नहीं करूंगा। कहने का मतलब यह है कि ऐसे एलाटी हैं आपके और ऐसे हैं आपके इन कमेटियों के मेम्बर। वह खुद ही जमीन को एलॉट करवाना चाहते हैं और दस्तखत भी हमारे करवाना चाहते हैं। वह भूखण्ड खुद एलॉट करवाना चाहते हैं। मेरा यह कहना है कि यह हालत है हमारे यहां ...

श्री परसराम मदेरणा : आपने जिस लिस्ट का जिक्र किया है और 500 आदमियों की बताई तो यह लिस्ट जमीन के एलॉटमेन्ट के लिए बनी है या आवासीय भूखण्डों के लिए ?

श्री गुरदयाल सिंह संधु : जो 500 की लिस्ट बनाई थी वह भूखण्डों के एलॉटमेन्ट के लिए बनाई थी। 225 को कलेक्टर ने मन्जूरी दी है और बाकी को रोक दिया है और जो जमीन की बन रही है वह अलग है। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि हम ईमानदारी से कहते हैं कि आप अच्छा काम करो हम आपके साथ हैं। आप चाहें तो फिर हस्ताक्षर करा लें। हम कहेंगे कि आपने अच्छा काम किया लेकिन आप कहें कि इस तरह हम एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहते हैं कुछ लोगों को आगे लाने के लिए जो कमेटीज बनाई हैं वह ठीक नहीं है, और उसका हम विरोध करेंगे। वहां के एम. एल. ए. की कोई पूछ नहीं है, वह पैदल सड़कों पर घूमता फिरेगा। मैं ऐसी अपनी स्थिति नहीं मानता। मैं मानता हूं कि मेरे क्षेत्र का हरिजन मेरे साथ है, मैं मानता हूं कि वहां का किसान वर्ग मेरे साथ है। मैं यही अर्ज करूंगा कि आप इन समितियों के बनाने के दौर को खतम कीजिए। आप बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को लागू कीजिए और अच्छी तरह से चलाइये ...

श्री दीपंकर : आपका समर्थन है बीस सूत्री कार्यक्रम को ?

श्री गुरदयाल सिंह संधु : मेरा सब को समर्थन है जो अच्छे काम हैं। आपको जरूर समर्थन नहीं है।

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि मैं ज्यादा लम्बा समय नहीं लूंगा। मेरा यही कहना है कि इस तरह की कमेटियां बनायें और कुछ लोगों को पीछे ढकेल दें और अपनी पार्टी का ही प्रचार करें और दूसरे लोगों को यह भी हक नहीं दें कि वह बैठकर कुछ बात कर सके तो यह उचित नहीं है।

अभी थोड़े दिनों की बात थी कि किसान संघर्ष समिति का आन्दोलन हुआ था और एक एग्रीमेन्ट हुआ था और उसके मुतल्लिक बहुत से लोगों ने पूछा कि वह एग्रीमेन्ट क्या है। तो मैंने कलेक्टर गंगानगर को दरख्वास्त दी कि वह एग्रीमेन्ट जो सरकार ने लिख कर दिया है उसमें कोई लफ्ज अपना नहीं जोड़ूंगा, वह मुझे बुलवा लेते ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं। तो मुझे कलेक्टर का हुकम मिला कि ऐसा नहीं हो सकता। यह मेरी दरख्वास्त है 19-2-76 की। वह कलेक्टर को दी और यह है आपके कांग्रेसियों का इश्तिहार जिसमें लिखा है कि फिरकापरस्त लोग इसमें आ गये हैं, इनको हम निकाल देना चाहते हैं यह आपका नमूना है कांग्रेस का। इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस से इन लोगों को निकालेंगे। इन्दिरा जी का नाम लेकर यह प्रचार करना चाहते हैं और

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)

गंगानगर वाले बता रहे हैं कि हमारे में फूट है और हमारे पत्र सेन्सर्ड होते हैं। मेरे एक साथी ने चण्डीगढ़ से पत्र लिखा। वह कांग्रेसी है। उसने पत्र लिखा वह सेन्सर हुआ। उसमें लिखा हुआ था कि आपने जो काम किया उसकी हम सराहना करते हैं उससे पूछें कि वह कौन है और इस प्रकार से मुझे क्यों पत्र लिखा। आप पत्रों को सेन्सर करायें। हमें इससे कोई घबराहट नहीं है। हमारी किसी से कोई साजिश नहीं और न ही मैं कोई साजिश करना चाहता हूं। लेकिन मैं सरकार से खुले लफ्जों में कहना चाहता हूं कि सरकार को ठीक ढंग से चलना चाहिये। जनता को साथ लेकर चलते हैं तो इसी में आपका भला है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये।

श्री गुरदयाल सिंह संधु: थोड़ा सा टाइम।

मैं अर्ज करूंगा कि उन हालात में आपसे निवेदन है कि आपने जो यह किया है उसका मैं घोर विरोध करता हूं, और आपने भूमिहीनों को और किसानों को हमेशा के लिए बरबाद कर दिया। नहरों में पानी नहीं चलायेंगे तो लोग छोड़ कर चले जावेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यही उनकी तमन्ना है।

श्री चन्दनमल वैद : सरमायेदार छोड़ दें जमीन। यह तमन्ना जरूर है।

श्री गुरदयाल सिंह संन्धु : सरमायेदार मुझे मानते हैं तो मैं तो छोड़ चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने सन् 1976-77 का बजट प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

एक ऐसी स्थिति देश में और प्रान्त में पैदा हुई थी कि गत दो सालों में देश में भयंकर महंगाई थी और आज इस वर्ष कीमतें बहुत गिर गयी हैं। भावों में बहुत ही गिरावट आयी है। कीमतों में जो गिरावट आयी है, किसान जो पैदा करता था उन अनाजों में, दलहन में, चने में काफी गिरावट आयी है, उनकी कीमतों में और ऐसी स्थिति में, यह सोचता था कि वित्त मंत्रीजी जब कि किसान की स्थिति पर एक प्रहार पड़ रहा है, उनको अपनी पैदावार की बहुत ही कम कीमतें मिल रही हैं तो उनकी मदद के लिए कुछ उनको रिलीफ देते, और कुछ उनकी मदद के लिये कदम उठाते। परन्तु उन्होंने जो सिंचाई के सम्बन्ध में रेट्स बढ़ायीं मैं तो उनको आज कल के समय में किसी सूरत में भी उचित नहीं समझता हूं, इस समय जब कि किसान को विशेष तौर से मदद देनी चाहिये थी जब कि रबी की फसल आ रही है और जब कि खरीफ की फसल की चीजों में, बाजरे में और पेड़ों में भाव गिर गये, उस सूरत में गेहूं की प्रोड्यूस के भी भाव गिरेंगे। जहां सेवी देने के लिए किसान को मुश्किलें आती थीं, आज किसान चाहेगा कि अधिक से अधिक अनाज गवर्नमेंट खरीदे सहायता के रूप में उसके लिये आये। मैं यह विश्वास करता हूं कि राज्य सरकार सहायता के रूप में आवेगी। केन्द्रीय सरकार

(श्री वृद्धि चन्द्र जैन)
राज्य सरकार और एफ. सी. आई. अगर सहायता के रूप में नहीं आये और जो सिंचाई के रूप में टैक्सेज लगे तो उसका बहुत बुरा असर किसानों पर पड़ेगा यह जानकारी मैं वित्त मंत्रीजी को देना चाहता हूं।

सन् 1974–75 में वित्त मंत्रीजी ने जो बजट प्रस्तुत किया उस समय बताया गया कि घाटे का बजट न होकर 10 लाख की बचत का बजट होगा वह भी 4.9 करोड़ घाटे के रूप में प्रकट हुआ। 75–76 का भी बजट प्रस्तुत हुआ वह भी घाटे का ही था। जब कि यह कहा गया था कि केन्द्रीय सरकार से योजना सहायता और अन्य रूप से उस घाटे की पूर्ति कर ली जावेगी और इस प्रकार से संतुलित बजट हो जावेगा। और अब यह विश्वास दिलाया गया है और 76–77 के बजट में भी यह आश्वासन दिलाया गया है 18.64 करोड़ का जो घाटा दिखाया गया है वह भी केन्द्रीय सरकार से जो कर की राशि मिलेगी और उसकी सहायता मिलेगी उससे इसकी पूर्ति हो जावेगी। 74–75 का बजट पेश करते समय आप ही वित्त मंत्री थे, 75–76 में भी आप ही ने बजट प्रस्तुत किया था और 76–77 में भी आप ही कर रहे हैं। यह जो 18.54 करोड़ का जो घाटा बताया गया है, मुझे यह विश्वास नहीं होता है कि इसकी पूर्ति जैसा कहा गया है उनके द्वारा वैसे कर ली जावेगी, बल्कि मैं समझता हूं कि यह जो घाटा बताया गया है उससे भी अधिक घाटा होगा। यह घाटा होगा और किस प्रकार से राजस्थान में विकास करेंगे और विकास की गति किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, उसका भी उज्जवल चित्र प्रस्तुत करते तो संतोष होता।

परन्तु मैं यह देख रहा हूं कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यह जो दो साल निकले हैं उसमें योजना के अन्तर्गत जो भी एक्स्पेन्डीचर हुआ है वह बहुत ही कम हुआ है। मैं यह सोच रहा था कि फोर्थ फाइव ईयर प्लान में जिस प्रकार मुस्तैदी से वित्त मंत्रीजी ने पानी की समस्या को हल करने के लिये प्रोविजन किया था, फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में उस मुस्तैदी से यह कार्य नहीं किया जाने वाला है। 76–77 का बजट प्रस्तुत हो रहा है उसमें जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत बताया गया है कि 74-75 में 22.52 करोड़ और संशोधित अनुमान के अनुसार 20.92 करोड़ और 76–77 में बजट अनुमान रखे गये हैं वह 21.75 करोड़ को दो करोड़ ज्यादा बता रहे हैं। यह एडीशन किया है। आप इसी में प्रस्तुत कर देते। यह दो करोड़ बढ़ा करके सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं में आपने अधिक खर्च किया है जबकि जो पानी की समस्या है वह अभी भी, विशेषरूप से रेगिस्तानी इलाकों में विषम समस्या है। फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में 23 पर्सेन्ट पापुलेशन को कवर किया और 77 पर्सेन्ट अभी करनी है और दो वर्ष में 10 पर्सेन्ट कवर-अप किया तब भी 67 पर्सेन्ट कवर-अप करना है और उसके लिये 250 करोड़ की आवश्यकता है। जो प्रोविजन्स कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में 6 करोड़ से बढ़ा कर 8 करोड़ कर दिया इस तरह से आप इस समस्या को कितने वर्षों में जाकर के हल कर सकेंगे? जो मनुष्यों की आवश्यक डिमान्ड है उसको कब तक पूरा कर सकेंगे? 8 करोड़ एक साल में। पांच

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

साल में 40 करोड़। और 25 वर्ष में 200 करोड़। कितना समय लगेगा इस समस्या को हल करने में ? इसके लिये हमारी जनता और हमारे किसान इन्तजार नहीं कर सकते उस समय जबकि विद्युतिकरण हो रहा है और इसका विकास हो रहा है और दूसरे जिलों में जब कि सिंचाई पर 60 परसेन्ट खर्च किया जा रहा है प्लान के अन्तर्गत, उस सूरत में आप रेगिस्तानी इलाकों की ओर ग्रामीण जनता की पीने के पानी की समस्या को हल न करें इस स्थिति को हम बरदाश्त कर नहीं सकते।

यदि आप विद्युतिकरण की ओर देखें तो जैसलमेर और बाड़मेर सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। डी. पी. ए. पी. के कार्यक्रम के अन्तर्गत 75-76 में जैसलमे जिले में अवश्य प्रोविजन किया और दूसरे जिलों में भी प्रोविजन किया लेकिन बिजली के बारे में प्रोविजन नहीं किया हमारे यहां 132 के.वी. की लाइन नहीं गयी। बाड़मेर जैसलमेर जिलों में सब से कम विद्युतिकरण हुआ है। मैं बराबर इस सदन का ध्यान दिलाता आया हूँ कि इन जिलों का भी विद्युतिकरण होना चाहिए। आपने जैसलमेर की ओर ध्यान दिया है। बाड़मेर जिले की ओर भी ध्यान दें। मैंने इस सम्बध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया था और उस समय यह विश्वास दिलाया गया था कि दो वर्षों में ही 132 के. वी. लाइन बाड़मेर जिले में पहुंचा दी जायेगी। मैं यह चाहता हूं कि वर्ष 76-77 में आप इसके लिए प्राविज़न रखें और नहीं तो डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत करें। करना तो प्लान के अन्तर्गत चाहिए। डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत विद्युतकिरण करेंगे तो हम क्या प्रोग्रेस करेंगे। जहां अकाल पड़ते हैं और अकाल की समस्या का हल करने के लिये डी. पी. ए. पी. का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। इसका पैसा भी विद्युतिकरण में खर्च कर देंगे तो किस प्रकार हम अपने राजस्थान के रेगिस्तान के क्षेत्रों का विकास कर सकेंगे। यह प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है। इसलिए चाहिये तो यह था कि इसका प्रोविजन प्लान में रखते। प्लान में नहीं रखते हैं तो डी.पी.ए.पी. के अन्तर्गत रखकर विद्युतिकरण करें। जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर तेजी से कदम उठाये जाने चाहिये ताकि ये जिले आगे बढ़ सकें और उन्नति कर सकें मैंने यह देखा है कि हरियाणा प्रान्त जिसका 120 करोड का बजट है, 120 करोड का प्लान है इस वर्ष 76-77 का और अपने राजस्थान प्रान्त का जो प्लान है वह 135 करोड रुपये का है। अब कहां तो हरियाणा, जो हमारे जोधपुर डिवीजन का आधा हिस्सा है एरिया के हिसाब से अब वह 120 करोड़ रुपये प्लान के अन्तर्गत रख कर अपने क्षेत्र को विकसित करता है और राजस्थान प्रान्त जो इतना विस्तृत है, उसमें प्लान के लिये केवल 135 करोड़ रुपया ही रखा जाता है। इस प्रकार हम इतने विशाल विस्तृत क्षेत्र के लिए 134 करोड़ का प्लान रख कर हम हमारे प्रान्त की प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए राज्य सरकार को यह कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि डेमोक्रेसी से हमारा प्रान्त पिछड़ा रह गया और दूसरे प्रांत आगे बढ़ गये—विशेषतौर से हमारे प्रांत के जो सीमावर्ती जिले हैं, वे पिछड़े हुए रह गये तो इसका बुरा असर पड़ेगा इसलिए सेन्ट्रल

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

गवर्नमेन्ट का प्लान में मदद देने का जो तरीका है, उस तरीके को बदलना होगा। इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उन जिलों के विकास के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट पर प्रेशर डालना होगा ताकि हमारा प्रांत भी दूसरे प्रांतों के मुकाबले में आवे इसलिए हमारे प्लान के अन्तर्गत भारत सरकार अधिक शेयर दे। अधिक शेयर लेने के लिए पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो यह प्रान्त पिछड़ा रह जाएगा, आगे प्रगति नहीं कर सकेगा। आज की प्रगति की जो दौड़ है उसमें तो हम पीछे रह गये हैं। इसलिये हमें इस प्रकार सोचना है कि राजस्थान प्रान्त पिछड़ा न रहे। इसके साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जो जिले पिछड़े हुए हैं वे भी अब पिछड़े न रहें।

अब मैं आपको इस ओर ले जाना चाहता हूं। इस बारे में भी मैंने पहले बार बार कहा था कि हमारे यहां जो योजनाओं में व्यय किया जाता है वह सब से कम व्यय किया जाता है। पहले तो बाड़मेर जिले में और दूसरे जालौर जिले में सब से कम व्यय योजनाओं में हुआ है। अब जो खर्च आप करने जा रहे हैं, जिस प्रकार से आप चल रहे हैं—इस प्रकार आपने हमारे जिले को पिछड़ा हुआ रखा है। पहले तो विद्युतिकरण को लें बाड़मेर में विद्युतिकरण राज्य का 0.86 परसेन्ट है। दूसरे जो इससे कम है वह 00.04 परसेन्ट जैसलमेर में है। यह जिले विद्युतिकरण में सब से पीछे हैं। जो विद्युतिकरण में पीछे रह जाते हैं, वे औद्योगिक विकास और कृषि-उन्नति, विकास में आगे नहीं बढ़ सकते। वे तरक्की नहीं कर सकते हैं विद्युतिकरण में हम सब से पीछे हैं। यह तथ्य आपने जो गवर्नमेन्ट की ओर से पुस्तिका 'कुछ तथ्य' प्रकाशित की है, उसमें दिये गये हैं। इसके अलावा आई.ई.सी. की कोई स्कीम बाड़मेर जिले में प्रारंभ नहीं की गयी है। एक तो यह जिला और दूसरा जैसलमेर जिला है जहां पर कि आर.ई.सी. की एक भी योजना नहीं है। सिवाना क्षेत्र में आर.ई.सी. की योजना है। राज्य सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है यह बात मैं राज्य सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। सिवाना क्षेत्र में स्कोप है जहां दोनों रबी और खरीफ की फसल होती है और जहां प्रास्पेक्ट्स भी हैं। वहां पर आर. ई. सी. की योजना को चालू करना चाहिए।

अब मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं, राजस्थान राज्य गृह निर्माण वित्त सहकारी समिति लि. की ओर। इस समिति ने राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मकान के लिए ऋण दिया है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सीकर जिले को यह लोन 72.98 लाख दिया है। रेवेन्यू मिनिस्टर साहिब सुन लीजिये...

श्री परसराम मदेरणा : क्या सुन लूं।

श्री वृद्धिचंद्र जैन : ... किस प्रकार एक कार्पोरेशन, सहकारी समितियों के साथ पक्षपात कर रहा है कितना इम्बेलेंस क्रियेट कर रहा है, और जिसके चेयरमेन अपने ही कांग्रेस के हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आप समझते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से इसका सम्बन्ध? मुझे क्यों डांट रहे हैं?

श्री वृद्धि चंद्र जैन : आप सुनें तो सही..

श्री परसराम मदेरणा : क्या गुनाह किया है, आप मुझे क्यों डांट रहे हैं ?

श्री वृद्धिचंद्र जैन : इसलिए कि मुझे आप से ज्यादा आशा है। आप इस इम्बेलेन्स को ठीक करने की शक्ति रखते हैं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं।

तो मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा था कि सीकर जिले में 72.98 लाख रुपया ऋण का दिया गया है और बाड़मेर जिले को केवल 7 हजार रुपया ऋण दिया गया है, और यह ऋण भी जब दिया गया जब कि श्रीमती इन्दिरा गांधी का वहां पर कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में सहकारी समिति के सदस्य भी बुलाये गये थे। इस सात हजार की इन्स्टालमेन्ट के अलावा एक पैसा भी उनको नहीं मिला। तो आप किस प्रकार हमारे यहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो कि सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं की उन्नति कर सके हैं, उनको कैसे दिलासा दिला सकते हैं। आपने इन लोगों को 8 लाख प्लाट्स दिये हैं 8 लाख प्लाट ओनर्स को सब के लिए मकान की व्यवस्था नहीं कर सकते। इन सब के लिए व्यवस्था करते हैं तो हमको 3 अरब 20 करोड़ रुपया चाहिये। राजस्थान गवर्नमेंट की यह केपेसिटी नहीं है। परन्तु यह हम आशा करते हैं कि अगर आप दूसरों को दें तो उसमें से ड्यू शेयर हम को भी दें। यह तो मैं आशा रखता हूं। मैं यह चाहता हूं कि आप आईन्दा जो राशि दें तब तो हमारे जिले का ध्यान रखें। 7 लाख की जो राशि दी है उसको अब प्राथमिकता दें तो मैं यह समझूंगा कि आप न्याय करना चाहते हैं, उचित कार्यवाही करना चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : कौन सी राशि स्वीकृत हुई है ?

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : हाउसिंग सोसाइटी के बारे में 7.2 लाख।

श्री परसराम मदेरणा : अब कौन सी राशि स्वीकृत हुई है ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : 7.25 लाख स्वीकृत हुई है।

श्री परसराम मदेरणा : लाख नहीं करोड़ होना चाहिए।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : करोड़ का सवाल ही नहीं है 7.25 लाख हुई है।

श्री परसराम मदेरणा : एक बात तो मैं बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कुछ भी सोसाइटीज का नम्बर है, हाउसेज का नम्बर है, लेकिन एमाउन्ट जो अभी तक एपेक्स हाउसिंग फाइनेन्स कोआपरेटिव सोसाइटी जो है उसको कितना सेन्क्शन हुआ है वह एक एब्स्ट्रेक्ट रिपोर्ट मानता हूं। सरकार की नियत पर शक न करें। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में इम्बेलेन्स है। अभी स्टेट लेवल की मीटिंग हुई थी इम्बेलेन्सेज के सम्बन्ध में उसमें डिसकशन हुआ है और उसके बारे में यह निर्णय लिया गया है क्योंकि जिन सोसाइटीज को पहली किश्त मिल गई है उनको तो अब मिलेगा ही और उनके बारे में अब तक के इम्बेलेन्सेज को इस स्टेज पर करेक्ट नहीं कर

(श्री परसराम मदेरणा)

सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में डिस्ट्रिक्ट में जो सोसाइटीज बनती हैं तो जिनको लोन देना है उन्हीं सोसाइटीज को रजिस्टर्ड किया जाय। लोन के सम्बन्ध में यह हो गया है कि जिले की पापुलेशन को देखते हुए एमाउन्ट सेन्क्शन करने की चेष्टा करें। इतना ही एमाउन्ट सेन्क्शन करें कि बराबर इम्बेलेन्स को ठीक किया जा सके, और आपके साथ में भी न्याय हो। इस प्रकार के डाइरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिये जा रहे हैं, और गवर्नमेंट स्वयं यह महसूस करती है कि कुछ जिलों के अन्दर इम्बेलेन्सेज हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मुझे बड़ा सन्तोष हुआ है कि जो इम्बेलेन्सेज हुए हैं उन इम्बेलेन्सेज को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार कदम लेने जा रही है। मैं इस सब से बहुत सन्तुष्ट हुआ हूं और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि आयन्दा इस प्रकार से राज्य सरकार की ओर से भूल नहीं होगी। इसलिए मैं समझता हूं कि जिलास्तर पर बजट जो प्रिपेयर किये जायं और डिस्ट्रिक्टवाइज इनका एलोकेशन जो है अगर वह प्रस्तुत कर दें। चार–पांच बड़ी बड़ी किताबें हमारे सामने रख देते हैं तो हमें बड़ी डिफिकल्टी होती है। तो उसके लिए आप कोशिश करें ताकि इम्बेलेन्सेज या बेलेन्सेज जितने भी हैं वह पता पड़ जायं। तो राज्य सरकार यह प्रयास करे, कोशिश करे कि जिलास्तर का जो एलोकेशन है तो जब बजट प्रस्तुत करें तो उसके साथ साथ में किस–किस डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या एलोकेशन करने जा रहे हैं वह भी प्रस्तुत करें, ताकि हमें पूरी तरह से यह पता पड़े कि आप इम्बेलेन्सेज क्रियेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं। तो इसलिए यह मैं आपको सुझाव के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं।

अब मैं यह बताना चाहता हूं कि सामाजिक सुरक्षा के लिए 1974–75 में 8.50 करोड़ रुपये, 1975-76 में 11.86 करोड़ रु. थे और 1976-77 में 5.24 करोड़ रुपये हैं। आप अच्छी तरह से देख लें 5.24 करोड़ रु. हैं। अब सामाजिक सुरक्षा में क्या खर्च करने जा रहे हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा का भी विशेष महत्व है। अगर सामाजिक सुरक्षा पर कम खर्च करेंगे तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, के लोगों पर इनका प्रभाव पड़ेगा···

श्री परसराम मदेरणा : जिसके आप सदस्य हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जिसका मैं सदस्य हूं या न हूं, लेकिन मैं उनके बारे में बहुत ही सहानुभूति रखता हूं। पहले था अभी नहीं हूं।

श्री परसराम मदेरणा : चेयरमैन नहीं हूं सदस्य तो हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सदस्य भी नहीं हूं।

तो सामाजिक सुरक्षा के लिए अगर आप ज्यादा खर्च करें, पानी की समस्या के लिए यदि आप ज्यादा खर्च करें और घाटे का बजट रखें तो आपको बरदाश्त कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, और आपको माफी दे सकते हैं, परन्तु उन मदों पर जो आवश्यक से आवश्यक मदे हैं उन पर आप खर्च करें और

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
फिर घाटे का बजट प्रस्तुत करें, तो हम कैसे आपको जो है क्षमा कर सकते हैं।

श्री दीपंकर : दण्ड की कोई व्यवस्था भी है ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मनोरंजन कर बढ़ाया है तो उस पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मनोरंजन कर जो आपने एक रुपया या उसके कम के टिकट पर 60 पर्सेन्ट रखा है 60 पर्सेन्ट से 40 पर्सेन्ट कर दें, क्योंकि उसका सीधा गरीब आदमी पर असर पड़ता है, और एक रुपये से आपके पास क्या आने वाला है ?

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : जरूरत नहीं गरीब लोगों को सिनेमा देखने को।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सिनेमा मजदूर देखते हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : उसमें ज्यादा तर गरीब लोग ही देखते हैं। मनोरंजन को उनके पास कोई दूसरा सोर्स नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मनोरंजन कर 1 रुपये 60 पर्सन्ट से 40 पर्सेन्ट कर दें तो यह बहुत उपयुक्त होगा, नहीं तो जो मजदूर गरीब लोग सिनेमा देखते हैं उन पर भी एक भार पड़ेगा। उनका एन्टरटेनमेंट का यही एक सोर्स है।

एक माननीय सदस्य : आप उसी केटेगरी में बैठते हैं क्या ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं सिनेमा ही नहीं देखता हूं।

मगर आपने इन पर भी प्रहार किया लेकिन उससे आपको विशेष लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए आपसे यह रिलीफ चाहते हैं मगर आप दे सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा।

बिक्री कर अफीम, पोस्त और भांग पर 30 पर्सेन्ट से भले ही 50 पर्सेन्ट लगा दें तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूं, और मैं यह चाहता हूं कि अफीम और पोस्त के डोडे तो बिल्कुल ही बन्द कर दें।

श्री परसराम मदेरणा : बाड़मेर में डोडे का पानी पीने वालों की पर्सेन्टेज क्या है ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसीलिए मैं इसके विरोध में हूं। बाड़मेर में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है।

श्री मोहन राज (बाली) : पीने वाले टैक्स नहीं देते हैं। वह चुराकर लाते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : बाड़मेर में अफीम के बजाय डोडे का पानी ज्यादा पसन्द करते हैं और उसकी पर्सेन्टेज भी काफी है।

श्री दीपंकर : सस्ता पड़ता है इसलिए पीते हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अफीम और पोस्त इनके बारे में मैं तो यह चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैं शराबबन्दी के पक्ष में हूं उसी प्रकार से अफीम जो है वह बन्द होना चाहिए, और यह उन्हीं को देना चाहिए जिनके लिए डाक्टर प्रमाण-पत्र दे। उसके अलावा किसी को एलाऊ नहीं किया जाना चाहिए और एलाऊ है भी नहीं। परन्तु इस

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

समय जो नशाबन्दी के बारे में शराबबन्दी के लिए बाड़मेर जिले में राज्य सरकार की ओर से जो कदम उठाये जा रहे हैं वह बहुत ही कमजोर कदम हैं। बहुत ही ढीले कदम हैं और इस प्रकार ज्यादा से ज्यादा शराब का विक्रय हो रहा है, यहां तक कि पहले जो शराब का प्रचलन था उससे भी अब अधिक बढ़ गया है। तो इसके लिए कानून को कुछ सख्त बनाना पड़ेगा। इसको नान-बेलेबल आफेन्स बनाना पड़ेगा, नान-काग्नीजेबल आफेन्स बनाना पड़ेगा, और कुछ गवर्नमेंट को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, पुलिस को अधिक अधिकार देने पड़ेगे, सिर्फ एक्साइज डिपार्टमेंट ही नहीं पुलिस को भी सतर्क होना पड़ेगा। काग्नीजेबल आफेन्स बनाकर उनका चालान करना पड़ेगा, पेट्रोलिंग पार्टीज को सक्रिय करना पड़ेगा, तब जाकर नशाबन्दी का क्रियान्वयन हो सकेगा इस जिले में, अन्यथा नहीं हो सकता है। इसको एक कारण बताया जा रहा है कि जहां पर नशाबन्दी की गई है वहां पर वह सफल नहीं हुई हैं, वहां पर शराब का उपयोग और बढ़ गया है, नशा और बढ़ गया है। इसलिए इसके लिए ज्यादा सख्ती की जरूरत है यह इस प्रकार की जो रीजनिंग दी जा रही हैं, मैं उसके खिलाफ हूं। आप अपने इस कानून के क्रियान्वयन में सफल नहीं हैं। असफल हैं। यह अपनी कमजोरी के कारण और उसके कारण ही आप शराब को ठीक मानें। यह मैं नहीं मानूंगा। हम जो गरीबों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं बीस सूत्री कार्यक्रम के द्वारा, परन्तु जब तक शराब, अफीम, गांजा कायम रहेंगे तब तक गरीब आदमी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता है। इसके अलावा आप रेवेन्यू बढ़ाकर स्थिति को ठीक करना चाहें, उनके स्वास्थ्य को खराब करके, उनकी स्थिति को बिगाड़ कर। एक तरफ हम पशुओं की नसल सुधारना चाहते हैं। उसके सुधार पर जोर दे रहे हैं। और दूसरी तरफ मनुष्यों की नसल बिगाड़ते जा रहे हैं, शराब और अफीम के द्वारा। यह कोई बरदाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए बीस सूत्री कार्यक्रम को सफल करना है। मैंने 12 सूत्री कार्यक्रम भी देखा है। परन्तु उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक सम्पूर्ण नशाबन्दी नहीं हो। गुजरात में सम्पूर्ण नशाबन्दी हो रही है तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकती है? शराब की आय पहले 12 करोड़ थी अब 20 करोड़ बढ़ाने जा रहे हैं। आप इस पर प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। हमारे को ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी ने हमको आजादी दी है। उन्होंने किस बात पर ज्यादा जोर दिया था। हम उनके सिद्धान्तों को भूल रहे हैं। आचार्य विनोबा भावे के सिद्धान्तों को पालन करके शराबबन्दी का सबसे पहले कदम उठाना चाहिए।

श्री **उपाध्यक्ष** : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** : बस दो मिनिट में समाप्त करता हूं।

अब वसूली के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। रेवेन्यू वसूली के बारे में मन्त्री महोदय ने मेरे खयाल से स्थगन के आदेश दिये हैं। परन्तु वह अभी तक नहीं पहुंचे हैं मेरा निवेदन है कि स्थगन आदेश जल्दी से जल्दी पहुंचाये जावें ताकि उन किसानों की स्थिति जो बद से बदतर हो रही

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

है तो जब रबी की फसल तैयार हो जाये और हमारे यहां का मेला हो जाये तो स्थगन के जो आदेश आते हैं, उसकी क्रियान्विति जल्दी से जल्दी की जाये। जब रा-मैटेरियल के भाव घटे। अनाज के भाव घटे। परन्तु कपड़े के भाव नहीं घटे हैं। जब कि उसका नाम है, जनता कपड़ा परन्तु जनता के लिए इस तरह का चिथड़ा कपड़ा? चिथड़ा जैसा निकम्मा कपड़ा? या तो इसका नाम बदल दो। अगर नहीं बदलते हो तो मोटा कपड़ा जो किसानों के लायक हो। अगर आप ऐसा भी कर देते हैं तो भी आप की ओर से यह एक बड़ी रिलीफ होगा। जब किसान जिन चीजों को उत्पादन करता है, उसके भाव घट रहे हैं। इसलिए जनता कपड़ा के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट पर दबाव डालें। जो किसानों के पहनने के लायक हो। अगर कारखानों में ऐसा कपड़ा है, अगर गवर्नमेंट ने ऐसे आदेश किये हैं तो यह बड़े दुःख की बात है। परन्तु गवर्नमेंट ने ऐसे आदेश नहीं दिये हैं। पहले से क्वालिटी कुछ इम्प्रूव हुई है, लेकिन और इम्प्रूव होना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यही निवेदन करूंगा कि अपनी पूरी शक्ति 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में लगायें। और गरीबों को सुधारने में लग जाये। ऐसी वार्षिक योजनाओं के लिए जो इस बजट में राशि प्रस्तुत की गई है, उन खर्चों से अगर हम गरीबों की स्थिति में सुधार लायें तो अच्छा हो। सन् 1975–76 में योजनाएं प्रस्तुत हुई। गरीबों की गरीबी में कितना सुधार हुआ? कितनी गरीबी हटी? आपके राज्य की आय बढ़ जाये तो आपको सन्तोष नहीं होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

आय के साथ-साथ में गरीबों की स्थिति में सुधार होता उनकी स्थिति ठीक हुई होती तो हम अपने काम में सफल होते। चार पंचवर्षीय योजनाएं बनीं। उनका परिणाम क्या हुआ? धनी धनी होता गया और गरीब गरीब होता गया।

श्री परसराम मदेरणा : आपके बाड़मेर जिले में जो मामूली से मामूली मिट्टी उठाने वाला भी लेबर है, उसकी मिनिमम आय क्या है?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह मैं बाद में बता दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : भारत में यह विचारधारा चल रही है कि 25 रु. प्रति माह से कम कमाने वाले को ही बिलो दी पावर्टी लाइन माना जाये। आपके यहां मिट्टी उठाने वाला मजदूर भी 5 रु. से कम नहीं लेता।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह प्रश्न उठाया गया है, एक साल में वर्षा हो जाय, उस अच्छे साल से आप मुकाबला करें तो आप भयंकर भूल करेंगे। कोई एक वर्ष आया और मजदूरी मिली तो वह आपको अखरा। इसका मुझे दुःख है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अकाल के दिनों में क्या स्थिति होती है? अकाल सहायता मन्त्री आ रहे हैं। उन दिनों में अगर डेढ़ रुपया भी मिल जाये तो मजदूर उसी में सन्तोष कर लेता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इन्हीं शब्दों के साथ मैंने मेरे विचार जो सदन के समक्ष प्रस्तुत किये हैं उनको प्रस्तुत करते हुए जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनराज।

श्री मोहनराज (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट को प्रस्तुत करते हुए कुछ बहुत स्पष्ट रूप से यह तथ्य आया है कि राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रही है और सशक्त बनी है। जिन परिस्थितियों में से सारा देश गुजरा है, उन्हीं परिस्थितियों से राजस्थान को भी गुजरना पड़ा है। कई मायनों में अन्य राज्यों की अपेक्षा राजस्थान भारी क्षत-विक्षत हुआ है। इन राज्यों में प्रजातन्त्र की बहुत बड़ी शक्ति असामाजिक तत्वों, तोड़-फोड़ करने वालों की कार्यवाहियों को रोकने में लगी थी। इसके उपरान्त भी विकास की गति मन्द नहीं हुई है, अपितु और बढ़ी है। यह प्रमाण है कि राज्य की स्थिति सम्भाली गई है, और उसका सदुपयोग किया गया है। जो आंकड़े दिये गये हैं, उनसे यह स्पष्ट है। जहां वार्षिक योजना पर 105.50 लाख लगाया जाता था, वहां खर्च किया है, 135.38 लाख। और आगामी वर्ष के लिए हमने बजट में प्रावधान किया है हमारी वार्षिक योजना का 138.19 लाख। तो यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन साथ ही मैं वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अगले वर्ष में और 21 सूत्री कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में अगर इसको देखा जाय और जो जनता की आकांक्षायें इससे विकास की बढ़ी हैं, जो जनता के सामने विकास के द्वार हमने इस की क्रियान्विति के द्वारा खोले हैं उससे मैं सोचता हूं कि 138 लाख मामूली ठहरेगा और इसको-हमको बढ़ाना पड़ेगा जिससे उनको आगे बढ़ने में गति मिल सकेगी। इसलिए मैं सोचता हूं कि इस प्रावधान की रकम को बढ़ा कर हम अपनी योजना को शुरू करेंगे।

श्री ओंकारलाल चौहान : यह 138 लाख है या 138 करोड़ ?

श्री मोहनराज : 138 करोड़। मैंने जो 138 लाख कहा है उसको 138 करोड़ करके राइट किया जावे।

राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए और जनसाधारण को राहत देने के लिये मूल्यों में गिरावट आई है और उसकी वजह से आम लोगों में आशा का संचार हुआ है और एक नया विश्वास जागा है और आज हम उस विश्वास के आधार पर यह कह सकते हैं कि आम आदमी अब और प्रगति की ओर बढ़ना चाहता है और...

श्री शीशराम ओला : मूल्यों में गिरावट से तो आम आदमी को कोई राहत नहीं मिली है।

श्री मोहनराज : मैं बिलकुल वही शब्द दोहराना चाहता हूं कि मूल्य की गिरावट के कारण जन-साधारण में आशा का संचार हुआ है।

श्री शीशराम ओला : 80 प्रतिशत में तो हुआ नहीं, 20 प्रतिशत में हुआ तो पता नहीं।

श्री मोहनराज : मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां एक ओर जो हमारी

(श्री मोहनराज)

उत्पादन की क्षमता है वह बढ़ी है, यह मैं इस दृष्टि से कह रहा हूं कि अगर उत्पादन नहीं बढ़ता तो मूल्यों के बढ़ने की स्थिति को हम रोक नहीं सकते थे और इसके खातिर जो भी कदम उठाये गये हैं मैं उनकी सराहना किये बिना नहीं रह सकता। अब जो स्थिति हमारे यहां पर 21 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के बतौर हमारे सामने उपस्थित होती है वह वास्तव में एक चेलेन्ज का रूप है और हम सब उस चैलेन्ज को स्वीकार करें तभी जाकर उसकी क्रियान्विति हो सकती है। मैं मानता हूं कि राज्य के अन्दर शुरुआत में ही अकाल और बाढ़ के कारण जो विनाश हुआ उसको रोकने में काफी धन खर्च करना पड़ा। लेकिन उन कठिनाइयों को भी पूरा करते हुए हम आगे बढ़े हैं। मैं जिस क्षेत्र से आ रहा हूं, वहां की तरक्की के लिए एक मरु विकास आयोग की स्थापना की गई है। उसके तहत जो कार्य हाथ में लिये गये हैं मैं उन्हें नाकाफी मानता हूं। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि यह तो शुरुआत है और जो विकास की आशाएं लोगों में जगी हैं यह मरु विकास आयोग द्रुत गति से काम शुरू करेगा और उसके अन्दर छोटी-छोटी लघु सिंचाई के काम हैं जिनसे कि काश्तकार को तात्कालिक राहत पहुंच सके, उस क्षेत्र में अच्छा और सस्ता बीज, रासायनिक खाद और बिजली, ये सारी चीजें अगर जल्दी से जल्दी मुहैय्या कराई जायं तो हमारा लक्ष्य पूरा हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। बाकी क्षेत्र के रेगिस्तानी इलाके में जो विकास के कार्य किये जाने हैं, उनकी एक लम्बी सूची हमने भेजी है। छोटे-छोटे एनीकट्स और लघु सिंचाई के कार्य वहां पर शीघ्रता से किये जायं ताकि वहां के लोगों को बड़ा लाभ मिल सके। अरावली की तलहटी में रहने वाले आदिवासियों की जनसंख्या ऐसी है जिनके विकास के लिये अगर प्रयत्न नहीं किये गये तो वह इलाका पिछड़ा ही रह जायगा। आज आजादी के इतने वर्षों के बाद भी यह पिछड़ा हुआ इलाका है और उसमें विकास नहीं हो पाया है। मैं सोचता हूं कि उनके विकास के काम को भी जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा।

मैं इसी तरह से 21 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत जो काम अभी तक हुए हैं उन कृत्यों का भी कम नहीं मानता हूं। मैं जिस क्षेत्र से आ रहा हूं, बाली क्षेत्र के अन्दर आज कोई भी स्कूल, या कालेज, सारे के सारे, कालेज, हाई स्कूल, हायर सैकेन्डरी स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के लिये बुक बैंकों की स्थापना हो चुकी है और वहां पर जो छात्र और छात्राओं को राहत पहुंची है वह सचमुच में हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के अन्दर एक वातावरण बनाने में अग्रसर रही है।

इसी तरह से जमीन प्राप्त करने के लिये भू-सीलिंग का जो मामला है, उसके अन्दर जो गति इन पिछले महीनों में आई वह अपने आप में एक महत्व रखती है। इतना ही नहीं जो भी काम थे, हमारे जिले के लिए योजना बनाई गई जिसके आधार पर वहां की पंचायत समिति व ब्लाक कांग्रेस कमेटी ने एक गांव के अन्दर, बेड़ा गांव, जो भूमि सीलिंग से छिपायी गयी थी, उस भूमि को, 4500 बीघा एकड़ भूमि को प्राप्त किया है

(श्री मोहनराज)
और मैं सोचता हूँ कि उसको प्राप्त करने के लिए ब्लाक कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने जो

(2.28 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

योगदान दिया है वह अपने आप में अनूठा है और इससे अन्य लोग भी सामने आ रहे हैं और भूमिहीन काश्तकार और श्रमिकों की वहां पर समितियां बनायी गई हैं और भूमिहीनों को भूमि और श्रमिकों को, मजदूरी करने वालों को, न्यूनतम मजदूरी मिल जाय, इसके लिए वहां पर समितियां और संघ बनाये गये हैं और उनके मार्फत उनका शोषण नहीं हो, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है, ताकि उनको पूरी मजदूरी बराबर मिलती रहे जो कि राज्य सरकार द्वारा तय की गई है।

साथ ही सागड़ी प्रथा के उन्मूलन के लिए कई कदम उठाये गये हैं। जहां कहीं भी कोई भी कोई उदाहरण सामने आया उनको ठीक किया गया और दस व्यक्तियों का चालान हुआ और कई सागड़ियों को मुक्त कराया गया। मैं सोचता हूं यह सारी चीजें हैं जिनसे एक ओर राहत पहुंची है वहां दूसरी ओर विकास के लिए यह नई भूख जाग्रत करने के लिए भी है। लेकिन नई जगी हुई भूख को पूरा नहीं किया तो इसके मायने हैं, हम जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसमें हमें पूरी विफलता मिलेगी, जिससे एक ओर जहां विफलता और असफलता का वातावरण पैदा हो जाता है तो दूसरी ओर लोगों के अन्दर आशा का संचार करना, उनमें विश्वास पैदा करना, साधारण लोगों के अन्दर, मुश्किल बात हो जाती है। मैं अर्ज यह कर रहा था कि लोगों में जो आशा का संचार हुआ है, उसको पूरा करने के लिए जरूरी है, हम इन विकास कार्यों के अन्दर गति लायें। हम चाहते हैं कि देश के अन्दर जो साहूकार लोग, सूदखोर लोग लोगों को कर्ज देते हैं उनसे लोगों को मुक्ति मिले। आज आवश्यकता है कि बैंक जहां पर नहीं है गांवों के अन्दर, वहां पर ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों की व्यवस्था की जाय। जहां बैंक हैं, एक दो जगह हैं भी लेकिन किसी बैंक से फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है। मैं सिर्फ एक उदाहरण राज्य सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। बाली में लाणा कस्बा है, लाणा कस्बे में स्टेट बैंक आफ जयपुर एण्ड बीकानेर की शाखा खुली हुई है। लेकिन उसने अभी तक तीन साल के अर्से में काश्तकारों को, छोटे-छोटे आर्टिजन, कारीगर, अपना धन्धा करने वालों को कोई भी ऋण उपलब्ध नहीं कराया है। मैंने मैनेजर से बात की है। वह कहता है, मैं अकेला आदमी हूं, मैं कहां पर लोगों की हालत जानने बाहर निकलूं। मुझसे यह काम सम्भव नहीं। उनसे यह काम सम्भव नहीं है तो ग्रामीण क्षेत्र में बैंक खोलने का उद्देश्य है, वह मायने नहीं रखता है। मैं सोचता हूं, राज्य सरकार इस ओर ध्यान देगी और बैंक से कर्ज दिलाने की व्यवस्था करेगी। दूसरी सहकारी समितियां हैं वहां भी इस कार्य के लिए पुनर्गठन की नितान्त आवश्यकता है। सहकारी समितियों को सुदृढ़ करके, उनके नये चुनाव करा कर उनके मार्फत सारा लोनिंग हो, काश्तकारों के दैनिक कर्ज को पूरा किया जाय। अगर इस व्यवस्था को ठीक नहीं किया तो इससे गांवों में असंतोष की लहर पैदा

(श्री मोहनराज)

होगी और एक प्रकार से जो हम सुधार चाहते हैं आर्थिक क्षेत्र में, वह सुधार पूरा नहीं हो सकेगा और मजबूर होकर अधिक ब्याज पर कर्ज लेने साहूकार के यहां जाना पड़ेगा और पहले जो शोषण होता था उससे कई गुना ज्यादा होगा। मेरे ख्याल में राज्य सरकार इस चीज को गम्भीरता से लेगी और इसके लिए तत्काल कोई उपाय सोचेगी।

दूसरी चीज जो मैं अभी कह रहा था, बिजली के लिए, जहां बाली सरीखे क्षेत्र के अन्दर गांव के गांव के अन्दर सिंचाई का एक मात्र साधन कुए हैं, अभी तक बाली क्षेत्र को आर. ई. सी. क्षेत्र में नहीं लिया गया है। उस कार्यक्रम में योजना बाली क्षेत्र के लिए बनाई गई, लेकिन कोई न कोई रुकावट तकनीकी दृष्टि से कागजों में डाल दी गई और हमेशा वह लुढ़कती रही दिल्ली और जयपुर के बीच। अब वक्त आ गया है कि इस चीज को पूरा करें ताकि काश्तकारों की हालत को सुदृढ़ किया जा सके और सुधारा जा सके। जैसा अभी सोचा जा रहा था कि खाद्यान्नों के भाव गिरने की वजह से किसानों की हालत वास्तव में चिन्ताजनक हो रही है, उनमें भय और चिन्ता का वातावरण पैदा हो रहा है, लेकिन साथ ही अगर हम सारे आर्थिक वातावरण को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से देखें तो काश्तकारों के भय और चिन्ता को दूर करने का केवल एक उपाय है कि जो भी खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने और कृषि के क्षेत्र में तरक्की करने के साधन हैं वह किसानों को ठीक व रियायती दरों पर मुहैय्या कर दें। अगर यह चीजें, बिजली ठीक ढंग से मुहैय्या हो जाय, पानी के साधनों में बढ़ोतरी हो जाय, समय पर अच्छा बीज और खाद उनको मिल जाय, वक्त पर फसल की कीटनाशक दवाई मिल जाय, वक्त पर कर्ज मिल जाय–यह चीजें पूरी कर देंगे तो आज जो चिन्ता का वातावरण बना हुआ है वह निर्मूल होगा और उनमें उत्पादन बढ़ाने के लिये आशा का संचार होगा। मैं सोचता हूं, राज्य सरकार की ओर से जो एक विश्वास दिलाया गया है उसको गांव गांव तक पहुंचाया जाना चाहिये कि नहीं जो भी सरकारी तौर पर भाव तय किये गये हैं उनसे हर हालत में नीचे नहीं गिरने दिये जायेंगे। आज किसान सोचता है, मुझसे लगान की वसूली हो रही है, तकावी की वसूली हो रही है, मुझसे सहकारी समितियों के कर्ज की वसूली हो रही है, सारी वसूलियां उसके सिर पर आ गई हैं लेकिन सरकार की ओर से सरकारी दर पर माल खरीदने की आज एजेंसी काम नहीं कर रही है, तो किसके पास जायेंगे? उसके पास ही जाना पड़ेगा, पुराने साहूकार से कर्ज लेना पड़ता था, उसको ही उसकी दी हुई कीमत पर माल बेचना पड़ेगा। इससे किसानों पर दुहरी मार पड़ेगी। मैं राज्य सरकार को यह कहना चाहता हूँ कि फसल का माल बाजार में आ रहा है, माल निकल रहा है, उसको खरीदने की व्यवस्था तत्काल कर देंगे तो जो चिन्ता की लहर आ रही है भाव गिरने से वह निर्मूल हो जायेगी। साथ ही ऐसी व्यवस्था का समाचार तत्काल दीजिये। मैं सोचता हूं इससे वातावरण को सुधारने में बड़ी भारी मदद मिलेगी।

दूसरी चीज औद्योगिक दृष्टि से यह कहना चाहता हूं, फालना में बहुत पहले

(श्री मोहनराज)
औद्योगिक बस्ती बनाई थी, वहां पर बिजली मुहैय्या की गई, जमीन भी दी लेकिन उस औद्योगिक बस्ती के लिए अलग से पानी की जल की व्यवस्था नहीं की गई। जो कि फालना स्टेशन है, उसके पास खुडाला गांव में पानी की व्यवस्था थी, उससे औद्योगिक बस्ती को पानी दिया जाने लगा। फलस्वरूप औद्योगिक बस्ती को पानी न मिलने के कारण परेशानी हो रही है। वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा, फालना औद्योगिक बस्ती के लिए, जैसा पूर्व में लिखित रूप में निवेदन किया है, उसका सर्वे भी हो चुका है, अगर पानी की समुचित व्यवस्था की जाय तो जो उद्योग वहां स्थापित हुए हैं वह आगे चलते रहेंगे और उनमें भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से उन मजदूरों के लिए मैं समाज कल्याण विभाग के मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि एक श्रम कल्याण केन्द्र की स्थापना होना जरूरी है, जहां पर तीन हजार मजदूर काम करते हैं, उन मजदूरों की देख-रेख के लिए, जो समाज कल्याण की सुविधाएं देने की योजनाएं हैं उनके लिए वहां पर कोई भी किसी तरह का केन्द्र नहीं है। मैं सोचता हूं, इस बारे में वे सोचेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

इसी तरह से जो भी वित्त मंत्रीजी ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक विशेष धनराशि का प्रावधान किया है कि जिससे चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हो सके और जनता को अधिक राहत दी जा सके इसके लिए तो मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं, मेरे क्षेत्र में जिले के डाक्टर, दूसरे चिकित्सालयों के डाक्टरों ने दिन-रात महनत करके, छोटे छोटे गांवों में जाकर चिकित्सा की, सर्जिकल और मेडिकल के केम्प किये हैं उनको बड़ी सफलता मिली है, छोटे-छोटे गांव-गांव में दो सौ, ढाई सौ आपरेशन हुए हैं, हजारों मरीजों को देखा है, वहां पर सारी चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। लेकिन आज भी मेरे इलाके में सात-सात हजार की बस्ती के मुडारा, सकरी सरीखे गांव हैं, जहां कोई डाक्टर उपलब्ध नहीं है, वहां चिकित्सालय की व्यवस्था नहीं है, वहां पुराने वक्त के ऐड पोस्ट चले आये हैं। वहां कम्पाउन्डर रहता है, वह चिकित्सा सम्बन्धी समस्यायें हैं उन पर पार नहीं पा सकता और पूरा नहीं कर सकता है। मैं सोचता हूं, चिकित्सा मंत्रीजी इस ओर भी ध्यान देंगे और इसके लिए भी अधिक प्रावधान करेंगे।

इसी तरह से बाली के अन्दर उप-खण्ड का मुख्यालय है। वहां अस्पताल के लिए शानदार इमारत बनाई गई है। राज्य सरकार से उस समय निवेदन किया गया, यहां के अस्पताल का स्तर बढ़ायें ताकि आस-पास के सारे इलाके की करीब पांच लाख आबादी है उस आबादी को बड़े अस्पताल, रेफरल हास्पिटल की मदद मिल सके। रेफरल हास्पिटल का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन वहां पर अधिक मरीजों की चिकित्सा की व्यवस्था हो सकती है, वहां शैय्याओं की संख्या बढ़ सकती है। इस ओर मंत्री महोदय ध्यान देंगे तभी जाकर काम पूरा किया जा सकता है।

(श्री मोहनराज)

दूसरे पेयजल की योजना के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, मैं जब वर्ष 1972 के अन्दर इस सदन के अन्दर चुन कर आया था उस समय मैंने वित्त मंत्रीजी को, जो इस विभाग के भी मंत्री हैं, नम्र निवेदन करके चिट्ठी लिखी थी, मेरे यहां पर दो बड़े गांव हैं, जिनसे आस-पास भी पांच-पांच, सात-सात गांव लगते हैं वहां पर पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या है। वहां जल योजना स्वीकृत कीजिये। वहां गांव सेवाड़ी, लाठाला है, उनके आस-पास पांच-सात गांव मिला कर योजनायें आपने बनाई। उसके बाद आपका पत्र सन् 1974 में मिला था कि यह योजनायें बनकर आ गई हैं, इन पर तत्काल निर्णय लिया जाएगा। मेरा ख्याल है, अभी तक सारी योजनायें यों की यों रह गई हैं और कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिला समिति ने भी इन योजनाओं के मुतल्लिक आप से निवेदन किया है, इन योजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया जाय। मैं पुनः स्मरण दिला कर निवेदन कर सकता हूं, मेरा ख्याल है, इस ओर आपका ध्यान जायगा।

दूसरी चीज सड़कों के विषय में यह कहना चाहूंगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर मेरे इलाके में एक सड़क स्वीकृत हुई सादड़ी—पिंडवाड़ा वाया वाली। पिछले दो वर्ष से कोई पैसा इसके लिए नहीं दिया गया है। इस कारण बेड़ा बीजापुर से बाली सड़क अधूरी रह गई है, नीचे पिंडवाड़ा तक पहुंचाना तो दूर रहा, इतनी आवश्यक सड़क, जो अहमदाबाद से उदयपुर तक की दूरी को—पचास मील दूरी—कम करती है। जिसके बीच में कोई बड़ी नदियां नहीं आती हैं और नजदीक का रास्ता होने से पर्यटकों के जितने सेंटर्स हैं, सभी सड़क पर आ जाते हैं चाहे आबू—दिलवाड़ा हो, फिर भी पर्यटकों के महत्व को देखते हुए और वहां की सारी परिस्थितियों को देखते हुए, इस सड़क के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और आवश्यक प्रावधान रखा जाए।

दूसरी चीज जो कही गई वह 21 सूत्री कार्यक्रम में भी है और राज्य सरकार ने तो उस पर विशेष तवज्जह दी है कि गरीब लोगों को गांवों के अन्दर मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। इसके लिए कमेटियां तो जगह-जगह बनाई गई हैं, लेकिन जैसे पाली में जिस दिन कमेटी बनाई गई, उस दिन मैं स्वयं मौजूद था, जिला न्यायाधीश, पाली वहां पर आए थे, वकीलों की कमेटी बनाई गई। अब किन नियमों के आधार पर कमेटी काम करेगी, इसके लिए उनके निर्देश थे कि पाली जाकर नियम बनाकर भेजेंगे कि किस तरह से दरख्वास्तें रिसीव होंगी, कमेटी में छानबीन कैसे होगी, किस प्रकार से सहायता दी जायेगी। लेकिन अभी तक, इस प्रकार के मॉडल नियम नहीं बने हैं और कम से कम गांवों में, जहां पर भी न्यायालय हैं, ये नियम नहीं पहुंचे हैं। नतीजा यह होता है कि एक आदमी सोचता है कि कमेटी बनाई गई, लेकिन कैसे सहायता मिलेगी और जो संबंधित वकील हैं, वे सोचते हैं कि हमें निर्देश के रूप में कुछ मिले तो कानूनी सहायता देने में सक्षम हो सकेंगे। तो इस संबंध में राज्य सरकार ने जो कुछ सोचा

(श्री मोहनराज)

है व इसके लिए जो मॉडल नियम बनाये हैं तो उन्हें तत्काल प्रकाशित करके वितरित करना चाहिए ताकि लोगों को जानकारी हो व उसके आधार पर काम शुरू किया जा सके।

वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में बताया कि मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए एक समिति का निर्माण हुआ है। आम तौर पर यह सोचा जाता रहा है कि आदिवासी क्षेत्र या तो डूंगरपुर–बांसवाड़ा है या उदयपुर के कुछ हिस्सों में है, अन्य क्षेत्रों में नहीं। अभी मुख्य मंत्री जो पिछली गर्मी में जब हमारे इलाके में आए थे मैं उन्हें आदिवासी क्षेत्रों में ले गया था, वहां पर आदिवासियों की जनसंख्या का बड़ा जमाव है और अरावली की तलहटी में रहते हैं, उनकी वही स्थिति है जैसे उदयपुर जिले में रहने वालों की है। तो उस समय मुख्य मंत्रीजी ने यह विश्वास दिलाया था कि पाली जिले के आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना बनाकर क्षेत्रीय योजना का रूप दिया जाएगा और तरक्की के काम हाथ में लिए जायेंगे, लेकिन अभी तक इस तरह की योजना नहीं बनी। जितनी भी जानकारी पंचायत समिति और जिला स्तर पर चाही गई, सारी की सारी प्लानिंग के स्पेशल सेक्रेटरी को बहुत समय पहले भेजी जा चुकी है लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। मैं यह बात मुख्य मंत्री के ध्यान में वापिस लाना चाहता हूं और वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पाली जिले में आदिवासियों का जो क्षेत्र है, उसकी बहबूदी के लिए योजना में स्थान होना चाहिए ताकि वहां के लोग भी दूसरे आदिवासियों की तरह आगे बढ़ सकें।

हमारा ध्यान और सब प्रकार की संपत्ति की रक्षा की ओर गया है लेकिन जो वन-संपत्ति है उसकी रक्षा की ओर बहुत कम जा रहा है। आज भी जिस तरह से जंगलों का सफाया हो रहा है न केवल सुरक्षित वन खंडों में से लेकिन दूसरी भूमि में से अगर उसको नहीं रोका गया, रक्षा नहीं की गई तो एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हो जाएगी, और यहां पर जो वर्षा कम होती जा रही है उसके अन्दर भयंकर कमी आ जायगी। हम कितने ही मरु विकास के आयोग बना लें लेकिन वनों की रक्षा और उनकी और बढ़ोतरी तथा जगह-जगह दरख्त लगाने की व्यवस्था नहीं की तो हमारा आयोग वैसे का वैसा रह जाएगा और सारा राज्य फिर मरु के अन्दर परिणित हो जाएगा। गत सत्र में मैंने निवेदन किया था कि मेरे इलाके में दो जगहों पर, बाली प्रॉपर में 7 हजार बीघा जमीन भूतपूर्व महाराजा की है उसके अन्दर हजारों पेड़ काटे गए बेरहमी से, सेला में जो वन विभाग द्वारा पेड़ लगाए गए थे वहां पर ठेका देकर, 29 हजार रुपए में ठेका देकर जंगल काटा गया। जहां पर एक किलो मीटर की दूरी पर एस.डी.एम.और तहसीलदार बैठे हैं और उनकी नॉलेज में है भयंकर रूप से पेड़ों का काटा जाना और कोयला बनाया जाना, फिर भी राज्य सरकार कार्यवाही नहीं करती तो वास्तव में ताज्जुब होता है। मैं समझता हूं कि इस सारे मामले की दुबारा जांच करायें कि क्यों हुआ, किसकी अनुमति से हुआ? और जहां कहीं भी दोष पाया जाय तो आप भी अधिकारियों को दंडित करें। जहां राष्ट्रीय सम्पत्ति का दुरु-

(श्री मोहनराव)

पयोग हो वहां कुछ लोगों को दंडित न करें और दिन-दहाड़े जिन लोगों की जमीन आप सीलिंग से प्राप्त कर रहे हैं, वे हरियाली विहीन करके आपको जमीन दे रहे हैं और मुआवजा प्राप्त करना चाहते हैं, यह कब तक बरदाश्त किया जाएगा और जिस किसान को जमीन देंगे, किस हालत में देंगे ?

वित्त मंत्रीजी ने शराब पर टैक्स बढ़ाया है लेकिन मैं अपने सारे विचारों को इस मामले में दुहराना नहीं चाहूँगा। वित्त मंत्री जी इस बात से परिचित हैं कि शराबबन्दी के बारे में जब कभी मौका मिलता है तो निवेदन करता रहता हूं लेकिन इस मौके को इसलिए चूकना नहीं चाहता कि 21 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के बाद देश भर में सरकारें नाम कमा रही है और मुझे गर्व है और राज्य सरकार को बधाई भी देना चाहता हूं कि देश में सारे राज्यों में 21 सूत्री प्रोग्राम की क्रियान्विति के अन्दर राजस्थान सिरमोर है, लेकिन आप प्रथम स्थान को बिल्कुल सबमें पिछला स्थान बना देंगे। अगर शराबबन्दी न करके आप लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचा रहे हैं तो वह गौण हो जाएगा, उनकी जेबों में पहुंचा हुआ लाभ शराब के द्वारा वापिस बह कर कुछ ठेकेदारों की जेबों में जाएगा। इसलिए इस पर पुनर्विचार करें, इसके अलावा पिछले वर्षों में आपने कभी एक जिले को कभी दो जिलों को सूखा घोषित किया है लेकिन अब की बार राज्य सरकार ने वह भी नहीं किया है। पाली जिले के लिए मैंने खास तौर से निवेदन किया था कि वहां की हालत को देखते हुए, गरीबों की हालत सुधारने के लिए आप एक बार कदम उठायें, फिर वहां के कार्यकर्ताओं को मौका दें कि हम किस तरह से शराबबन्दी के लिए वातावरण बना रहे हैं। आप कहते हैं कि हम कार्यकर्ता जाकर लोगों को शराब से दूर रखें। हम गांव में जाकर उपदेश दें कि शराब मत पीयें और वित्त मंत्रीजी ने नई दुकानें खुलवा दीं तो आपका और हमारा कान्ट्रेडिक्शन कैसे साथ साथ चलेगा ? हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। कांग्रेस का एक सिपाही अपने सिद्धांतों के आधार पर गांव में जाकर काम करने को तैयार है। प्रधान मंत्री ने शराबबन्दी के लिए जो 12 सूत्री कार्यक्रम दिया है, उसमें भी हम 21 सूत्री कार्यक्रम की तरह रुचि लेना चाहते हैं लेकिन जो इस तरह की दुकानें 12 सूत्री कार्यक्रम के विरुद्ध लगाई हैं, मंदिरों और स्कूलों के पास आम रास्ते पर, मजदूर बस्तियों और कारखानों के पास, ज्यों ही मजदूर थोड़ा सा पैसा जेब में लेकर निकलता है, शराब की दुकान पर बैठ जाता है और सारे पैसों की शराब पीकर खाली हाथ अपने घर जाता है। उसके पास कुछ नहीं रहता। इस बात से माननीय वित्त मंत्री जी भी नावाकिफ नहीं हैं। इसलिए अगर वित्त मंत्री जी यह सोचते हैं कि हम शराबबन्दी पूर्णतया लागू कर देंगे तो हमें जो आज 18-20 करोड़ रुपये की आय हो रही है वह बन्द हो जायेगी और इस 18-20 करोड़ रुपये से जो राजस्थान में विकास हो रहा है वह बन्द हो जायेगा, तो मैं वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात अगर आप सोचते हैं तो गलत है। आपका विकास नहीं रुकेगा। क्योंकि आज जो आप विकास की बात करते हैं चाहे वह सड़क बनाने की बात हो, चाहे अस्पताल खोलने की

(श्री मोहनराज)

चाहे स्कूल खोलने की बात हो, यह सभी चीजें दूसरे नम्बर पर आती हैं। सबसे पहला नम्बर होता है इन्सान का विकास। अगर आप इंसान का विकास नहीं कर सकेंगे तो आपका जो यह दूसरे नम्बर का विकास है वह सब धरा का धरा यहीं रह जायेगा। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन नम्रता-पूर्वक करना चाहूंगा कि आप इस शराबबंदी को ताकीद से लागू करें। सभापति महोदय, मैं यह मानता हूं कि वित्त मंत्री जी इसको लागू करना चाहते हैं लेकिन इसको अभी तक दृढ़ता से लागू नहीं कर सके हैं। इसलिये मेरा उनसे नम्रतापूर्वक निवेदन है कि वह जरा हिम्मत से काम लें। मुझे यह भी कहते हुए संकोच नहीं है कि हमारे वित मंत्री जी में हिम्मत नहीं है-यह बात नहीं है। उनमें हिम्मत है, उनमें माद्दा भी है कि वह इसको अगर दृढ़तापूर्वक सोचें तो लागू कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी हिम्मत करने की आवश्यकता है। वैसे उनमें हिम्मत है क्योंकि उनकी सूझ-बूझ की वजह से ही राजस्थान सरकार पर जो कर्जा था वह करोड़ों का आज सफाया हो चुका है। इसलिये मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसको सुदृढ़ता से लागू करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मुझे अच्छी तरह से याद है पिछले सत्र में जब शराबबन्दी के बारे में सदन में चर्चा हुई थी तब न केवल कांग्रेस के सदस्यों अपितु विपक्ष के सभी सदस्यों ने एक मत होकर यह कहा था कि शराबबन्दी में हम भी राज्य सरकार का साथ देंगे। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्रीजी को याद होगा या शायद वह सदन में उस वक्त उपस्थित होंगे, अगर नहीं भी हों तो वे चाहें तो सदन की उस दिन की प्रोसीडिंग्स मंगाकर देख लें सभी सदस्यों ने यह कहा था कि अगर वित्त मंत्री जी शराबबन्दी को लागू करना चाहते हैं तो हम अतिरिक्त कर को लगाकर उसका भुगतान करने को तैयार हैं। इसलिये मेरा निवेदन है वित्त मन्त्री जी को नम्रतापूर्वक कि वह इस सुझाव पर गौर करें और इस बारे में घोषणा करके हमारे देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान कराधान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976

श्री सभापति : श्री वित्त मन्त्री जी।

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मंत्री) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान कराधान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरः-स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान कराधान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

स्वीकृति प्रदान की गयी।

श्री चन्दनमल वैद : सभापति महोदय, मैं राजस्थान कराधान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

आय-व्ययक 1976-77 पर सामान्य वाद-विवाद अग्रेतर

श्री सभापति : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : चेयरमैन महोदय ने चीफ ह्विप महोदय के कहने से जो मुझे बजट भाषण पर बोलने के लिए कहा है, उसके लिये आज्ञा प्रदान की है इसलिए मैं बोलने को खड़ा हुआ हूं.?

श्री किशन मोटवानी : आज्ञा से बोल रहे हैं ?

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : कितने अर्से के बाद आपने अपना मौन व्रत तोड़ा है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अब तो मुझे बोलने दिया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : क्या दुबारा मन्त्री पद के लिये बोलने की सम्भावनायें बढ़ गयी हैं।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, वित्त मन्त्री जी ने जो अपना भाषण कल यहां सदन में दिया था उसको मैंने सुना और बजट भाषण को मैंने गौर से पढ़ा भी। सभापति महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने शुरू-शुरू में ही अपने बजट भाषण में जिक्र किया है, हमारे यहां जो इमरजेन्सी लगी और जो 20 सूत्री कार्यक्रम हमारे यहां पर लागू किया गया है उसी के आधार पर यह बजट तैयार किया गया है। उन्होंने कहा है कि बजट का 60 प्रतिशत खर्चा सिर्फ हमारे यहां पर 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिये ही रखा गया है। यह बात तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खर्च करने को कहा उसकी ओर मैं उनका ध्यान विशेषतौर से आकर्षित करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि वित्त मन्त्री जी का ध्यान मेरी नजर में हमारी बेसिक बातों पर नहीं गया। हमारे यहां की जो सबसे बड़ी समस्यायें हैं उनकी ओर वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में ध्यान नहीं दिया। क्योंकि हमारा जो 20 सूत्री कार्यक्रम है उसको लागू करने का उद्देश्य है कि हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी को दूर किया जाय, इसी उद्देश्य से ही हमारे देश की प्रधान मन्त्री जी ने इस 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू किया है। और हम सभी लोग उस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में लगे हुये हैं। सभापति महोदय, हमने शुरू-शुरू में जब यह 20 सूत्री कार्यक्रम लागू हुआ इस वक्त हमने अलवर जिले में इसको किस प्रकार से लागू किया जाय उस पर गम्भीरतापूर्वक सोचा। चूंकि मैं अलवर जिले की कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेन्ट हूँ तो प्रधान मन्त्री के इस बीस सूत्री कार्यक्रम का इम्पलीमेन्टेशन करने के लिये हम क्या-क्या कदम उठायें इस बारे में काफी सोचा और काफी सोचने के बाद हमने यह तय किया कि हमारे यहां पर जितनी भी जमीन है जो कि चरागाह जमीन है और जो बिना एलोटमेन्ट किये हुए है उस सारी जमीन को भूमिहीनों में एलाट कर देनी चाहिये। इस प्रकार का प्रस्ताव हमने पास किया। सभापति महोदय, अलवर जिला राजस्थान में प्रथम जिला है जहां पर कि काबिल काश्त जितनी भी जमीन थी उसको भूमिहीनों में एलाट की गयी।

श्री किशन मोटवानी : सी. एम. की डांट से की होगी।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : यह बात बिलकुल गलत है। कोई डांट नहीं थी है बल्कि हमने तो अपनी मर्जी से किया है।

श्री किशन मोटवानी : अभी 6–7 तारीख की बात है...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बात कहना गलत है कि हमें किसी ने कहा।

श्रीमती सुमित्रा : गलत एलाटमेन्ट किये गये जिनको केन्सिल किया गया है।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : कोई गलत एलॉटमेन्ट नहीं हुआ कोई कैन्सिल नहीं हुये हैं। जहां हमने 88 हजार बीघा ज़मीन भूमिहीनों को एलॉट की उसमें अलग कोई दो चार हजार बीघा जमीन कैन्सिल हो जावे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे खुशी है कि हमारे मुख्य मन्त्री जी ने इस बात को माना और इस बात का क्रेडिट हमारे यहां के लोगों को मिलना चाहिये। यह बात हमारे प्रदेश में सबसे बडी अलवर जिले में हुई। इस बारे में मुख्य मंत्री जी ने सदन में भी कहा था। हमने हमारे यहां जो जमीन थी काबिल काश्त उसको गरीबों को दे दी। लेकिन यह बात सही है कि कुछ सरमायेदारों को जमीन नहीं मिली, क्योंकि उनके पास जमीन थी या ज्यादा थी उसको लिया गया उनको जरूर दुःख हुआ। प्रधान मन्त्री जी का जो बीस सूत्री कार्यक्रम है उसमें से एक कार्यक्रम भूमिहीनों को जमीन एलाटमेंट के बारे में है वह हमने पूरा किया लेकिन इसके आगे क्या हुआ ? सभापति महोदय, मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप आज गांवों में जावें वहां के लोगों की आर्थिक हालत को देखें तो हमें पता लगेगा कि हमारे यहां पर गांवों में बेकारी और बेरोजगारी बहुत अधिक है। लोगों की गांवों में बहुत ही दयनीय हालत है। आज इसके बावजूद भी लोगों के पास जीवन-निर्वाह का कोई जरिया नहीं है। हालांकि वहां लोगों को जो हमने दो-दो चार-चार बीघा जमीन भूमिहीनों को एलाट की उससे वहां के लोग बहुत खुश थे फिर भी हमारे गांवों में सबसे बड़ी समस्या है बहुत अधिक बेरोजगारी की, लोगों के पास कोई काम धन्धा नहीं है। इसलिये मेरा वित्त मंत्री जी से यह निवेदन है कि गावों में ज्यादा से ज्यादा उद्योग धन्धे लगाये जायें। आज गांवों में आपको अनपढ़ लोग अधिक मिलेंगे जो बेकार हैं। उनके पास कोई काम-धन्धा नहीं है इसलिए वह बेकार हैं जब हम जाते हैं तो वह कहते हैं कि हमें काम दो। शहरों में आज हम देखते हैं तो हमें पढ़े-लिखे लोग ज्यादा से ज्यादा बेकार मिलते हैं वह कहते हैं हमें आप नौकरी दो। तो मैं वित्त मंत्री जी का और सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमें ऐसे कारगर उपाय काम में लेने चाहिये जिससे कि हमारे देश की गरीबी मिट सके और लोगों के पास काम हो जिससे कि उनकी बेकारी मिट सके। इसके लिये मेरा सुझाव है कि हमको सभी इलाकों में जल्दी से जल्दी सर्वे करा कर वहां पर किस प्रकार के उद्योग-धन्धे लगाये जा सकते हैं उनको लगाने की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। हालांकि हमारा अलवर जिला बैकवर्ड घोषित किया गया है और वहां पर इन्डस्ट्रीज भी खोलने की व्यवस्था की गयी है लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख है कि हमारे वहां पर हमारे यहां के लोगों को एम्पलायमेंट नहीं दिया गया है। तो मेरा निवेदन है कि आखिर आपके पास इस बेकारी और गरीबी को दूर करने के लिये हल क्या है ? जमीन थी वह तो अलाट कर दी, इसके बावजूद वे लोग बेकार हैं। इसके लिये आप के पास क्या नकशा है। मैंने सारे बजट को पढ़ा है और देखा है लेकिन कहीं भी बेकारी और बेरोजगारी को हल करने के लिये आपने कुछ भी नहीं कहा है। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अगर आप इसको हल करना चाहते हैं तो सब जिलों का सर्वे कराना चाहिये कि कौन

Page No 72

(72)

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

कौन से रोजगार और धन्धे गांवों में कस्बों में और शहरों में खोल सकते हैं और उनको हम क्या क्या काम दे सकते है।

एक मिसाल दूंगा, सभापति महोदय, अलवर जिले की आबादी करीब 12 लाख है और हम अकेले कपड़े के लिये करीब 370 लाख रुपया हर साल खर्च करते हैं। हमारे यहां कोई कपड़ा नहीं बनाया जाता है। यह सारा रुपया 700 लाख हर साल हम बाहर भेजते हैं और मैंने जो एस्टीमेट लगाया है दो लाख रुपये का कपड़ा हम रोज कन्जूम करते हैं। मैं अकेले कपड़े की बात करता हूं, लोहा और न मालूम क्या क्या चीजें अलग हैं लेकिन एक कपड़े की इन्डस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं। दो लाख रुपये का कपड़ा हम रोज कन्जूम करते हैं और उसकी वजह से 7 करोड़ रुपया साल का हमारे यहां से जाता है उससे गरीबी बढ़ती जा रही है और जो बेकारी दूर होनी चाहिये वह नहीं हो रही है। डेढ़ लाख रुपये रोज का धन्धा हम इससे दे सकते हैं। अगर एक मजदूर को 10) रु. रोज दिया जाय तो अलवर जिले में 15 हजार लोगों को रोजगार दे सकते हैं।

मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूं, आचार्य विनोबा भावे की भी यही बात है। वे भी यह कहते हैं कि सरकार बड़ी बड़ी इन्डस्ट्री खोलने की बात करती है, लेकिन जो छोटे छोटे उद्योग-धन्धे हैं, जो छोटे छोटे कल कारखानों की मशीनें हैं उस तरफ सरकार ध्यान नहीं देती है और बिना उसके गरीबों को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। हमारे देश के गांवों में 40 प्रतिशत ऐसे आदमी हैं जो दो टाइम रोटी नहीं खा सकते हैं। उनकी बेकारी और बेरोजगारी को दूर करना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि हमारे हिन्दुस्तान में दूध और दही की नदियां बहती थीं और गांवों में सब खुशहाल थे, एक्स प्लाइटेशन नहीं होता था लेकिन अब क्या पोजीशन है। कच्चा माल हम पैदा करते हैं और बना हुआ पक्का माल बाहर से आता है। रूई की पैदावार हमारे यहां बन्द हो गई तो इस तरह हरएक जिले का हिसाब लगाइये, सभापति महोदय, करोड़ों रुपया हम बाहर भेज रहे हैं, इससे हमारी गरीबी कैसे दूर हो सकती है? तो सरकार को इन समस्याओं को दूर करने के लिये बहुत जल्दी कदम उठाना चाहिये वरना हमारी बेकारी और बेरोजगारी बहुत तेज गति से बढ़ती जायेगी। उनको रोजगार देने का आपके पास कोई उपाय नहीं है। एक हाई पावर कमेटी बैठायें कि हम कौन कौन से रोजगार कहां कहां खोल सकते हैं।

दूसरा निवेदन मेरा यह है कि पापुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है, इसके लिये हमने अवश्य देखा है, लेकिन सम्पूर्ण रूप से अभी इस पर निगाह नहीं गई है। सन् 52 से मैं भी सदस्य रहा हूं और हर साल बजट पेश होता जा रहा है—20 सूत्री कार्यक्रम कोई नया नहीं है लेकिन जब ऊपर से हुकम मिला तो इसका एक सहारा ले लिया गया ... (अश्रव्य) ... तो जब तक हम तत्परता से और कानून बना कर जो बढ़ती हुई आबादी है उस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक कोई काम चलने वाला नहीं है। गांवों में आपरेशन कराते भी हैं लेकिन उसका इम्पेक्ट इतना नहीं है इसलिए मैं निवेदन करूंगा सरकार को इस बात पर जल्दी ध्यान देना चाहिये

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

जैसे महाराष्ट्र सरकार ने तीन बच्चों पर कम्पलसरी की बात कही है और इसके अलावा हमारे पास कोई और बात भी नहीं है, यह कोई पाप की बात नहीं है। यह देश की मूलभूत समस्या है तो राजस्थान सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिये वरना हमारे सारे प्लान फेल हो जायेंगे · · ·

श्रीमती सुमित्रा सिंह : (अश्रव्य)

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : पता नहीं माननीय सदस्या क्या क्या कह रही हैं। मैं तो कुछ सुन ही नहीं पाया · · · ·

(व्यवधान, अश्रव्य)

उस वक्त पापुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई नहीं थी। यह तो स्वयं परिवार नियोजन पद पर रह चुकी है और दो दो बच्चे एक साथ पैदा किये हैं · · ·

(व्यवधान)

श्री दीपंकर : आपको ईर्ष्या हो रही है क्या इससे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ज्यादा बच्चे वाले फैमिली प्लानिंग की बात अच्छी तरह समझ सकते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपके भी तो हैं · · ·

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय मैंने जिन्दगी में कोई गलती की है तो वह ज्यादा बच्चे पैदा करके की है · · ·

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री दीपंकर : · · · · (अश्रव्य)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इससे पहले मैं पांच साल म्युनिसिपैलिटी का प्रेसीडेन्ट रहा हूं। ये जो डाक्टर लोगों ने अब सुझाया है, मैं उनसे कहता हूं भले आदमी, यह बात पहले ही कर देते तो अच्छा होता। हम तो अब भुगत रहे हैं लेकिन आइन्दा तो अब समझना चाहिये।

श्री दीपंकर : ऐसा मालूम पड़ता है · · (अश्रव्य)

श्री चन्दनमल बैद : सदन की मेज पर रख रहे हैं क्या डायरी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तो मैं जो पब्लिक बढ रही है, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। तीन बच्चों के बाद कम्पलसरी करना चाहिये और कानून बना देना चाहिये बच्चे बराबर पैदा होते जा रहे हैं फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार को तत्काल बन्द करना चाहिये। हरएक कोई समझदार आदमी है वे इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहेंगे · · · ·

श्रीमती सुमित्रासिंह : पर उपदेश कुशल बहुतेरे · · ·

श्री शंकरलाल (पाली) : इनका कहना है कि मेरी तो गलती हो गई है लेकिन अब तो नहीं हो · · ·

श्री चन्दनमल बैद : अपन क्यों बोलें, दो हैल्थ मिनिस्टर बात कर रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, शराब के बारे में माननीय सदस्य कह रहे

Page No 74

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

थे। उसूलन यह बात माननी चाहिये कि शराब पीना कितना गलत है। अभी हमारे यहां पर बहुत सी कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हुए। मीणा जाति के लोग भी थे। उन्होंने चोरी करने और शराब पीने पर पाबन्दी लगायी। इसी प्रकार से गूजर जाति के लोगों ने भी मृत्यु भोज पर और शराब पर पाबन्दी लगायी। मैं समझता हूं कि इस तरह से सरकार को समझा बुझा कर शराब पीने की आदत को खत्म करना चाहिये और उस पर पाबन्दी लगानी चाहिये। गांव में थोडा आदमी काम कर लेते हैं गरीब आदमी। मेरे मकान के सामने ही एक हरिजन बैठता है। उसका बाप तो शराब पीता था। वह तो मर गया। लेकिन उसका लड़का है वह भी दिन भर कमाता है और रात को शराब पी जाता है। शराब के सम्बन्ध में सरकार की ओर से पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा समझाइश करनी चाहिये और इसको छुडवाना चाहिये।

सभापति महोदय, एक बात सदन में नहीं कही गयी, वह है सामाजिक कुरीतियों के बारे में। इस सम्बन्ध में दहेज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। देश के अन्दर यह एक मूवमेंट चल रहा है कि शादी विवाहों के अवसर पर कम से कम खर्च किया जाय। सादगी से हो, चमक दमक बाजे गाजे बन्द हो जाने चाहिये। इस ओर मंत्री महोदय का ध्यान जाना चाहिये था और मैं समझता हूं कि दहेज के लिए भी जिस तरह से दूसरी जगहों पर, दूसरे प्रान्तों में कानून बनाये गये हैं वैसा ही स्ट्रिक्ट कानून हमारे यहां भी होना चाहिये। अलवर में एक हरियाणा से अभी बरात आयी। उसमें केवल 24 आदमी आये। उन्होंने कहा कि हमारे यहां पर इस सम्बन्ध में सख्त कानून है। एक यहां से आया। यह हमारी जो सामाजिक समस्या है, इसको वित्त मंत्रीजी को कोई प्रोविजन करके रोकना चाहिये था।

एक माननीय सदस्य : बजट में इस पर आ सकता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक बात की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अलवर जिले में पानी का लेवल ऊंचा हो जाने से उपजाऊ काश्त की जमीनें थीं उनमें खार पैदा हो गया है। 500 बीघा जमीन मेरे इलाके में है उसमें खार पैदा हो गया है और वह नाकाबिल काश्त हो गई। मैंने कट मोशन भी पहले सदन में मूव किया था लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। बढ़िया जमीनें थीं, चाही जमीनें थीं उनमें खार पैदा हो गया। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और किसी तरह से इस समस्या का हल किया जाना चाहिए।

बिजली आदि कई समस्यायें हैं। मैं अस्पताल के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि अलवर जिले में आज अलवर का सैकिण्ड क्लॉस अस्पताल है अलवर की जनता ने कई बार निवेदन किया कि इसको "ए" क्लॉस बना देना चाहिए। उसको पहली श्रेणी का बनाने के बजाय वहां से चार स्पेशियेलिस्ट्स को और तोड़ दिया है। अलवर जिला कांग्रेस ने भी प्रस्ताव पास किया। एक तरफ तो कहते हैं कि अस्पतालों में बैड्स की

Page No 75

(75)

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

वृद्धि कर रहे हैं। अभी स्वास्थ्य मंत्री जी यहां नहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी जब स्वास्थ्य मंत्री जी थे उस समय भी उनसे निवेदन किया था उस समय कहा था कि हमारे पास अभी स्टाफ नहीं है, और अब वहां जो स्टाफ था उसको भी तोड़ दिया है, और उसको थर्ड ग्रेड का अस्पताल बना दिया है। हमारे यहां जो हैं उनको तो कम से कम रहने दें।

इन सब बातों की ओर माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती कान्ता कथूरिया।

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो 1976-77 के बजट एस्टीमेट्स सदन में प्रस्तुत किये उसमें निश्चित तौर से इस राज्य में प्रगति की एक झलक दिखाई देती है।

राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है और बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रदेश रहा है। देशी रियासतों के मिलने से यह प्रदेश बना था जो कि सदियों से पीडित व शोषित रहा है। पहले राजाओं और जागीरदारों के राज्य में मनुष्य पशु के समान रहते थे। न स्वास्थ्य और न शिक्षा बल्कि उनको पानी भी मुहैय्या तक नहीं होता था। ऐसे पिछड़े हुए प्रदेश में एक प्रजातन्त्रीय पद्धति लाकर उसके अनुसार काम करना वास्तव में एक सराहनीय बात है।

वित्त मंत्री जी ने जो बजट एस्टीमेट्स पेश किये उनको मैं दूसरे नजरिये से देखती हूं। पांच साल के दौरान में क्या प्रगति हुई, क्या विकास हुआ उसका लेखा जोखा है।

सामान्यत: आगामी बजट पिछले साल का एक दर्पण होता है कि क्या क्या अचीवमेन्ट्स रहे और क्या क्या कमियां रहीं और आगे क्या किया जाने वाला है। इस साल का बजट इस तरह का नहीं है, बल्कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने कार्यकाल का एक लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है।

शुरूआत में इन्होंने इस बात को कहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम लागू हुआ और इस तरह हमारे देश में प्रगति हो रही है। शुरूआत में यह बात कह कर बाकी बजट में 20 सूत्री कार्यक्रम का क्या इम्पेक्ट हुआ है उसकी झलक नहीं नजर आयी।

वित्त मंत्री जी ने जो यह लेखा-जोखा दिया है उसमें उन्होंने अलग अलग आंकड़े दिये हैं। खर्चा और इनकम भी बतायी है। 72-73 में समग्र प्राप्तियां 276.43 करोड़ बतायी हैं उनकी तुलना में वर्ष 76-77 493.58 करोड़ हो जाने का अनुमान है। इसी तरह से अलग अलग आंकड़े वित्त मंत्रीजी ने दिये हैं शिक्षा में, चिकित्सा में और जन-स्वास्थ्य में और उन्होंने प्रतिशत भी उनका दिया है।

20 सूत्री कार्यक्रम का जहां तक सवाल है मैं निश्चित रूप से कह सकती हूं कि 26 जून से पहले देश में जो विचित्र स्थिति थी लोगों में न स्थिरता थी, इन्फलेशन तीव्र गति से बढ़ रहा था, ला एन्ड आर्डर की स्थिति खराब हो गयी थी, मंहगाई बहुत बढ़

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

गयी थी, उन हालात के अन्दर 26 जून के बाद परिवर्तन आया और जो राज्य विरोधी ताकत सिर उठाये हुए थीं उनको खत्म किया और उसके बाद निश्चित रूप से देश में एक स्थायित्व आया, पोलिटिकल सुरक्षा पैदा हुई और लोगों में विश्वास पैदा हुआ और महंगाई घटी। लोगों को इस प्रकार से निश्चित रूप से राहत मिली।

20 सूत्री कार्यक्रम का जब आप इस प्रकार से उल्लेख करते हैं तो आपको यह बजट में बताना चाहिए था कि 20 सूत्री कार्यक्रम लागू करने के बाद क्या क्या विकास हुए, इस अर्से में इकोनामी पर इसका क्या क्या इम्पेक्ट हुआ। यह सब इस बजट में कहीं नजर नहीं आता।

प्लान आउट ले इस बजट में बताया गया है। लास्ट ईयर 105.50 करोड़ रुपया निश्चित किया गया था लेकिन लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसको बढ़ा कर 110.84 करोड़ किया गया और इसके बाद प्लान आउट ले रिवाइज होकर 135.34 करोड़ का बना। इसमें अब की साल जो प्लान आउट ले किया गया है वह 138.19 करोड़ का रखा गया है। इस प्लान आउट ले में जो एक्सपेन्डीचर बताया गया है वह रुटीन टाइप का है। पिछली बार 135 करोड़ का बताया है और इस साल 138.19 करोड़ का बताया है याने करीब करीब 3 करोड़ का इसमें फर्क आता है। पिछली बार 110 से प्लान आउट ले बढ़ कर 135 करोड़ हो गया—यह एक डिफेक्टिव प्लानिंग भी हो सकता है। हमारे जो एस्टीमेट्स होते हैं और खर्चा उससे ज्यादा बढ़ जाता है तो वह डिफेक्टिव प्लानिंग होता है। जब 110 से 135 बढ़ा और वही इस बार 139.19 करोड़ है और बीस सूत्री कार्यक्रम है, उसमें कहा गया कि 85-86 करोड़ का प्राविजन बीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में रखा गया है तो मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि यह 85-86 करोड़ का प्रोविजन बताया गया है वह किस तरह से खर्च किया जायेगा और किस तरह से बीस सूत्री कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जायेगा? यह तो पिछले साल के हिसाब से प्रोविजन है और इसमें 85.86 करोड़ वाला जब एड करके कहां बीस सूत्री कार्यक्रम लागू होता है—इसकी मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगी।

जहां तक जमीन के एलाटमेन्ट का सवाल है इस बात को कहा गया है कि जमीन अलॉट की गई है और उसके नम्बर वगैरह दिये गये हैं। एक कमेटी बनाई गई है और जमीन अलॉट की है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि जमीन अलॉट करना एक काम है और प्रोडक्शन बढ़ाना दूसरा काम है। प्रोडक्शन बढ़ाने से ही हम आर्थिक मजबूती को हासिल कर सकते हैं। उस प्रोडक्शन को किस तरह से बढ़ायें। उन जमीनों के लिये कि जो किसानों को बांटी है उनके पास क्या साधन हैं। शिड्यूल्ड ट्राइब्स और पिछड़े वर्ग के लोगों को जमीन अलॉट करने की कोशिश की है जिनके पास साधन नहीं हैं। अब जिनके पास साधन नहीं हैं वह जमीन कैसे काश्त कर सकेंगे? और जब तक वह जमीन को काश्त नहीं कर सकेंगे तब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा और जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तब तक आर्थिक मजबूती नहीं आ सकती। इस सिलसिले में एक उदाहरण दिया गया है

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

रूरल कोआपरेटिव बैंक का जो कि जयपुर और नागौर जिले में खुली है। रूरल कोआपरेटिव बैंक के द्वारा नीति में थोड़ा फर्क बताया है। करीब 56 करोड का लोनिंग इस साल होगा और जो हमने भूमि काश्त के लिए अलॉट की है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस बारे में माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वह सोचें कि जमीन अलॉटमेन्ट के साथ ही साथ हमको प्रोडक्टिविटी भी बढानी पड़ेगी। इसलिए इसके लिए हम ऐसी कमेटी बना दें, ऐसी कोआर्डीनेटिंग कमेटी बनाई जाए जो कि काश्तकारों की इस चीज को देखे कि उनकी क्या जरूरतें हैं और क्या उनको खेती के लिए करना चाहिए और कितना उनको दें जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढे। और यह सम्भव नहीं है और हमारे सीमित साधन हैं तो फिर एक सोसायटी की तरह बनायें और यह किया जाये कि मिलजुल कर जो भी उनके पास अपने साधन हैं जिनसे प्रोडक्शन बढे उनको काम में लाया जाय। हमें मुख्य ध्यान इस बात पर देना है कि किस तरह से प्रोडक्शन बढे ताकि किसान की आर्थिक स्थिति भी सुधरे।

खेती हमारे देश का सबसे ज्यादा आर्थिक विकास के लिए बेस है। पिछली बार जो खर्च कृषि पर बताया गया है वह 12 पर्सेन्ट था। मुझे खेद है कि इस बार वह खर्च घटा कर 10 पर्सेन्ट का बताया गया है। यानी 2 पर्सेन्ट का खर्चा कृषि पर कम किया गया है और उसके बजाय जहां तक इर्रीगेशन का सवाल आता है उसके अन्दर 2 पर्सेन्ट का खर्चा बढाया गया है। तो इर्रीगेशन तो आपका वहीं है जहां कि आपके प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। मैं यह उचित नहीं समझती और जहां तक इर्रीगेशन का सवाल है राजस्थान नहर सबसे मुख्य प्रोजेक्ट है जहां 21 पाइन्ट और कुछ हैक्टेअर जमीन की काश्त होती है उसमें 3 पाइन्ट और कुछ राजस्थान कैनाल के माध्यम से आज भी काश्त होती है। इस राजस्थान नहर को 1958 में बनाना चालू किया गया था और 196 करोड रुपए का खर्चा इसके लिए एस्टिमेट किया था और 10 साल में यह सारा खर्च करके इस नहर को पूरा करने की बात थी लेकिन आज 18 वर्ष होने को आये और यह नहर फर्स्ट स्टेज तक भी पूरी नहीं हुई और इस नहर पर अभी तक 100 करोड़ से ज्यादा का खर्चा हो चुका है। पिछली बार 18।। करोड़ के खर्च का प्रोविजन रखा गया और इस बार 23।। करोड़ का रखा गया है याने 5 करोड़ अधिक का प्रोविजन रखा गया है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हम जो इन्वेस्टमेन्ट करते जाते हैं, किन्तु उसका रिटर्न नहीं आ पाता है। यह बात इससे भी जाहिर है कि हमने जो आय बताई है वह 178 पर्सेन्ट बताई है लेकिन जो डेवलपमेन्ट किया है 1972 से 1976 तक वह वित्त मंत्री जी ने अपने ही आंकड़ों में 41 पर्सेन्ट कहा है। जब हमारी 178 पर्सेन्ट आय बढ गयी और हम डवलपमेन्ट 41 पर्सेन्ट करते हैं तो इसमें कितना अन्तर आता है। यह राजस्थान कैनाल या माही प्रोजेक्ट या चम्बल प्रोजेक्ट जो भी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तरफ विशेष तौर से ध्यान देकर उनको जल्दी पूरा करना चाहिए ताकि जो खर्चा हम करते हैं उनका रिटर्न मिलने लग जाये और अगर वह रिटर्न नहीं मिलता है तो बहुत ही खेद-

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

जनक बात हो जाती है। इसलिए राजस्थान कैनाल के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इसको पूरा करना चाहिए और इसके लिए चाहे कहीं से भी फण्ड्स जुटाये जायें चाहे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के माध्यम से या फाइनेन्शल इन्स्टीट्यूशन्स के माध्यम से जुटाये जायें लेकिन इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाय ताकि आर्थिक प्रगति में हम सफलता प्राप्त कर सकें।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि राजस्थान कैनाल पर जो खर्चा हो रहा है उसके लिए भी कमेटी बनाई जाय। उस क्षेत्र से मैं आती हूं और मैंने खुद देखा है लोगों को शिकायत करते हुए और वह कहां तक सही है मैं नहीं कह सकती लेकिन वहां मशीनरी खरीदी जाती है और जो नहर का काम होता है वह पैसा मशीनरी खरीदने में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और नहर का काम नहीं होता है। इसके बाद भी मशीनरी आइडल पड़ी रह जाती हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कि कोई ऐसी समिति बना दी जाय जो कि इसको देखे कि जो भी फण्ड्स राजस्थान कैनाल में खर्च किये जायें वह सही तौर से खर्च हों।

डी.पी.ए.पी. के बारे में थोड़ा-सा कहना चाहूंगी। यह दस जिलों में कार्यक्रम शुरू होने की बात थी और इसके लिए आफिसेस भी खोले गये हैं और स्टाफ भी अपाइन्ट किया गया है और एक एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे की शुरुआत हो गयी लेकिन मेरे एरिया में मुझे खेद है कि जहां तक इस प्रोग्राम का सवाल है आफिस के अलावा कोई भी ऐसे कार्यक्रम वहां पर चालू नहीं हो सके हैं और डी.पी.ए.पी. नाम का ही रह गया है और इसको हम जब तक तेजी से नहीं करेंगे तब तक फेमिन से छुटकारा नहीं पा सकते और बार-बार जो खर्चा होता है फेमिन पर, पिछले बजट में भी 12 लाख का सरप्लस बताया गया था उसको इस बार 17.79 डेफिसिट बताया गया है और यह कह कर कि 14.79 करोड़ रुपया फेमिन पर खर्च करना पड़ा। तो यह फेमिन का तो नार्मल फीचर है इसलिए यह प्रोग्राम जिससे हमेशा के लिए राहत मिल सकती है उसको तेजी से हाथ में लिया जाये। एडमिनिस्ट्रेशन का और स्टाफ का खर्चा करके हम कभी किसी कार्यक्रम को आगे नहीं ले जा सकते हैं।

एक बात डेजर्ट डवलपमेन्ट बोर्ड की कही गयी है। 1966 में भी यह बात आई थी और यह बोर्ड बनाया गया है और उसके बाद इसकी कार्यवाही नहीं हुई। वह बात खत्म हो गयी। पिछली साल यह बोर्ड फिर बनाया गया—इसका जिक्र बजट में भी किया गया है लेकिन पिछली साल से इस साल तक क्या कार्यवाही की या किस तरह से काम किया उसका कोई विवरण इस बजट भाषण से पता नहीं चलता है।

इसी तरह से कुछ और बोर्ड्स की स्थापना करने की बात कही गयी है, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी। जहां तक मेरे एरिया का सवाल है वह मरु क्षेत्र है और मैं चाहूंगी कि जो मरु-विकास मण्डल बना है उसको गति दी जाय और इससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उनकी प्रगति की तरफ विशेष फण्ड्स देकर हमेशा के लिए जो अकाल पडता है उसकी व्यवस्था की जाय।

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

इसके बाद एक बात एनीमल हसबेन्ड्री के बारे में भी कहूंगी। यह कहा गया है कि अजमेर और जोधपुर में डेयरी प्रोजेक्ट को चालू किया गया है और हरित क्रांति के साथ ही साथ हम सफेद क्रांति भी लाना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगी कि बीकानेर जिले में जहां राठी गाय दस किलो और 15 किलो दूध देती है वहां डेयरी के भवन का शिलान्यास करीब 1।। साल पहले हुआ था वह डेयरी अभी तक तैयार नहीं हो पाई है और अभी तक वहां का भवन भी तैयार नहीं हुआ है। तो जरूरत की जो चीज है, जिससे आर्थिक उन्नति हो सकती है, जो बीकानेर दूध के मामले में डेनमार्क कहलाता है वहां पर ध्यान न देकर यह कहना कि जोधपुर और अजमेर की डेयरी चालू हो गई है और उस जगह चिलिंग प्लाण्ट चालू हो गये हैं यह काफी नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में डेयरी का काम जल्दी से जल्दी पूरा किया जावे। वहां पर एक लाख लीटर दूध मिल सकता है रोज का इसमें से साठ हजार लीटर दूध के पदार्थ बन सकते हैं जैसे मिल्क पाउडर है, घी वगैरह चीजें बन सकती हैं। उससे बीकानेर का जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जिसमें दूसरे कोई भी आजीविका के साधन नहीं हैं, केवल एक वूलन मिल बनी थी, उस वूलन मिल को भी बन्द किया जा रहा है। चालीस प्रतिशत वूल राजस्थान में पैदा होती है उसमें भी सबसे ज्यादा बीकानेर में होती है, बेस्ट वूल, मेरिना वूल बीकानेर में पैदा होती है और उस क्षेत्र में इसकी मांग रहती है, उसको सरकार के मैनेजमेंट की कमी की वजह से चला नहीं सकते। वहां के लेबर की कोई कमी नहीं थी, बराबर उत्पादन करके दिया है और इस बात को कहा जाता है कि एक करोड़ का घाटा फालतू पड़ा है उसको निकाल नहीं सकते इसलिए वूलन मिल को चला नहीं सकते। इतने बड़े घाटे की व्यवस्था में कैसे मिल को चला सकेंगे? मैं निवेदन करना चाहूंगी कि घाटे की व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर सरकार का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, मैनेजमेंट गलत है और मैनेजमेंट की गड़बड़ के कारण मिल घाटे में जाती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। अगर आपका मैनेजमेंट सही होता तो मिल घाटे में नहीं जा सकती थी। आज प्राइवेट पार्टी को ठेके पर देना चाहते हैं। अगर प्राइवेट पार्टी ठेके पर लेकर कमाई कर सकती है, इतना किराया दे सकती है सरकार को और फिर भी मुनाफा कमा सकती है तो सरकार को तो कोई किराया भी नहीं देना पड़ता है फिर सरकार इस वूलन मिल को क्यों नहीं चला सकती है, यह मेरी समझ में नहीं आता है? आखिर सरकारी क्षेत्र में चलाने में क्या दिक्कत है? आज भी हम दूसरे उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में लेना चाहते हैं तो इस समय इस माहौल में जब एक सरकारी क्षेत्र में वूलन मिल चलती उसको छोड़ दें-इससे बढ़ कर बदनसीबी की बात हो नहीं सकती। आज वहां का तीन सौ लेबर बाहर बैठा हुआ है, उनको रि-एम्पलाय नहीं किया जा सका है और वह लोग बेरोजगारी में हैं। एक तरफ बात आती है कि लेबर का उत्थान करना चाहते हैं, लेबर हमारा उत्पादन बढ़ाये, उन लोगों का ले आफ नहीं कर सकते, उन लोगों की बेहतरी का हमें ध्यान रखना है और दूसरी तरफ लेबर बेरोजगार है बिना किसी वजह की

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

के, इससे ज्यादा खेदजनक बात हो नहीं सकती ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में हमने यह बात कही कि लोगों को भूखण्ड एलाट करने की बात है। पिछले काफी अर्से से हम बात कह रहे हैं। हम एक रुपये के अन्दर हरिजनों को पट्टा देने की बात कहते रहे हैं जिसमें गति अब आकर पकड़ पाये हैं, वहीं पर शहरों में कच्ची बस्तियां हैं जिनमें लोग वर्षों से रह रहे हैं, उन लोगों को घर से बेघर करें यह अच्छी बात नहीं होगी। कई लोगों को बुल्डोजर लगा कर हटाने की कोशिश की गई है और रिप्रेजेण्टेशन करने पर उस बात को तो रोका गया, लेकिन आज भी जिसके मकान की चार दीवारी टूट गयी हैं, जिन लोगों के पास आज भी सर ढकने की जगह नहीं हैं, बाहर बैठे हुए हैं उनको बसाने की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। रेगुलराइजेशन हम जबरदस्ती कर रहे हैं। वक्तन फवक्तन कच्ची बस्तियों को हटाते हैं, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है। आखिर हमने नाजायज कब्जे करने ही क्यों दिए और उस वक्त ही उन लोगों को रोका क्यों नहीं? लोग यू. आई. टी. के पास और म्यूनिसिपेलिटी के दरवाजे पर अर्जी के लिए फिरते रहे, लेकिन उनको कभी जमीन टाइम से मिली नहीं। जब यह नहीं हुआ तो उन्होंने जमीनों पर कब्जा किया, लेकिन उस वक्त हम चेते नहीं लेकिन आज उनको उठाने को तैयार हैं। इन बस्तियों को रेगुलराइज करने के लिए सरकार ने यह फिक्स कर दिया है कि आठ रुपया प्रति गज के हिसाब से लेंगे। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि किसी भी सूरत में वहां के गरीब लोग, जिन्होंने कच्ची झोंपड़ी बना रखी है, आठ रुपया प्रति गज के हिसाब से उनकी कीमत नहीं चुका सकते। और वहां पर उनको हरिजनों और शिड्यूल्ड कास्ट्स को जिस तरह से पट्टे दे रहे हैं उसी तरह से वीकर सेक्शन मान कर उनको सस्ती दर पर नामीनल कास्ट पर जमीन देकर उनको वहां पर बसाना चाहिए। यह बात मैं मानती हूं कि अगर कहीं गली मोहल्ले में सड़क निकालने में बीच में कोई मकान आ जाता है तो एकाध मकान हट जाय तो कोई बात नहीं है। उनको किसी तरह से समझाया जा सकता है लेकिन आज वह लोग जो वहां पर बैठे हुए हैं, आज अगर हम लोगों को हटाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं तो यह तकलीफदेह होता है। गरीब आदमियों ने अपनी उम्र भर की कमाई लगा कर मकान बनाये हैं, अगर वह टाउन प्लान के अनुसार नहीं बना सकते और आपके टाउन प्लानर उनको एप्रूव नहीं करते तो यह बात सही नहीं है। इस बात को दूसरे नजरिये से भी देखना पड़ेगा अगर बहुत सी स्कीमें यू. आई. टी. वगैरह की नाजायज कब्जे की वजह से नहीं बन पाती है तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। इसको दूसरी दृष्टि से भी देखना पड़ेगा। जो आपने डवलपमेंट चार्जेज लगाये हैं उसको वह दे सकें यह उनके लिए सम्भव नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो चालीस वर्ष से बैठे हैं उनको पट्टा देते हैं, लेकिन उसके बाद उनके बच्चे जवान हो गए हैं। जो जवान लड़का शादीशुदा है, वह अपना घर बसाता है, उसको भले ही चालीस वर्ष नहीं हुए हों, लेकिन उसको कहीं न कहीं रहने की जगह देनी पड़ेगी और उनके

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए इन बस्तियों के लिए उसी प्रकार व्यवस्था की जाय। इनको वीकर सेक्शन मान कर रियायती दर पर पट्टा देने की व्यवस्था की जावे।

उद्योगों के बारे में कुछ विशेष तौर से बजट में है भी नहीं और आर्थिक विकास का जो खर्चा हमारे यहां होता है, इण्डस्ट्री में दो प्रतिशत का जो खर्चा किया जाता है इस दो प्रतिशत में खास तौर से बीकानेर के लिए कहना चाहूंगी कि हमारे यहां लोगों को रोजगार देने का कोई साधन नहीं है। फेमिन स्ट्रिकन एरिया है, लेकिन वहां पर मिनरल पदार्थ बहुत हैं, सैंड स्टोन है, जिप्सम है, तरह तरह के मिनरल उपलब्ध हैं जिनको हम निकाल करके वहां पर मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्री लगा सकते हैं। वहां से राजस्थान कैनाल के पानी और जिप्सम और मानवीय श्रम करने वाली बहुत शक्ति है उन लोगों की शक्ति को लेकर और इस सब को मिला कर फर्टीलाइजर फैक्ट्री लग सकती है। इस फर्टीलाइजर फैक्ट्री के लगने से बीकानेर की एक बहुत बड़ी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है।

इसी तरह से पलाना के लिए निवेदन करती हूं कि पलाना में स्टेट के टाइम में खान एक अच्छे रूप में चलती थी। वहां का पावर हाउस उसी कोयले से, जो वहां पर पैदा होता था, चलता था। लेकिन उसके बाद एक बार आग लग जाने के बाद यह बहाना हो गया कि कोल ठीक नहीं है, उसमें अपने आप आग लग जाती है और इसलिए पलाना माइन को बन्द कर दिया। उस समय एक बात यह भी थी कि हमारे पास पावर सरप्लस थी; आगे पावर बनाने की जरूरत नहीं थी, थरमल पावर महंगा पड़ता है इसलिए इसको नहीं चलाना चाहते हैं लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज पावर की आवश्यकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आज की बदलती हुई परिस्थिति के अन्दर इस बात को देखा जाय कि पलाना माइन वापस चालू हो सके जिससे बीकानेर जिले की आर्थिक उन्नति हो सके। उसका सारा असर पूरे प्रदेश पर आ सकता है।

कोआपरेटिव के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि यह खुशी की बात है कि वीकर सेक्शन का रिप्रेजेण्टेशन 1/3 की बात कही गई है और मेम्बरशिप ऑटोमेटिक मंजूर करने की बात है। दो लाख से अधिक मेम्बर बन गये हैं वहां तक तो ठीक है लेकिन बीकानेर जिला ही नहीं बल्कि वैस्टर्न जिले जितने भी हैं, चूरू, जैसलमेर वगैरह है उनकी स्थिति बिल्कुल अलग है। क्योंकि सबके लिए एक ही डेफिनेशन रखी गई है। स्माल फार्मर्स को कोआपरेटिव में रखा गया है। स्माल फार्मर्स की डेफिनेशन दूसरे जिलों के लिए सही लग सकती है लेकिन वैस्टर्न जिलों में सीलिंग के अन्दर भी जमीन 280 बीघा रखी गई है और 75 बीघा तक लैंडलैस माना जाएगा क्योंकि ऐसे जोन्स में ऐसे काश्त नहीं होती इस वजह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मिल कर इनका सर्वे करके एक अलग से डेफिनेशन दी है। उस 280 और 75 बीघा वाले को लैंडलैस माना है। मेरा निवेदन है कि प्रदेश में भी यह डेफिनेशन खास तौर से वैस्टर्न जिलों में अपनानी

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

चाहिए नहीं तो कोई स्माल फार्मर नहीं हो सकते। हमारे यहां लैंड होल्डिंग डिफरेंट टाइप की है। न तो उनको रिहेबिलिटेशन में बेनीफिट मिल पाएगा और न कोई और सुविधा। इसलिए स्माल फार्मर्स की डेफिनेशन वैस्टर्न जोन में निश्चित तौर से बदलनी चाहिए।

एक बात और भी कहना चाहूंगी कि वीकर सेक्शन का नॉमीनेशन किया गया है। वीकर सेक्शन में एक अमुक सीमा तक जमीन होने की बात है। परन्तु साथ ही यह भी देखना पड़ेगा कि वीकर सेक्शन का मतलब है कमजोर तबका। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि मेरे पास जैसे लैंड होल्डिंग तो कम है, मेरे बाप से सात-आठ बीघा जमीन ही मिली है लेकिन जीवन यापन के दूसरे साधन हैं। कुछ लोग इस बात से ही कह देते हैं कि हम वीकर सेक्शन में आते हैं, क्योंकि हमारे पास जमीन कम है। दूसरे साधन होने पर वह वीकर सेक्शन में नहीं आ सकता है। असलियत में वह वीकर सेक्शन में है या नहीं, यह भी देखना पड़ेगा। सिर्फ जमीन का ही क्राइटेरिया नहीं हो। उनके पास दूसरा धन्धा क्या है, ठेकेदारी के रूप में, ट्रांसपोर्ट बिजनेस के रूप में या दूसरे किसी धन्धे में आजीविका कमाने का साधन क्या है? चूंकि डेफिनेशन डिफेक्टिव है उसमें पार्टली या होल्ली लिवलीहुड एग्रीकल्चर बेस्ड हो, इस तरह से बनाया जाय। हकीकत में जो लोग वीकर सेक्शन के हैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता और दूसरे लोग एग्रीकल्चर के आधार पर दूसरी तरह से साधन सम्पन्न होते हुए भी प्रतिनिधि बन जाते हैं तो यह उचित बात नहीं होगी, यह देखने की बात है।

एक लीगल एड कमेटी बनाने की बात कही गयी है। इस बजट में कहा गया है लीगल एड कमेटी स्टेट लेवल पर बना दी गयी है और इसके लिए 5 लाख का प्रावधान किया गया है लेकिन अभी तक इस कमेटी की एक दो बैठकें ही हुई हैं। इसके आगे किसी तरह की व्यवस्था होगी, किस तरह से लोगों को न्याय दिलाया जायेगा, इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं हैं और न इसके परिपालन के लिए नीचे के लेवल पर समिति बनाने की व्यवस्था की गयी है। लीगल एड देनी है तो आज वक्त है। अब उनको लीगल एड की ज्यादा जरूरत है। सीलिंग में काफी लोगों की जमीनें जायज, नाजायज तरीके से ली गई हैं, कई लोग उस जमीन के अलॉटमेंट में आते हैं, उनको लीगल एड की आवश्यकता है। इसको एक्सपीडाइट किया जावे और इसके लिए जो 5 लाख का प्रावधान किया गया है वह नाकाफी है। इतना बड़ा प्रदेश है और ज्यादातर जनता गरीब है, जिनकी हैसियत नहीं है कि वे न्याय ले सकें, वकील एपाइन्ट कर सकें। इसलिये इसको आर्गेनाइज करना पड़ेगा ताकि जल्दी से न्याय मिल सके। तो मेरा निवेदन है कि इसके प्रावधान को निश्चित तौर से बढ़ाना चाहिए।

मैं इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, एक बात बजट के ढांचे के सम्बन्ध में कहना चाहूंगी। बजट में जो घाटा दिखाया गया है वह इस बार बताया गया है 27.70 करोड़ रुपये का। यह जगलरी आफ फिगर्स है। टोटल घाटा इससे भी अधिक है।

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

वर्ष 1974–75 में 9.34 करोड़ का डेफिसिट बताया गया था। यह कहा गया था कि 6.34 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी से कम मिले और स्माल सेविंग्स से भी कम मिले, इसलिये यह घाटा हो गया। परन्तु वर्ष 75–76 में 12 लाख का सरप्लस बजट में बताया था और जो 8.74 करोड़ का गेप रह गया था उसके लिए यह कहा गया था कि इसको सेन्ट्रल असिस्टेन्स से पूरा कर लिया जायेगा। इससे हमें खुशी हुई कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था को छोड़ कर हम आत्म निर्भरता की स्टेज पर आ गये और इस बार बजट में डेफ़िसिट नहीं बताया गया बल्कि 12 लाख की बचत बतायी गयी। वह 12 लाख का सरप्लस तो कहीं और चला गया और अल्टीमेटली डेफ़िसिट 17.79 करोड़ का बताया गया है। इस साल के बजट का घाटा 27.70 है जो कुल मिला कर 45.49 करोड़ रुपये होता है। इस प्रकार इस साल घाटे की व्यवस्था बतायी है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कुछ प्रावधान अलग अलग मदों में और किये हैं। एक करोड़ शिक्षा के मद में दो करोड़ बिजली के मद में, दो करोड़ सड़कों के मद में, 45 लाख आयुर्वेद और चिकित्सा के मद में और दो करोड़ पेय जल सुविधा इस प्रकार 7 करोड़ 45 लाख के अतिरिक्त प्रावधान किये गये हैं, जिन्हें मिलाते हैं तो यह घाटा 52 करोड़ 94 लाख का हो जाता है। तो इतना बड़ा घाटा किस तरह से पूरा होगा, यह समझ में नहीं आता है। आखिर में हमारे वित्त मंत्री महोदय ने सब प्रकार से साधन जुटा कर यह घाटा 18 करोड़ 64 लाख का बताया है। इसमें 8 करोड़ रुपया केन्द्रीय करों में हमारे हिस्से में से और कुछ करोड़ रुपया अकाल कार्यों में जो हमने खर्च किया था, उसके लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने हमारी सरकार को वेज एण्ड मीन्स में 16 करोड़ रुपया देने का आश्वासन दिया है और 2.30 करोड़ रुपये की दूसरी असिस्टेन्स मिलेगी और इसके बाद हमारे वित्त मंत्री ने 8 करोड़ रुपये नये टैक्स लगा कर जुटाये हैं। इस प्रकार कुल नये साधन 34.30 करोड़ के होते हैं। इससे घाटा 11.19 करोड़ रह जाता है और जिसमें नये प्रावधान के 7.45 करोड़ जोड़ने पर कुल घाटा 18 करोड़ 64 लाख का हो जाता है। तो यह नेट डेफिसिट रह जाता है। इतने बड़े डेफिसिट को हम किस प्रकार पूरा करेंगे, यह बात समझ में नहीं आती है। अब हमारी सरकार की लोन पालिसी क्या है? सन् 1967 में हमारे राज्य में सब मिला कर कुल कर्जा 4 अरब 92 लाख और कुछ हजार का था और 1976 में यह कर्जा बढ़कर 8 अरब के आस पास पहुँच गया है और इसके साथ ही इसका ब्याज भी 64.32 करोड़ के आस पास इस वर्ष पहुंच गया है। एक तरफ हमने इतना बड़ा कर्जा ले रखा है। इस प्रकार हमारे फाइनेन्स की स्टेबिलिटी नहीं है और इससे हमारे राज्य के फाइनेन्स का चित्र हमारे समक्ष स्पष्ट हो जाता है। तो यह डेफिसिट कब तक चलता रहेगा। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जो यह इतना बड़ा घाटा है इसको हमें दूसरे तरीकों से पूरा करना पड़ेगा। हमारा जो खर्चा है वह नान डवलपमेन्टल एक्टीविटी में न होकर डवलपमेंटल एक्टीविटी में हो तो हमारी यह घाटे की अर्थ-व्यवस्था समाप्त होगी और राजकोष भी सुदृढ़ होगा और हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। इसके अलावा जो बीस सूत्री

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

कार्यक्रम हमने अपनाया है उसके लिए बजट में कोई नया प्रावधान नहीं है तो फिर हम कैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे।

इसके अलावा, सभापति महोदय, जो टैक्सेशन लगाये गये हैं, उनमें से एक-दो टैक्सेशन के बारे में मैं यहां पर निवेदन करना चाहूंगी। कुछ आपने रियायतें भी दी हैं, हलवाइयों और खास तौर से दवाइयों के लिये, दूसरी तरफ स्टाम्प ड्यूटी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी आपने बढ़ा दी है। परन्तु मोटे रूप से एन्टरटेनमेंट टैक्स को आपने बढ़ाया है। मनोरंजन कर एक रुपये पर 60 पैसे और इसके बाद यह टैक्स आपने डबल कर दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह सस्ते से सस्ता एन्टरटेनमेंट है और माध्यम वर्ग के लोग और गरीब लोग इसको अधिकतर देखते हैं। ज्यादातर लोग सिनेमा अकेले नहीं जाते हैं। वे अधिकतर परिवार के साथ जाते हैं। एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ पिक्चर देखने जायेगा तो कम से कम 20-25 रुपया उसको खर्च करना पड़ेगा इसलिए मध्यम वर्ग के लोगों को यह खर्च वहन करना मुश्किल हो जायगा। एन्टरटेनमेंट टैक्स में एक दम से सौ प्रतिशत बढ़ोतरी की गयी है। इसको मैं उचित नहीं मानती हूं और आशा करती हूं कि वित्त मंत्री महोदय इसकी ओर थोड़ा ध्यान देंगे।

इसके अलावा, इर्रीगेशन रेट्स बढ़ाये गये हैं। जो इर्रीगेटेड एरिया है उसकी रिजर्व प्राइस मुकर्रर की है, उसको आपने डबल कर दिया है और जो मालिकाना वसूली की जाती थी चार रुपये के हिसाब से और एक रुपये के हिसाब से उसको भी आपने डबल कर दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि एक तरफ हम प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करते हैं दूसरी तरफ रिजर्व प्राइस और उनके मालिकाना इर्रीगेशन की रेट्स को बढ़ाते जा रहे हैं। ये दोनों बातें आपस में मेल नहीं खातीं। मेरे इलाके में राजस्थान कैनाल आने वाली है। वहां के लोगों की हालत यह है कि उनकी जमीन वर्षों से बारानी पड़ी हुई है। उनकी स्थिति गरीब है और वे यह टैक्स नहीं दे सकते हैं। पिछली बार जब मालिकाना टैक्स की वसूली हो रही थी तो मुझे तत्कालीन मुख्य मंत्री, सुखाड़िया जी से कहकर इसका स्टे करवाना पड़ा था। यहां के लोग फेमिन में एक रुपये तक की मजदूरी पर बाहर जाते हैं। इस प्रकार उनकी मालिकाना टैक्स देने की हैसियत नहीं है। वहां पर पानी नहीं आया है। अनइर्रीगेटेड लैण्ड है। इसलिये उन पर तो यह टैक्स अनुचित है। मुख्य मंत्री, श्री सुखाड़ियाजी स्वयं उस क्षेत्र में गये थे कोलायत तहसील में गये थे और वहां की स्थिति का उन्होंने स्वयं अध्ययन किया था और उसके बाद मालिकाना टैक्स की वसूली का स्थगन आदेश दिया था। अब आप उनसे यह टैक्स डबल रूप से वसूल करना चाहते हैं। मैं यह कह सकती हूं कि बड़े काश्तकार की हैसियत यह टैक्स देने की हो सकती है परन्तु हमारे इलाके के लोग इस सैस को सहन नहीं कर सकते। दूसरे इलाके के लोग सक्षम हैं वे दे सकते हैं। इन लोगों के पास जमीन पीढ़ियों से चली आ रही है। वे काश्त नहीं कर रहे हैं। पानी की कमी थी। आज पानी आता है, राजस्थान नहर आती है तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी परन्तु जो एक मुरब्बे की रिजर्व प्राइस

(श्रीमती कान्ता कथूरिया)

तय की है, उसको आपने डबल कर दिया है। किसी तरह से कोशिश करके वे दे रहे थे उसको भी आपने डबल कर दिया तो किसी भी सूरत में वे इसको नहीं दे सकते। वहां के काश्तकार बिना जमीन के रह जाएंगे। जहां प्रोडक्शन को आगे ले जाना है, वहां हम पीछे की ओर जा रहे हैं। हमारी अर्थ-व्यवस्था घाटे की चल रही है। मैं इस सैस का विरोध करती हूं और आशा करती हूं कि जो इर्रीगेशन सैस और रिजर्व प्राइस बढ़ायी गयी है उसको गंगानगर इलाके के लोग जरूर दे सकते हैं, परन्तु हमारे इलाके के लोग बिलकुल नहीं दे सकते हैं। वे जमीन से वंचित रह जाएंगे। हम लैण्डलेस को भूमि आवंटन करने की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ इर्रीगेशन की रेट बढ़ा रहे हैं रिजर्व प्राइज बढ़ा रहे हैं। अतः मेरा निवेदन है कि इस पर पुनः विचार करके इसको वापिस लें यह मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगी।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

अब आप कहते हैं तो मैं भाषण समाप्त कर दूं।

श्री सभापति : आप समाप्त कर लीजिये।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : यह कुछ चन्द बातें थीं जो मैं माननीय वित्त मंत्रीजी के ध्यान में लाई हूं। मैं आशा करती हूं कि वह इन पर विचार करके कृपापूर्वक ध्यान देंगे।

श्री सभापति : श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में काफी पिछड़े इलाके के लिए धनराशि का प्रावधान करते हुए आश्वासन दिया है कि हम आदिवासी क्षेत्र के विकास की योजना लागू कर रहे हैं आदिवासियों के लिए। उसमें पहले जो विकास योजना लागू की गई थी उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक बोर्ड बनाया है। उस बोर्ड की निगरानी या उसकी देख-रेख में आदिवासी इलाके के विकास के लिए ध्यान दिया जायगा। उसके साथ-साथ एक आयोग भी सरकार ने बनाया है। वह आयोग भी कुछ काम कर रहा है। वह आयोग क्या काम करेगा? मेरे खयाल से आयोग के पास में कोई अधिकार है या नहीं, या उसके पास में कोई कार्य करने का प्लान भी है या नहीं, यह मुझे मालूम नहीं है। वह क्या काम करेगा और आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए क्या प्लानिंग बनायेगा और प्लानिंग किस तरह से बनायेगा इसका कोई पता नहीं है। केवल वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में जरूर बता दिया है कि उस एरिया में कुछ काम किया जायगा। आदिवासी क्षेत्र में नीचे से कुछ कार्यों की सर्वे होकर प्लानिंग नहीं बनेगा, एस्टीमेट उसका नहीं बनेगा तब तक उस एरिया का कोई काम होना सम्भव नहीं है, क्योंकि वह पहाड़ी एरिया है। उस पहाड़ी एरिया में कई जगह आवागमन के साधन, आने-जाने का कोई रास्ता नहीं है। कोई भी अधिकारी उस एरिया में जाकर यह नहीं देख सकता है कि वहां के लोग कैसे रहते हैं,

Page No 86

(86)

(श्री देवीलाल मीणा)

क्या खाते हैं और उनकी आर्थिक व्यवस्था का किस तरह से विकास कर सकते हैं उनकी पैदा की हुई वस्तुओं को शहरों तक या बाजारों तक किस तरह से पहुंचा सकते हैं। इस स्थिति को देखने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है।

मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि उस पहाड़ी एरिया में जो गांव हैं जिनको पालें बोलते हैं उन पालों तक जाने के लिए जब तक एप्रोच सड़कों के लिए सर्वे होकर प्लान तैयार नहीं होंगे कि उनमें कितना खर्चा होगा और कहां तक जाने के लिए सड़कें तैयार की जायेंगी, तब तक वे सड़कें नहीं बनने वाली हैं। बजट की पुस्तिका में जो खर्चा दिया गया है एप्रोच सड़कों के लिए यह उसी पुस्तक में रहने वाला है, यह मैं मान कर चलता हूं। बोर्ड भी किस तरह से काम करेगा बोर्ड क्या प्लानिंग करके काम करेगा उस एरिया के लिए यह मेरी समझ में नहीं आता है।

उन पालों में काफी दर्रे होते हैं जिनमें वर्षा का काफी पानी होकर बहता है। उनमें छोटे तालाबों का निर्माण किया जा सकता है, एनीकट्स का निर्माण किया जा सकता है, पिकअप वेयर भी बनाये जा सकते हैं। इनका सर्वे होकर जब तक सरकार के सामने नहीं आयेगा, प्लानिंग आयोग के सामने नहीं आयेगा तब तक एक भी काम मशीनरी के जरिये नहीं करा सकते हैं। कोई भी विभाग हो, चाहे वह सिंचाई विभाग हो, चाहे समाज कल्याण विभाग हो, जब तक उनका सर्वे हो कर प्लानिंग नहीं बनायेंगे, कम्पलीट योजना तैयार होकर राज्य सरकार के सामने नहीं आयेगी तब तक पैसा खर्च करना मैं तो वैसे ही समझता हूं जैसे कि पहले इसी तरह से समाज कल्याण विभाग और भारत सरकार से लड़ कर माननीय माणिक्य लालजी वर्मा लाये थे और उस पैसे से एक स्पेशल इंजीनियर ने काम किया और उस पैसे को खर्च किया। उससे तालाब बनाये गये, एनीकट बनाये गये, लेकिन क्या हुआ कि नीचे उसके दरारें रह गईं तो आज वह सारे तालाब और एनिकट खाली पड़े हैं। इस तरह की कहीं योजनाएं न हो जायं और आदिवासियों के नाम पर पैसा खर्च न हो जाय। स्टाफ और टूरिंग पर ही पैसा खर्च हो जाय और आदिवासियों का कोई भला न हो, वहां पर कोई काम न हो। इस बजट से न तो उन लोगों को शिक्षा मिलने वाली है और न उनकी जमीनें सरसब्ज होने वाली है, मैं यह मानता हूं। इसलिए सरकार का इस ओर ध्यान जाना चाहिये तब जाकर काम होगा। जहां पर बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं, खैरवाड़ा तहसील और सराडा तहसील की सीमा पर नोहदा तालाब बना हुआ है उसकी नहर कल्याणपुरा गांव के पास होकर जाती है। उस तालाब की नहर अभी तक कम्पलीट नहीं हो पायी है और आदिवासियों को अभी तक पानी खेतों में नहीं मिला है। कालीघाट माइनर नहर पर फेमिन में काफी पैसा खर्च हुआ है, लेकिन आज तक आदिवासियों के खेतों तक पानी गया ही नहीं है। वह माइनर नहर पूरी नहीं हो पाई है। इस तरह की योजनाओं से आदिवासियों को कोई फायदा नहीं हो सकता है।

दूसरी बात यह बताई है कि आदिवासी क्षेत्रों में या पिछड़े वर्ग के लिए ज्यादातर सहकारी समितियों पर महत्व दिया जायगा, उनके भवनों को बनाया जायगा।

(श्री देवीलाल मीणा)

यह मै आशा करता हूं कि सरकार जरूर उस ओर ध्यान देगी। ऐसे क्षेत्रों में उन भवन का निर्माण होगा, बीज भंडार वगैरह का तो उनको काफी सुविधा होगी और आदिवासियों को लाभ होगा।

शिक्षा की दृष्टि से आदिवासी क्षेत्रों में जब तक मिडिल स्कूलों के भवनों का निर्माण नहीं होता है तब तक स्कूल खोल नहीं पाते हैं और मिडिल स्कूल खुलवाने के लिए उतने कमरे गरीब आदिवासी तैयार नहीं कर सकते हैं। आप करें, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आदिवासी पिछड़े क्षेत्र में लोग आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, पैसा खर्च करके सरकार को भवन दे सकें। ऐसी उनकी स्थिति नहीं है। इसलिए वहां भवन तैयार करके फिर स्कूल खोलना चाहिये ताकि वह लोग ज्यादा शिक्षित हो सकें, और वह भी काम कर सकें।

तीसरा मेरा विद्युतीकरण के बारे में निवेदन है। आदिवासी पिछड़े हुए इलाके में रहते हैं। उनके लिए जो बजट रखा गया है, वह खर्च होगा या नहीं। मैं चाहता हूं कि आदिवासियों के जो विशेषकर गांव है, जहां बिजली जा सकती है तो उस इलाके में शीघ्र ही विद्युतीकरण का काम हाथ में ले लेना चाहिए। विद्युतीकरण का काम योजना में नहीं लिया गया है, मैं चाहता हूं कि उस काम को हाथ में लिया जाये। तहसील सराड़ा में रढोहा गांव है वह तो लिया गया है लेकिन पास ही बोराई की पाल है जिसमें कुए लोगों ने खोद कर पानी खेतों में लिया है। उस पाल को छोड़ दिया है। इस इलाके को लेना चाहिये। सभापति महोदय, मैं एक और ध्यान दिलाना चाहता हूं जो हमारे इलाके में पुराने तालाब महाराणा के वक्त के बने हुए हैं, हमारे फतेहसिंह जी दरबार के समय के बने हुए हैं, वह तालाब ऐसे हैं जो जंगल के जानवरों का शिकार करने के लिए बनाये गये थे। इसी तरह से हमारे खुद के गांव में लठारा की पाल का तालाब बना हुआ है। आज भी उसमें नहर निकाल कर लोगों ने सिंचाई के पानी की व्यवस्था की है। अगर सरकार उसको आज के जमाने में बनाये तो 50–60 हजार रुपया खर्चा हो सकता है। उसको पंचायत को सौंप रखा है। उससे तीन गांवों की सिंचाई हो सकती है। वह तालाब सरकार हाथ में ले। इसी तरह से मोकातफता, थाना गांव, डायली, लालपुरा, वहां दो हजार बीघा जमीन पीवल हो सकती है, अगर इस तालाब को ऊंचा कर दिया जाये। बोराई-पाल, नठारा-पाल, सतगढ़ी, उनमें ऐसे नाले हैं जो बनाये जा सकते हैं तो आदिवासियों के खेतों में पानी लाया जा सकता है। उससे काफी जमीनें सरसब्ज हो सकती हैं। मैं चाहता हूं कि इन पालों में जो नाले हैं उनका सर्वे कराकर काम कराया जाये। सभापति महोदय, इस प्रकार से वहां पर कुए खुदा कर काफी योजना चलाई जा सकती है। वहां पर कुए खुदाई में पत्थर आ जाते हैं। कम्प्रेशर के बिना वहां पर कुओं की खुदाई नहीं हो सकती है। अगर कम्प्रेशर की व्यवस्था हो जाय तो वहां पर गरीब आदमी कुआ खोद सकता है, तभी अपनी जमीन में पानी दे सकता है। आपके सामने माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में बताया है। उससे हमको खुशी है। आदिवासियों के

(श्री देवीलाल मीणा)

इलाके में सारे के सारे काम जो सब प्लान में हैं वह पूरे हो जाएंगे ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। जो अभी तक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वह एकदम खुशहाल हो जाएगा ऐसा मैं नहीं मानता हूं। अगर इस बजट भाषण के आधार पर सरकार काम करना चाहती है, जो मैंने विचार दिये हैं, उन पर सरकार प्लान बना कर, सर्वे कराकर राज्य सरकार काम हाथ में लेगी तो काफी काम हो सकता है।

आपने राज्यों में दुग्ध विक्रय की योजना भी तैयार की है। लोग भैंस रखेंगे। डेयरी योजना पर दूध बेचेंगे। उनको भैंसों के लिए कोआपरेटिव से लोन मिलेगा। यह सारी बातें हैं। लेकिन वहां के लोगों के लिए चार पांच मील चलकर कहीं मुख्य सड़क पर पहुंचने का रास्ता नहीं है। वहां मोटर वाले हैं व जीप वाले हैं वह लोग इतनी दूर पैदल जायें तब तक खड़े नहीं रह सकते हैं। इसलिए कम से कम एप्रोच सड़क तो निकाली जाय। उनका जो सामान बाजारों में जाने जैसा है, वह वहां से ले जा सकें। तब जाकर उनकी आर्थिक स्थिति बन सकेगी, नहीं तो नहीं। चाहे सरकार कितना ही पैसा खर्च करेगी तब तक वह आर्थिक स्थिति संभल नहीं सकेगी। सभापति महोदय, मैं विशेष क्या कहूं। माननीय वित्त मन्त्रीजी ने भाषण में जो अपना प्रावधान किया है वह इस तरह से आदिवासी इलाकों में ध्यान रख कर खर्च करने की पूरी कोशिश करेगी मैं यही आशा करता हूं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : माननीय सभापति जी, माननीय वित्त मन्त्रीजी ने 76-77 का बजट पेश किया है। उनको धन्यवाद देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, बजट पढ़ने से मालूम पड़ता है कि राज्य में और खास तौर से गांव में बिजली पुगाने के लिए उन्होंने जो बजट रखा है, इस तरह का बजट पिछले 4 साल से मैं लगातार देख रहा हूं। लेकिन खेद की बात है, कि बीकानेर जिले में करीब 680 गांवों में मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछले सालों में, पिछले 4 वर्षों में एक भी गांव में राज्य सरकार ने बिजली नहीं दी है। यह बजट राजस्थान के हर जिले के गांवों के लिए है। इस बजट का लाभ राजस्थान के हर नागरिक को मिलना चाहिए। इस प्रकार की नीति होनी चाहिए। लेकिन बीकानेर जिले में किसी भी गांव में से चार-पांच साल से एक गांव को बिजली नहीं दी गई है। यह सोचने का विषय है। मुझे खेद इस बात का है कि राजस्थान के वित्त मन्त्री महोदय खास तौर से बीकानेर डिवीजन के होते हुए एक गांव को विद्युत लाइन नहीं दिला सके हैं। मैं आशा करूंगा कि वित्त मन्त्रीजी, जो विद्युत के लिए प्रावधान है: उसमें से बीकानेर जिले और खास तौर से देहात के लोगों को अधिक से अधिक दिलाने का कष्ट करें। सभापति जी, माननीय वित्त मन्त्रीजी को मैं एक और भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जबसे जन स्वास्थ्य विभाग संभाला है, खास तौर से बीकानेर डिविजन में जो काम हुआ है, पीने का पानी मिला है गांव के लोगों को, उससे मुझे पूर्ण सन्तोष है और मुझे आशा है कि आपके रहते हुए ही बचे हुए गांवों में भी यह व्यवस्था कर दी जायगी।

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

माननीय सभापतिजी, अब तक तो मैंने वित्त मन्त्रीजी को धन्यवाद दिया, अब मैं दूसरे मुद्दों पर आता हूं। पिछले दिनों चूरू, नागौर और जोधपुर जिलों के काश्तकारों को भूमि एलाट करने के लिये राज्य सरकार ने तारीख निश्चित की थी, जनवरी, 1975 से लेकर भूमि एलाटमेन्ट के लिए दरख्वास्त लेने की घोषणा की गई। उन दिनों में राजस्थान में अकाल रहा और खास तौर से बाड़मेर, बीकानेर और चूरू जिलों में लोग, गरीब लोग काश्तकार अपने गांवों से बाहर मजदूरी के लिये गये हुए थे इसलिए वह भूमि के आवंटन के लिये दरख्वास्तें नहीं दे सके और सारे के सारे लोग भूमि एलाटमेन्ट के लिए दरख्वास्त देने से वंचित रह गये। इसलिए मैं, सभापतिजी, आपके मार्फत वित्त मन्त्रीजी से मांग करता हूं कि वे पुनः दरख्वास्तें दिलाने के लिये तारीख निश्चित करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। इसके अलावा, माननीय सभापतिजी, बचे-खुचे कुछ लोगों ने जो भूमि एलाटमेन्ट करने के लिये दरख्वास्तें दीं उनके साथ क्या हुआ और किस प्रकार से हुआ वह भी मैं आपको बताऊंगा। यह एक अजीब कहानी है, सभापतिजी, राज्य सरकार के राजस्व मन्त्री ने पिछले साल इस सदन में बजट के वक्त में यह घोषणा की थी राजस्थान कैनाल एरिया में जहां हरिजनों को भूमि एलाट कर रहे हैं और काश्तकारों को एलाट कर रहे हैं वह मोगे से दूर है इसलिए नजदीकी की घोषणा करते हैं। परन्तु वह घोषणा वहां के काश्तकारों के बिल्कुल खिलाफ पड़ी। आप जानते हैं कि राजस्थान कैनाल बीकानेर, चूरू और जैसलमेर के धोरों में से निकल रही है जहां नजदीक भूमि है। माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस भूमि की सतहें टेढ़ी हैं, उस भूमि में हजारों वर्ष भी पानी नहीं लग सकता है क्योंकि वह भूमि बहुत ऊंची है। नजदीक भूमि देने से मामला बिल्कुल खिलाफ पड़ता है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनमें राज्य सरकार सुधार करे।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि मैं जनवरी, 76 से लेकर 45 रोज तक अलाटमेन्ट कमेटी की बैठक में बैठा, जिन लोगों को भूमि अलाट की गई उनको अलाट हो जाने के बाद भी न तो उनको कोई खसरा नम्बर मिला और न किसी चक में की गई। मैं उन लोगों के साथ मौके पर भी गया था। मगर यह बहुत ही खेद की बात है कि सिचाई विभाग ने न तो कोई सर्वे ही कराया और न वे लोग वहां पर गये ही, सिर्फ एक चक कायम कर दिया और वहां पर पत्थर गाड़ दिया और उसका नाम चक प्लान का एक पत्थर दे दिया। ढाई हजार आदमियों को अलग-अलग बीघा में भूमि अलाट की गई, लेकिन मुरब्बों में बहुत ही कम अलाट की गई। सिर्फ ढाई सौ आदमियों को पूरा मुरब्बा मिला है और दूसरों को किसी को 5 बीघा, किसी को 6 बीघा और सबको 18 बीघा से कम मिली है। 15 रोज तक वहां के काश्तकार और गरीब लोग भटक कर इधर-उधर से वापिस आ गये। यह हाल है सिचाई विभाग का, आज तक उन्होंने कोई सर्वे नहीं कराया और मजेदार बात तो यह है कि आवंटन अधिकारी ने उस भूमि का आवंटन किया जो कि अनकमाण्ड भूमि है। चक नम्बर 4 पी. बी. जो कि अनकमाण्ड भूमि है उसको सिंचित

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

भूमि कहकर अलाटमेन्ट कर दिया, यह बहुत ही खेद का विषय है। इसके अलावा चक नम्बर 2 डी. के. डी., वह रेकार्ड में अनकमाण्ड है और वह कमाण्ड करके अलाट कर दी गई। अब आप अन्दाज लगाइये कि हजारों फीट ऊंचा टीला और सिंचाई विभाग ने उसको कमाण्ड एरिया बताया है। एक तरफ तो यह कहते हैं कि हमको बीस सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाना है और प्रधान मंत्री के सन्देश को गांव-गांव तक पहुंचाना है और दूसरी तरफ इस तरह से इन्दिरा गांधी की झूठी शान दिखा कर ये लोग समाज को धोका देने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को राज्य सरकार को कभी माफ नहीं करना चाहिए और ऐसे गलत काम करने वालों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। मुझे खेद इस बात का है कि न तो सदन में इस समय राजस्व मन्त्रीजी हैं और न सिंचाई मन्त्रीजी फिर भी मैं आशा करता हूं कि वित्त मन्त्रीजी इन दोनों मन्त्रियों तक मेरी बात को पहुंचायेंगे।

इसी तरह से, सभापतिजी, जिन लोगों को भूमि अलाट की गई उन लोगों को ढाई हजार में से ढाई सौ आदमियों ने भी आज तक कब्जा नहीं लेना चाहा, इसलिये मेरा निवेदन है कि उनका सर्वे करा कर उनको कब्जा दिलवाया जाय और दूसरी चीज यह है कि न तो उनके पास कोई जमीन है और न कोई बात। अगर उनको जमीन नहीं दिलायी जाती है तो जो आज बात हो रही है कि बीस सूत्री कार्यक्रम को तेजी से अमल में लाया जाय, यह सब दिखावट में ही लाया जा रहा है। चाहे कोई भी हो सरकारी कर्मचारी हो या और कोई हो सभी दिखावटी चिन्ता करते हैं और खास काम की बात नहीं करते कोई भी।

सभापतिजी, माननीय वित्त मंत्रीजी का इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक तरफ तो बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रधान मंत्री की नीति को सफल बनाने जा रहे हैं और दूसरी ओर आप बजट को पेश करते हुए उस नीति को चैलेन्ज कर रहे हैं। एक तरफ आप भूमि अलाट कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी भारी कीमत बढ़ा रहे हैं। 17 हजार रुपया मुरब्बा के आप 34 हजार रुपया मुरब्बा की वसूली कर रहे हैं, मेरा निवेदन है कि इसको आप वापिस ले लेंगे और इसमें सुधार करेंगे।

श्री ओंकार लाल चौहान : आरक्षित भूमि से मतलब है आपका ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : हां। जो भूमि कमजोर वर्ग के लोगों को दी जा रही है उसकी कीमत जो बताई गई है, सदन को सुनकर ताज्जुब होगा कि उसकी कीमत 17 हजार एक मुरब्बा की है और इस बजट में 34 हजार है और मालिकाना की दर दुगनी कर रहे हैं। क्या राज्य सरकार इस प्रकार से प्रधान मन्त्री के बीस सूत्री कार्यक्रम के पक्ष में चल रही है या इस नीति को चैलेन्ज कर रही है ? इस बात को गम्भीरता से हमको सोचना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार ने एयरकन्डीशन में रहने वालों को और कूलर के पंखों के लिये बिजली की सुविधा दी है, उनको रियायत दी है कि टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वह सही नागरिक हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

जो प्रावधान वित्त मंत्रीजी ने बजट में रखे हैं, कम से कम ऐसे प्रगतिशील वित्त मंत्रीजी के हाथ से इस सदन में ऐसी बात नहीं आनी चाहिए और वह न उनके लायक ही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्रीजी आपके विचार बहुत ही प्रगतिशील हैं, आपको बहुत ही जिम्मेदार आदमी मैं मानता हूं, किन्हीं मन्त्रियों के प्रभाव में आकर, चाहे राज्य सरकार के मुख्य मन्त्री ही क्यों न हों, चाहे कोई भी बड़े आदमी हों, किन्हीं के दबाव में आकर इन्दिरा गांधी की नीति के खिलाफ काम करेंगे तो मुझे इसका भारी दुःख होगा कि एक तरफ तो आप नारे लगावें, दूसरी तरफ इन्दिरा गांधी की नीति के खिलाफ काम करें। मुझे वह भी दिन याद है इन्दिरा गांधी की नीति ने इतना बड़ा हिन्दुस्तान की राजनीति को नया मोड़ दिया, हिन्दुस्तान के इतिहास का नये सिरे से लिखना शुरू हुआ। हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री खतरे में थी, हिन्दुस्तान की आजादी खतरे में थी। उस वक्त, आपको याद है, राजस्थान में कितने लोगों ने इन्दिरा गांधी की नीति को मजबूत किया, कितने लोगों ने उनके नेतृत्व को मजबूत किया ? मुझे अच्छी तरह से याद है राजस्थान के 36 आदमियों ने मजबूती से वोट दिये···

एक माननीय सदस्य : : उसमें आप भी थे ?

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : मैं मजबूती से कह रहा हूं, मैं हूं। उस वक्त, इसलिए नहीं किया कि इन्दिरा गांधी का बीस सूत्री कार्यक्रम था। आप झूठी बातों में मत आवें। आप में हिम्मत है तो राज्य और समाज की भलाई के लिए काम करेंगे। आप वास्तव में प्रगतिशील हैं लेकिन अगर दबाव में जायेंगे तो प्रगतिशील में नाम नहीं रहेगा। इसलिए मैं चाहूंगा, आज जो मैं कह रहा हूं, मेरी जो मांग है उस पर आप विचार करें। राजस्थान कैनाल के बारे में वित्त मंत्रीजी, आप जानते हैं कि राजस्थान कैनाल के आने से पहले राजस्थान में गंग कैनाल भूतपूर्व महाराजा गंगासिंह सवाणा तक लाये थे। आप जानते हैं कि काश्तकार देश की रीढ़ की हड्डी है। काश्तकार कमजोर कौम नहीं है। काश्तकार हिन्दुस्तान की आजादी की जंग में लड़ा है। आप भले ही उस सबको भूल जायं लेकिन हिन्दुस्तान की आजादी का जो इतिहास है वह नहीं भुला सकते हैं। आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान का काश्तकार दो मोर्चों पर लड़ता है काश्तकार का जाया हुआ बेटा देश की सीमा पर सैनिक बन कर लड़ता है और काश्तकार अपने खेत में अनाज पैदा करके भुखमरी और बेकारी की जंग लड़ता है, आपको खाने के लिए अनाज देता है। इसलिए दो मोर्चों पर लड़ने वाले काश्तकार के खिलाफ आपने कदम उठाया है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन काश्तकार अब इस राज्य को बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं कहना चाहूंगा, आपकी मार्फत राजस्थान के पूरे मन्त्रियों को और मुख्य मंत्री को, मेरे विचार हैं वह काश्तकारों के विचार हैं वह उनको पहुंचा दें। हिन्दुस्तान की आजादी पर चीन की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिन्दुस्तान के काश्तकारों से कहा, काश्तकारों ! देश की आजादी खतरे में है इसलिए देश के नोजवानों को हथियार चाहिए, और हथियार तभी मिल सकते हैं

(श्री चुन्नीलाल हंसलिया)

जब दूसरे देशों को सोना दें। आपको याद है, वित्त मंत्रीजी आप उसी डिवीजन के हैं, गंगानगर जिले के काश्तकारों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सोने से तोला था। गंगानगर के काश्तकारों ने प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी को सोने से तोला था जो उस समय साधारण कार्यकर्ता थीं। आप उस बात को नहीं भूलें। गंगानगर के उन्हीं काश्तकारों ने लाल बहादुर शास्त्री को सोने से तोला। उन काश्तकारों को आप इस तरह से टाल नहीं सकते हैं। हिन्दुस्तान का काश्तकार है वह देश की आजादी का रक्षक है। ठीक है, हम सुनते हैं, हम बोलते नहीं है। लेकिन जब देश की आजादी खतरे में हो तो देश के काश्तकारों के खिलाफ जान बूझ कर मखौल करके इस तरह का काम करें, खास तौर से उस वक्त जब कि बीस सूत्री कार्यक्रम के समय हिन्दुस्तान का हर काश्तकार परीक्षा की घड़ी में बठा है, देश का कर्मचारी, चाहे राजनैतिक हो, चाहे कोई हो, मंत्री हो, एम.एल.ए. हो, एम. पी. हो, साधारण नागरिक हो, सबकी पूरे देश की परीक्षा की घड़ी है, इस घडी में आप जैसे प्रगतिशील मंत्री ने काश्तकारों के खिलाफ बजट के समय जमीन की दुगनी कीमत लगाई—इससे मेरा मस्तक शर्म से झुक जाता है। ऐसे प्रगतिशील मंत्री हैं आपके हाथों यह हो—यह बात अच्छी नहीं है। आप जानते हैं कि काश्तकारों ने आजादी की जंग लड़ी है और वह आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गये। भगतसिंह गरीब काश्तकार का ही बेटा था। काश्तकारों ने देश की आजादी की जंग में अपना रोल अदा किया है, देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया है। ऐसे काश्तकारों के लिए आपको सोचना चाहिए, भले ही आप वित्त मंत्री रहें या न रहें लेकिन कम से कम काश्तकारों के खिलाफ ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आप इस बात के लिए अड़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप वित्त मन्त्री रहेंगे और नहीं अड़ेंगे तो मुझे डाउट है। आपको अड़ना चाहिए। काश्तकारों को जिस वक्त खेती करने का वक्त था आपने उस समय तो बीज दिया वह ढाई सौ रुपये क्विन्टल दिया। अब आप वसूली कर रहे हैं तो वसूली के टाइम पर पचास रुपये, दो सौ रुपये एक एक काश्तकार का नुकसान हुआ है। काश्तकार ट्रैक्टर के लिए आये तो आपने उसकी कीमत बढ़ाई। किसी दूसरी चीज के लिए आये तो उसकी कीमत बढ़ाई। आपने कीमत घटाई तो देश के पूंजीपतियों के काम में आने वाली चीज की कीमत घटाई, देश के राजा महाराजाओं के काम में आने वाली चीज की कीमत घटाई है। आपने पनाह ऐसे लोगों को दी है जो देश के लिए अच्छे आदमी नहीं हैं। देश की जो रीढ़ की हड्डी हैं, उनके लिए आपने सही ढंग से कदम नहीं उठाया है। मैं मजाक की बात नहीं कह रहा हूं, मैं सीरियस होकर कह रहा हूं, आपको जिम्मेदार मन्त्री होने के नाते मुख्य मन्त्री महोदय और सारे मन्त्रियों का ध्यान खींचना चाहिए कि आखिर कर क्या रहे हैं? क्या हमें इसलिए ही आजादी मिली थी? आजादी हमें उनके बलबूते पर मिली है जिनको कि हक नहीं मिला है। वह अपना हक मांगेंगे। आप चमचागिरी करके इन्दिरा गांधी की आरती उतारेंगे तो वह माफ नहीं करेंगी। अभी पतझड़ चल रहा है, यह मौसम की बात है।

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

लेकिन आप जानते हैं कि पत्ते किस तरह से झड़ते हैं। आपके सामने चुनाव आ रहे हैं, आपको सोचना चाहिए कि चुनाव में पत्ते की तरह किस तरह झड़ते हैं। यह सही बात है। जो ईमानदार हैं, इन्दिरा गांधी के प्रति, उनकी नीतियों के प्रति वफादार हैं, वह झड़ेंगे नहीं और कायम रहेंगे। मैं ज्यादा भाषण न करके वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि काश्तकारों के खिलाफ जो भूमि की दुगनी रकम बढ़ाई है इसको वापिस लें। इसको वापिस लेने के लिए मैं जोर दूंगा। इन शब्दों के साथ वित्त मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है, यह प्रगतिशील है। मैं इनको धन्यवाद देता हूं

श्री सभापति : श्री शंकरलाल !

श्री रतीराम यादव : आपने श्री आरती उतारने में कसर नहीं छोड़ी।

श्री शंकरलाल (पाली) : माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो बजट सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है, जिस पर सदन के माननीय सदस्य अपने विचार रख रहे हैं, मैं भी उस सम्बन्ध में अपने कुछ विचार संक्षेप में रखने का प्रयास करूंगा।

सभापति महोदय, मैं इस बजट को किस प्रकार की संज्ञा दूं — मैं खुद भी थोड़ा दुविधा में हूं। इस बजट के कई रूप हैं, अनेक रूप हैं। एक रूप होता, एक नीति होती तो शायद मैं या तो उसका समर्थन करता या विरोध करता। लेकिन मैं मानूंगा, वित्त मंत्रीजी चतुर हैं, मैं मानूंगा अकलमंद हैं, मैं यह भी मानूंगा कि आप में एक साहूकारपन है, महाजनपन है, आप चाहते हैं कि किसी प्रकार अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनायें। यह बात सही है, लेकिन प्रश्न यह है, आज के माहौल के अन्दर और जो कांग्रेस की रीति-नीति है, और इन्दिराजी का बीस सूत्री प्रोग्राम है, जिसकी दुहाई बजट में दी है लेकिन देखना यह है कि कांग्रेस की समाजवादी नीति के अनुसार और इन्दिरा गांधी के बीस सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्विति में और कमजोर वर्ग को ऊंचा उठाने में और ऊंचे उठे हुए पूंजीपति को नीचे लाने में आपका बजट किस हद तक सहायक होता है— इससे आपका मूल्यांकन करना, मैं समझता हूं, मेरा कर्त्तव्य है। मैं मानूंगा, वित्त मंत्री जी, आपने विकास की दृष्टि से जो इसमें बात की है, हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। हमारा राजस्थान विकास की ओर बढ़ा है और इससे और विकास की ओर बढ़ेगा। लेकिन प्रश्न यह है कि उसके साथ-साथ आप विकास किसका करना चाहते हैं और किस प्रकार के लोगों को ऊंचा उठाना चाहते हैं, और जो नीतियां हैं वह उसमें प्रतिपादित हो रही हैं या नहीं। हम समाजवादी नीति को बजट में कर रहे हैं या नहीं। उसको आप देखेंगे, क्षमा करेंगे वित्त मन्त्रीजी, उसका इसमें अभाव नजर आ रहा है। सर्वप्रथम बीस सूत्री कार्यक्रम की बात कहूंगा और उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें आपने 85.86 करोड़ के प्रावधान की बात कही है। ठीक है, इसके लिए आपने कुछ बजट इसमें रखा। आपने यह बात भी कही कि भावों में गिरावट आयी है, भावों में गिरावट आयी, पूरे देश में आयी, राजस्थान में भी आयी,

(श्री शंकर लाल)

आपने लेकिन यह सोचा साथ-साथ इस भावों की गिरावट के अन्दर, कृषि मूल्यों की गिरावट के अन्दर तुलनात्मक दृष्टि से दूसरी चीजों के भाव गिरने चाहिए थे, जिनका बोझ काश्तकारों पर पड़ता है, उनके भावों में गिरावट नहीं आयी है। नरोरा में हमने प्रस्ताव पास किया, पी. सी. सी. में प्रस्ताव पास किया, कृषि का मूल्य है, कृषि उत्पादन का मूल्य है उसकी स्थिरता को रखने के लिए या सही मूल्य पर प्रोक्योर करने के लिए जो बात उसमें कांग्रेस ने कही है, वह बजट में कहीं नहीं कही है।

वित्त मन्त्रीजी, यह बात सही है कि आपने इसके अन्दर आवास ऋण की बात कही है, आवास मण्डल की बात कही, लेकिन क्या आपने जिन लोगों को भूखण्ड दिए हैं लाखों की संख्या में उनको मकान बनाने के लिए ऋण की व्यवस्था की ? अगर आप इसका हल निकालते और कहते कि जिन लोगों को हमने प्लाट्स दिए हैं, उनके लिए हम इस बजट के जरिए मकान बनाने के लिए कम से कम 25 या 50 प्रतिशत खर्चा लोन के रूप में प्राप्त करके उनको देंगे, तो समझ में आता। आपने केवल यह बात कह दी कि सहकारी समितियों को इतना कर्जा दिया और यह भी आप कहेंगे कि हमारे पास हाउसिंग साइट्स के लिए अरबों रुपए की जरूरत है, जीवन बीमा निगम से इतना रुपया नहीं मिल सकता। प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि आपने उसके लिए क्या चिंतन करके किस प्रकार का प्रावधान रखा है।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि भूमि हमने आवंटित की, सीलिंग कानून की क्रियान्विति की और सीलिंग कानून के अन्दर भूमि प्राप्त की लेकिन सीलिंग की जो भूमि प्राप्त होती है वह वास्तव में गरीबों तक बंट पाती है या नहीं। जो सीलिंग से भूमि प्राप्त होती है वह जिस आदमी को आवंटित होती है, उससे उसका मुआवजा लिया जाता है, कीमत ली जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि वह भूमि उस गरीब आदमी के लिए जो गांव में सबसे गरीब हैं जिसको भूमि की जरूरत होती है जो बंजर है, खराब है उसके लिए भी गरीबों को मुआवजा देना पड़ेगा। क्या आपने कभी सोचा कि हम उस आदमी को बिना कम्पेन्सेशन के कैसे दें जिससे सरकार की समाजवादी नीति के अनुसार जमीन गरीब के पास जाय ? ऐसा न हो कि जमीन आपने शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को आवंटित करने का प्रावधान रखा है, लेकिन उनके पास पैसा कम है, तो नाम शिड्यूल्ड कास्ट्स का होगा लेकिन वास्तव में जमीन उसकी होगी जो कम्पेन्सेशन देगा इसलिए इस बजट में प्रावधान होता कि उस आदमी को कम्पेन्सेशन नहीं देना पड़ेगा और कम्पेन्सेशन की रकम आप दूसरी तरह से प्राप्त करेंगे और जागीरदारों या भूमिपतियों को कम्पेन्सेशन दें तो अच्छा होता। अगर इतना भी नहीं हो पाता है तो कम से कम आप उन लोगों को ऋण दिलाने के लिए प्रावधान रखते कि जिनको सीलिंग से जमीन लेनी है, कम्पेन्सेशन देना है तो सरकार उनको ऋण देगी।

सभापतिजी, हमने ग्रामीणों को कर्जे से मुक्ति दिलाने का 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रावधान रखा है। इस बात को प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में कही और अक्सर कहा जाता है कि ग्रामीणों को एक

(श्री शंकर लाल)

तरफ साहूकारों से छुटकारा दिलाना चाहते हैं और प्रयास करते हैं तो साथ में दूसरी तरफ उन्हें आवश्यकता जो कर्जे की है, उसको हम कैसे पूरा करें? जब तक वह पूरा नहीं करेंगे तब तक वास्तव में काश्तकार उल्टे संकट में पड़ जाएगा और वह संकट में पड़ गया है। एक तरफ हमने उनको कर्जे से मुक्ति दी है तो दूसरी बैंकों के जरिए कर्जे की व्यवस्था नहीं की। आप कहेंगे कि जयपुर और नागौर में ग्रामीण बैंक की शाखायें खोली हैं लेकिन उससे पूरे राजस्थान की समस्या का समाधान नहीं होगा। जिस प्रकार आपने सहकारिता के क्षेत्र में कुछ आंकड़ों को बताया है कि बहुत ज्यादा कर्जा आपने दिया है, सहकारी समितियों के जरिए आपने उन कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही है, सदस्यों की संख्या बढ़ाई है, मैनेजमेंट के अन्दर कमजोर वर्ग आया है लेकिन प्रश्न यह है कि उन लोगों को ऋण कैसे मिले? अगर सहकारी बैंकों की शाखायें या रिजर्व बैंक की शाखायें हैं उनका भारत सरकार का संबंध है, वे बिना इजाजत के गांव गांव में शाखायें नहीं खोल सकते तो कम से कम सहकारी बैंकों की शाखायें इतनी बढ़ा सकें जिनसे रिजर्व बैंक भी कोई ऋण देने से इंकार नहीं करेगी। गांवों के अन्दर पंचायतवार जब तक सहकारी बैंकों की शाखायें नहीं होंगी, उनको ऋण नहीं मिलेगा तब तक आपने जो साहूकार से गरीब को कर्जे से मुक्ति दिलाई है, वह राहत नहीं मिलेगी। उसके लिए आप कोई हल निकालते और क्रांतिकारी कदम उठाते। जैसे आप चतुर व अक्लमंद हैं। ऐसी कोई चीज इसमें लाते जिससे हम कह पाते कि राजस्थान के ग्रामीणों को कर्जे देने के लिए इस बजट में प्रावधान रखा है, तो हमें संतोष मिलता।

यह सही है कि आपने सिचाई और बिजली के लिए 60 प्रतिशत खर्चे का प्रावधान किया है, इसके लिए हमें संतोष है। मैं बधाई दूंगा कि आपने इसके लिए पर्याप्त प्रावधान किया है लेकिन सिचाई और बिजली देने के लिए जो राज्य सरकार में मशीनरी है, चाहे डिपार्टमेंटल मशीनरी है, चाहे बिजली की मशीनरी है, उनके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। विद्युत् मंडल के जो कर्मचारी हैं जैसे लाइन्समैन इंजनीयर, जिनका गांवों से संबंध है, उनका प्रशासन संतोषजनक नहीं है। इसी प्रकार सिचाई विभाग के पटवारी और दूसरे लोग हैं, जिनका जनता से सम्पर्क है, उसमें ईमानदारी नहीं है। काफी हद तक उनमें भ्रष्टाचार है। इसलिए जब तक विद्युत् मंडल में, सिचाई विभाग में, प्रशासन का शुद्धिकरण नहीं करेंगे और पैसे का दुरुपयोग होने से नहीं बचायेंगे, जब तक राजस्थान का आदमी महसूस नहीं करेगा कि खर्चे का सदुपयोग हो रहा है, तब तक इस खर्चे का क्या फायदा?

यह जरूर है कि आपने 20 सूत्री कार्यक्रम में जो हाथकर्घे की बात कही गई है, उसका बजट भाषण में उल्लेख ही नहीं है। आपने हाथ कर्घे का बोर्ड बनाया लेकिन बजट में कम से कम इस बात का संकेत होता कि इस 20 सूत्री कार्यक्रम के ये जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं कि हाथ कर्घे की योजना को पूरे देश में लागू करने की बात प्रधान मंत्री ने कही है और हमारे राजस्थान में जो पिछड़े

(श्री शंकर लाल)
वर्ग के लोग हैं और गांवों में जिनका हाथ-कर्घे के धंधे से संबंध है, उनके लिए कोई बना कर आगे आपने क्या प्रगति की योजना बनाई है, कितना प्रावधान आपने रखा है, किस प्रकार आप उनकी मदद करेंगे, किस प्रकार इस योजना की क्रियान्विति होगी, उसका बिल्कुल अभाव है। तो यह तो हुई आपके 20 सूत्री कार्य-क्रम की बात। सभापति महोदय, आपने इसके अन्दर जो खर्च किया है उसको काफी हद तक बताने की कोशिश की है। आपने जो शिक्षा की मद में जो खर्च करना बताया है वह बजट में एक बहुत अच्छी बात है। शिक्षा के उपर जो आपने खर्च करने की व्यवस्था की है वह कुछ हद तक सन्तोषजनक खर्च है। इसमें आपने 15 लाख रुपया पंचायत समितियों में टीचर्स के एपांइन्टमेंट के लिये रखा है इससे मैं समझता हूं कि कुछ हद तक लोगों में बेरोजगारी कम होगी। इसके अलावा कालेजों में नये विषय खोलने के लिये 5 लाख रुपये तथा 17 लाख रुपये स्कूलों में नये विषय खोलने के लिये और 200 नये मिडिल स्कूल खोलने के लिये तथा 13 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है और भी प्रावधान आपने रखा है। यह जो आपने बजट में प्रावधान किया है उससे हमारे सामने बजट का अच्छा चित्रण सामने आता है।

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में जल-प्रदाय योजना में 6 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा उसमें आपने दो करोड़ रुपये और बढ़ा दिये हैं उसके बारे में थोड़ा मैं निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, आज राजस्थान में आपने कई प्रकार के विकास के कार्य किये। कई प्रकार की योजनायें आपने चालू कीं। लेकिन मुझे बहुत ही दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि आज भी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की बहुत भारी समस्या बनी हुई है। लोगों को आज भी पीने के पानी की समस्या के लिये दूर दूर मीलों से पीने के लिये पानी लाना पड़ता है। आज हमारे देश को आजाद हुए इतने वर्ष बीत गये हमने कई मायने में तरक्की की है। लेकिन चाहे आप कितने ही तरक्की के मामले कर लो, चाहे आप कितने ही बीस सूत्री कार्यक्रम पूरे कर लो जब तक आप पीने के पानी की समस्या का हल राजस्थान के हर गांव में नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूं कि आपके यह सभी कार्यक्रम बेकार हैं। क्योंकि, सभापति महोदय, पीने के पानी की समस्या जो है वह हवा के बाद अत्यन्त आवश्यक चीज मनुष्यों के लिये है। आपने जो यह 6 करोड़ रुपये में दो करोड़ और अतिरिक्त पीने के पानी की समस्या के लिये प्रावधान रखा है उससे हमें कतई सन्तोष नहीं है। हम तो वित्त मन्त्रीजी के मुख से बजट में यह सुनना चाहते हैं कि आने वाले एक साल के अन्दर हम राजस्थान की हर क्षेत्र की जनता की पीने के पानी समस्या को मिटा देंगे ऐसा बजट में प्रावधान हमने कर दिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि आपका यह कौनसा समाजवाद है? आपकी यह क्या नीति है जो हमारे समझ में नहीं आती? अगर आप इस प्रकार की घोषणायें करते तो मैं आपको बधाई देता। वित्त मन्त्रीजी का ध्यान, सभापति महोदय, चूंकि मेरी बातों की तरफ नहीं गया क्योंकि वह कुछ काम में व्यस्त थे इसलिये मैं इस बात को दूसरी

(श्री शंकरलाल)

बार फिर से दोहराना चाहता हूं। वित्त मंत्री महोदय ने जो यह 6 करोड़ रुपये में दो करोड़ रुपये और अतिरिक्त पीने के पानी की समस्या के हल के लिये बढ़ा दिये वह तो ठीक है, लेकिन इससे हमें कोई सन्तोष नहीं है क्योंकि आज भी राजस्थान के अन्दर ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की बहुत भारी समस्या है। आज भी लोगों को मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है। सभापति महोदय, हमारी सरकार को जो अत्यावश्यक चीज, पीने के पानी की समस्या है, उसको तो कम से कम दूर करने का प्रावधान इस बजट में रखना चाहिये था। आप चाहे दूसरे विकास की बात नहीं करते, चाहे आप सड़कें नहीं बनाते, चाहे आप दूसरी योजनाओं को अभी हाथ में नहीं लेते और पीने के पानी की समस्या के हल के लिये अगर आप पूर्ण योजना बनाते तो मैं उसे उचित मानता। आज आप चाहे जितने 20 सूत्री कार्यक्रम बना लो, लेकिन अगर आप राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या का हल जब तक नहीं निकालते हैं तब तक मैं समझता हूं कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपकी इसको कोई उपलब्धि नहीं मानता दूसरी चाहे जितनी उपलब्धियां आपने प्राप्त कर ली हों, लेकिन हमें इससे कोई सन्तोष नहीं होता। आज हमें दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि हमारे देश को आजाद हुये इतने साल हो गये हैं लेकिन आज भी राजस्थान की ग्रामीण जनता पीने के पानी के लिये तड़प रही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि पीने के पानी की समस्या का तुरन्त हल निकाला जाना चाहिये।

सभापति महोदय, इस बजट को देखने से एक बात यह और मालूम होती है कि जहां वित्त मन्त्रीजी ने शिक्षा के लिये कुछ प्रावधान रखा है वहां उन्होंने एक अच्छी बात और की है, गांवों में 200 नये आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने के लिये 20 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्चा किया जायेगा। इसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। इसके अलावा, सभापति महोदय, वित्त मन्त्री जी ने सिंचाई, बिजली आदि पर अपने बजट का 60 प्रतिशत खर्च रखा है। इसमें आपने रोड्स बनाने के लिये प्रावधान रखा है लेकिन मेरा इसमें यह निवेदन है कि यह जितनी भी धनराशि आप इन मदों पर खर्च कर रहे हैं आप जरा ध्यान रखें कि वह खर्चा सही रूप से हो रहा है या नहीं क्योंकि आपका राजस्थान का जो प्रशासन है जो सरकार की मशीनरी है या सरकारी अधिकारियों की, वह अच्छी नहीं है। इसका कारण यह है, सभापति महोदय, कि हमें इस बात का कटु अनुभव है कि हमारे यहां पर सड़क बनाने के लिये धनराशि मन्जूर की जाती है और वहां पर सड़कें बनायी जाती हैं, लेकिन वह सड़कें एक साल तो दिखाई देती हैं लेकिन दूसरे साल वह सड़कें बिलकुल बेकार हो जाती हैं, वह सड़कें जगह जगह टूट जाती हैं और ऐसा मालूम होता है कि वहां पर सड़कें बनी नहीं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आपको अपने पी. डब्ल्यू. डी. को कसना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, मैं अभी आपका थोड़ा समय और लूंगा।

श्री सभापति : आपको इस बारे में बोलने का मौका मांगों के समय भी मिलेगा।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, मैं अब उनको छोड़ कर थोड़ा टैक्सेज के बारे में एक दो बात निवेदन करना चाहूंगा। नहीं तो बजट भाषण पर जो भी मैंने कहा वह अधूरा रह जायेगा। सभापति महोदय, वित्त मन्त्री जी ने जो बजट तैयार किया है वह बहुत ही चतुराई से किया है और उन्होंने बजट इस तरह से तैयार किया है कि जिससे आपके बजट के ऊपर समाजवादी भावना दिखाई देती है। जहां आपने बड़े लोगों पर टैक्स लगाने की बात की है वहां तक तो ठीक है, लेकिन आपने इस बजट में छोटे लोगों को राहत में कमी की है। आपने इर्रीगेशन पर कर लगाया है इसमें जैसा कि माननीय सदस्य चुन्नीलालजी ने कहा कि आपने काश्तकारों पर कर लगा कर काश्तकारों की कमर तोड़ दी है क्योंकि आज एक तरफ तो बाजार में अनाज के भाव गिर रहे हैं और दूसरी तरफ आप काश्तकारों पर सिंचाई के टैक्स में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। इससे काश्तकार को काफी दिक्कत हो रही है। इस प्रकार का टैक्सेशन समाजवादी नीतियों के विपरीत है। इसी प्रकार रेडीमेड गारमेन्ट्स पर बिक्री कर दस प्रतिशत है, लेकिन इसमें 15 रुपये तक की कीमत के कपड़े कर-मुक्त हैं इसको आपने वापिस ले लिया है और अब आपने बिक्री कर तो घटा दिया दस प्रतिशत का सात प्रतिशत कर दिया, लेकिन आपने सभी पर टैक्स लगा दिया। इसका मतलब जो गरीब लोग पहले 15 रुपये तक के कपड़े लेते थे उन पर टैक्स नहीं लगता था वह अब उन पर भी लगेगा। यह मैं समझता हूं कि आपने समाजवादी नीतियों के विरुद्ध काम किया। आप चाहे अमीरों पर अधिक टैक्स लगाते, भांग पर अफीम और शराब पर अधिक टैक्स लगाते तो कोई बात नहीं थी। आप चाहे शराब पर 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत भी टैक्स का करते तो कोई बात नहीं थी पर यह आपकी बात हमारे समझ में नहीं आती, क्योंकि आज सिगरेट, फेन्सी आर्टिकल्स, एअर कन्डीशन्स वगैरह जो भी आर्टिकल्स हैं उनको अमीर खरीदता है गरीब तो लेता नहीं है आपने इसमें दस प्रतिशत टैक्स को कम करके 7 प्रतिशत टैक्स कर दिया तो यह छूट आपने अमीरों को दी गरीबों को नहीं दी, क्योंकि, गरीब इन चीजों को नहीं खरीदते हैं। इसलिये कुल मिलाकर मैं समझता हूं आपका यह बजट समाजवादी नीतियों के विरुद्ध ही है। आपने ज्वेलरी पर भी वही टैक्स कम कर दिया तो जो आपको समाजवाद के अन्दर गरीबों पर कम टैक्स का बर्डन पड़ना चाहिये था वह आपने टैक्स को कम करके सभी पर लगा दिया जिसमें गरीब और अमीर सभी को बराबर कर दिया। इसमें आपने कामन को कोई राहत नहीं दी जो कि दी जानी चाहिये।

इसी प्रकार आपने बजट में एन्टरटेनमेन्ट टैक्स को बढ़ा दिया है। इसमें आपने यह दलील दी है सिनेमाघरों के सामने भारी भीड़ वर्ष भर लगी रहती है। इसका मतलब यह है कि हमारे समाज में टैक्स देने की क्षमता है। यह अच्छी बात नहीं है क्योंकि सभापति महोदय, यह सिनेमा कौन देखता है। यह ज्यादातर गरीब लोग या कॉमन, मिडिल क्लास के लोग दिन भर अपने काम से जब थक जाते हैं तो सस्ता मनोरंजन ढूंढते हैं। दिन भर की माथापच्ची से परेशान होने के बाद वह वहां जाते हैं तो आपने वहां भी कॉमन मैन पर टैक्स की मात्रा और बढ़ा दी। इसमें भी आपको सभी पर नहीं लगाकर

(श्री शंकरलाल)

कोई केटेगरी बना देते कि इस इस प्रकार की फिल्मों पर अधिक टैक्स लगेगा। आज भी कई ऐसी फिल्में आती हैं जिसमें 'ए' लिखा हुआ होता है कि ओनली फोर एडल्ट्स, जिसमें अश्लीलता अधिक होती है तो कोई बात नहीं होती पर इस प्रकार सभी वर्ग पर टैक्स लगाना मैं उचित नहीं मानता। मैं तो इसको समाजवादी नीतियों के विपरीत मानता हूं। आखिर आप....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, तो मैं निवेदन कर रहा था एन्टरटेनमेंट टैक्स जो आपने बढ़ाया है उसमें आपको केटेगरी रखनी चाहिये थी। अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। आप बार बार घन्टी बजा रहे हैं। अब एक बात मैं थोड़ी फेमिली प्लानिंग के बारे में कहना चाहता हूं। वैसे तो बद्रीप्रसादजी ने थोड़ा यहां सदन में कह दिया है। कुछ फैमिली प्लानिंग के लिये प्रावधान ज्यादा होना चाहिये। उसके बिना विकास के कार्य ठप्प रहेंगे। इसलिये फैमिली प्लानिंग की योजना के लिये वास्तव में इस बजट में कुछ प्रावधान होना चाहिये।

पब्लिक सेक्टर की बात है, मैं उसमें ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन जो रोड ट्रांसपोर्ट की बात कही है और जिसमें राष्ट्रीयकरण की बात कही है, सभापति महोदय, इन रोडवेज की बसेज की हालत क्या है ? मैं कुछ दिन पहले आया था तो वह गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई थी और ड्राइवर कह रहा था कि मेरे पास टूल्स नहीं हैं, मैं किस चीज से ठीक कर सकता हूं। दूसरी बसों को रोका लेकिन दूसरी बसें नहीं रुकी यहां तक कि रोडवेज की बसेज को भी रोका गया और वे भी नहीं रुकी। आपका चाहे अजमेर का स्टेशन हो, चाहे दूदू का स्टेशन हो, वहां आपकी लेट्रीन की क्या सहूलियतें हैं ? आप रोडवेज को दूसरे स्टेट्स के मुकाबले में देखिये, आपकी कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। जब तक आपका यह दृष्टिकोण नहीं आयेगा राजस्थान की रोडवेज की सहूलियतें पूरी होने वाली नहीं हैं। आप उनको कुछ सहूलियतें दीजिये ताकि समय पर जाय। जा सके नहीं तो आपका जो वास्तविक राष्ट्रीयकरण होना चाहिये वह नहीं होगा। इसलिए मैं दूसरी बातों को न कह कर जो एक बात कही है कि उनमें सुधार की आवश्यकता है। पब्लिक सेक्टर की इमेज बहुत धुंधुली है।

हमारे प्रधान मंत्री जी ने कुछ समय पहले दिल्ली में कोई अस्पताल का उद्घाटन करते हुए कुछ बातें कही थीं कि मोबाइल अस्पतालों की आज ज्यादा आवश्यकता है। आपने 25 लाख का प्रावधान रखा है रिपेयर्स के लिये लेकिन आप गांवों की तरफ भी ध्यान दीजिये। मोबाइल यूनिट्स हैं, सर्जिकल यूनिट्स हैं वे गांवों में लगते हैं तो बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है मोबाइल सर्जिकल यूनिट्स हैं उनको बढ़ाइये और गांवों में जाकर उन लोगों को समय पर ज्यादा से ज्यादा सुविधा दें तो गरीबों के लिए इसमें कुछ चिन्तन होगा। कमजोर वर्ग के लिये ज्यादा चिन्तन होना चाहिये था वह नहीं हुआ है।

(श्री शंकरलाल)

एक बात मैं कहे बिना नहीं रह सकता हूं और जो कुछ हुआ है मैंने कह दिया है और उसके लिए मैंने वित्त मंत्री जी को बधाई दी है।

अन्त में मैं यह कहूंगा जो कुछ बजट पेश किया है उसमें कांग्रेस की रीति—नीति की और समाजवादी झलक कहीं देखने से मुझे थोड़ा सा खेद है। अगर आप कुछ अब भी सुधार कर सकें और हमारी बातों को सुन कर कुछ ध्यान दे सकें तो वास्तव में हमारी भावनाओं को और राजस्थान की जनता की भावनाओं की कद्र करेंगे।

श्री सभापति : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : सभापति महोदय, जो मंत्री महोदय का बजट भाषण है, उसे शुरू से अन्त तक पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी ऐसे चिन्तन में इस बजट को बनाने की कल्पना की है जब कि उनके सामने 20 सूत्री कार्यक्रम था और उसका जिक्र प्रारम्भ से लेकर अन्त तक निभाने की कोशिश की है परन्तु मैं यह समझता हूं जो वित्त मंत्री जी हैं और कई वित्त मंत्रियों से मेरा काम पड़ा है, जन प्रतिनिधियों से कभी भी जिला स्तर पर योजना की बात नहीं की जाती है। उन कार्यकर्ताओं की बात जिनमें अनुभवशील व्यक्ति हैं उनकी बात नहीं सुनी जाती है, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। परन्तु अलग से बैठकर जो योजना बनाते हैं वह ऊपर की ऊपर ही रह जाती है इसलिये इसमें कोई शक नहीं है कि आपने बातें जमीन की की हैं और बजट आसमान का बनाया है इसलिए इसमें बड़ा भारी अन्तर आता है। आपका चिन्तन जमीन से आसमान तक पहुंचता है इसके पीछे आपकी क्या मजबूरी रही है, पता नहीं लगता है ?

श्री भीम सेन : सभापति महोदय, सदन का समय सवा पांच बजे तक बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय सवा पांच बजे तक बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय सवा पांच बजे तक बढ़ाया जाता है।

श्री दीपंकर : एक फंक्शन हो रहा है।

तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमने इस बजट में 2–3 सालों की बातों का जिक्र किया है और इन दो-तीन सालों की बातों को जोड़ने के बाद आदमी उलझ जाता है। सही मायने में हम इस साल क्या करने जा रहे हैं—देखने की बात जनता के लिये और माननीय सदस्यों के लिए यही एक है। यह निश्चय किया गया कि 20 सूत्री कार्यक्रम के हरएक आइटम को छूआ जाय। 20 सूत्री कार्यक्रम के हरएक कार्यक्रम को पूरा करने की दिशा में कदम उठाया जाय परन्तु साधनहीन तरीके से हम इस कदम को कैसे पूरा कर सकते हैं, यह एक सबसे बड़ी विचारणीय बात है ?

(श्री दीपंकर)

हमने टैक्स लगाये, टैक्स का सवाल इसमें कोई सवाल नहीं है। आपके पास पैसा है, जिनके पास पैसा है उनके पैसे का क्या होने वाला है इसलिये टैक्स आप उन लोगों पर लगायें जिनके पास ज्यादा पूंजी इकट्ठी होती है। ऐसी कोई एक योजना पूरी कर देते तो मैं समझता हूं सबसे बेहतरीन बात होती। परन्तु ऐसा न करके इस टैक्स की आपकी प्रक्रिया को ऐसा माना गया है कि चार कदम आगे बढ़कर दो कदम पीछे हटे हैं। अधिक भार ऐसे लोगों पर लाये है जो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और थोड़े से पीछे हटे हैं, उन लोगों के लिये जिनको राहत मिल जाती लेकिन आप उसका कोई हल नहीं ढूंढ सके बजट में। जो दुष्काल पड़ते हैं राजस्थान में वह आज के नहीं हैं, राजस्थान का इतिहास ही उस बात को बताता है। कोई भी आज नहीं कह सकता है कि राजस्थान में दो वर्ष दुष्काल के और एक वर्ष जमाने का या दो वर्ष जमाने के और एक वर्ष दुष्काल का लेकिन राजस्थान में आये साल दुष्काल पड़ते हैं।

प्रकृति प्रकोप के कारण, बाढ़ के कारण खेती खतम हो जाती है तो उसके लिये परमानेन्ट इलाज सोचते, परमानेन्ट प्लान बनाते और कहते कि इसके लिये इतना लोन लेंगे और इतना टैक्स लेंगे तो मैं समझता हूं ग्रामीण किसी काश्तकार के पास जाकर आप कह देते कि हम अकाल नहीं पड़ने देंगे और हम उसकी परमानेन्ट व्यवस्था करने जा रहे हैं तो वह भी टैक्स देने को तैयार हो जाता, परन्तु आप डर गये और डर कर ऐसा टैक्स लगाया कि जो समर्थ थे वह बच गये और जो असमर्थ थे उन पर टैक्स लग गया। सभापति महोदय, मैं समझता हूं, माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि टैक्स के बारे में पुनरावलोकन करें और सोचें कि हमारा लक्ष्य क्या है जब कि इतने बड़े बहुमत से यहां आकर हम बैठे हैं तो साधारण लोगों को, गरीब लोगों, अनुसूचित जाति के लोगों, अनुसूचित जन जाति के लोगों को जो विश्वास हमने दिलाया है, उस विश्वास के बहुमत पर ही हम यहां आकर बैठे हैं। अगर उस बैलेन्स को बनाये रखना है तो हमें उनके लिये कुछ काम करना होगा। उस बैलेन्स को बनाये रखने के लिये बजट में कुछ प्रावधान अवश्य करना होगा। आज विश्वास उठ गया है-आज लोग केवल भाषण देते हैं, बातें करते हैं और सन् 76 आ गया है लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं। आपने इसमें कोई शक नहीं, गांवों में लोगों को लाखों की तादाद में रहवासी पट्टे दिये जमीनों के। दो लाख पट्टे दिये रहवासी। किन लोगों से दिलवाये आपने ? कमेटियां बनायीं वे बनी नहीं। सरपंच को साथ में लेकर तहसीलदार से दस्तखत करवा कर पट्टे दिलवा दिये। ऐसी जगह जमीनें दिलवा दीं जो तो गड्ढों में है, बेकार की जमीन है, तालाब की जमीन है जहां पानी भरता है। वह जमीन उनको दे दी गयी। वाह-वाही सस्ती लूट ली और आंकड़े दिखा दिये कि इतने पट्टे दिये गये हैं। आपने उनको गलत जगह पर पट्टे दिये हैं। यदि आप उनको वास्तव में बसाना चाहते हैं तो उनको सही स्थानों पर पट्टे दें। कमेटियों से पता लगायें। पट्टे दे देने से ही कुछ होने वाला नहीं है, एक बार हिन्दुस्तान

Page No 102

(102)

(श्री दीपंकर)

नक्शे पर उभर आये जरूर । जमीन दी और रहवास के लिये दी, यदि आपने उसको रहवासी बनने के लिये सही ढंग से उसके लिये इन्तजाम नहीं किया, उसको पैसा वगैरा नहीं दिलाया तो यह समस्या हल होने वाली नहीं है । सोसायटी रजिस्टर्ड करवा रखी है । प्रभावशाली लोग अपने ढंग से पैसा ले जाते हैं । जयपुर शहर के लोग ले जाते हैं । और हरिजन को रहवास के लिये पट्टा दे दिया लेकिन पैसे की कोई व्यवस्था नहीं । गांवों में आप कहते हैं कि भूमिहीनों को बसायेंगे, रहने के लिये जमीन देंगे और बसने के लिये पैसा देंगे । समाज कल्याण से दिलवायेंगे और सोसाइटी से दिलवायेंगे, बैंक से दिलवायेंगे ऐसी बातें आप क्यों करवाते हैं ? जब हम लोगों को यह बातें कहते हैं तो इससे बुरा असर पड़ता है जब सही रूप में उन बातों को नहीं देखते हैं लोग तो इससे पार्टी की इमेज गिरती है । आयन्दा हम उनको कहने के काबिल नहीं होते । इसलिये यह जरूरी था कि आप अपने बजट में एक समस्या को तो नितान्त रूप से हल कर देते । एक बात को तो आपको कर देना चाहिये था । चाहे आप पीने के पानी की समस्या को हल कर देते, लोगों के मकानों के लिये पैसे की व्यवस्था कर देते । लोगों की बेकारी को दूर कर देते । जागीरदारों की जमीन ली नहीं । काश्तकार भूमिहीन होकर घमण्ड में बैठा रहा कि सरकार दिलायेगी । गांवों में भड़कीले कपड़े और आ गये । जहां कभी गांव स्वावलम्बी थे आज परावलम्बी हो गये । दुर्भाग्य से, प्लानिंग कमीशन बना, उसका सम्बन्ध हिन्दुस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ना चाहिये, वह नहीं जुड़ा । जहां आज हमारा देश समृद्ध होता वहीं आज वह विच्छंकल होकर हमारे यहां शोषित और शोषक वर्ग पैदा हो गया और मिडलमैन अलग हो गया । सरकारी मशीनरी ने भी वैसा ही करके दिखाया । जो योजनायें बनायी, जिस मद से खर्च करने जा रहे हैं, आयुर्वेद का किया, जन-स्वास्थ्य की और जितनी योजनायें हैं आपने जितना भी किया, उसके लिये बधाई देता हूं, लेकिन सरकारी अधिकारियों की कमेटी आकर बैठे और वह अपने तरीके से समझाये और उसको सरकार ज्यादा माने और जन-प्रतिनिधि और सहकारी कार्यकर्ताओं की योजनाओं के बारे में बात न माने तो न तो प्रजातन्त्र चलने वाला है और न ही पार्टी की सरकार चलने वाली है और वह तो केवल ब्यूरोक्रेसी ही चलने वाली है । यह तो हिन्दुस्तान की जनता का शुक्रिया करिये कि उसने आपका 27 वर्ष तक विश्वास किया । आपने उसको क्या दिया ? आपने जबान दी बोलने के लिये । केवल आपने धोखा दिया, विश्वास दिलाया । यह कहा कि यह करेंगे वह करेंगे और सरकारी अधिकारियों ने आपको अपने स्वार्थ पूर्ति के लिये मोहरा बनाकर काम लिया . . .

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय सदस्य ने 'धोखा' शब्द कहा उसको निकाल दिया जाय ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य । इसको देख लिया जायगा । आप डिस्टर्ब न करें । माननीय सदस्य को बोलने दें ।

श्री दीपंकर : जो भी सरकारी अधिकारियों ने रिपोर्ट दी गलत साबित हुई ;

(श्री दीपंकर)

जिनको समय समय पर चैलेन्ज किया गया। वह धोखा नहीं, फ्राड नहीं, फरेब बाजी नहीं तो और क्या होगा ? प्रजातन्त्रीय तरीके से जो भी नाम हो वह रख लीजिये। इसमें कोई शंका नहीं है सरकारी मशीनरी ने पूंजीपतियों से मिल कर कितना लाभ उठाया और प्रजातन्त्रीय पद्धति को डुबोने की कोशिश की। सरकार में जाने वाले जन प्रतिनिधियों को भ्रष्ट किया और जो सरकार में गये उनके और कार्यकर्ताओं के बीच में, जन प्रतिनिधियों के बीच में विभेद-विभेद किया उससे अधिक दुष्परिणाम और क्या हो सकते हैं ? इससे अधिक नहीं हो सकते। सत्ता और संगठन का सहयोग होना चाहिये था। जहां गांव गांव में झंडा लेकर घूमते थे और कहते थे कि सरकार यह करेगी वह करेगी लेकिन आज हम नहीं घूम सकते क्योंकि वह सहयोग और संगठन नहीं है दोनों में। जन प्रतिनिधि भी जाते हैं और सरकार प्रतिनिधि भी जाते हैं। कांग्रेसमैन जाकर कहें कि फलां को गिरफ्तार करो उसने अमुक अपराध किया है। हम सोचते हैं कि उसका वही नतीजा आवेगा चन्दा चाहिये। मदद चाहिये। ईमानदारी की बात है कि प्रगतिशील ताकतें हमारे साथ है इसलिये हमारी हैसियत नजर आती है। सी.पी.आई. के साथी जेल में गये। उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। वे आपकी नीतियों को क्रियान्वित कर रहे हैं। इन्दिरा गांधी ने जो कार्यक्रम देश को दिया उसको पूरा करने के लिए सी.पी.आई. साथ है। हमारा दिल साफ नहीं है तो राजस्थान का क्या भला होने वाला है ? राजस्थान का व्यक्ति वहीं बैठा है। जिस किसी व्यक्ति की चली उसने अपने जिले में जो पैसा आया उससे खर्च करवा लिया। राजस्थान का हित सोचकर, बेलेन्स को सोचकर, उसको ध्यान में रख कर योजना बनी है तो उस योजना को सदन के पटल पर रखने की कृपा करें वित्त मंत्री जी।

भारत सरकार ने नागौर जिले को पिछड़ा हुआ घोषित किया था उद्योगों की दृष्टि से। मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन की योजना नहीं बनी। न तो फर्टीलाइजर की बनी न और कुछ। हमारे यहां का जिप्सम बाहर जा सकता है लेकिन हमारे यहां पर खाद का कारखाना नहीं बन सकता। सवाई माधोपुर में जिप्सम जा सकता है लेकिन सीमेन्ट फैक्ट्री नहीं बन सकती। सोडियम मिनरल है लेकिन फैक्ट्री नहीं बन सकती। जो भेड़ पालक हैं, ऊन निकाल कर, उसमें से कांटा निकाल कर कात कर काम करेंगे उनको काम देंगे, वह सपना सपना रह गया और लाडनूं से मिल जोधपुर पहुंच गया। कार्डिंग मशीन थी उसको दूसरी जगह लगा दिया और लाडनूं धचका खा रहा है। यह तो आपके पब्लिक सेक्टर की बात है। लाडनूं एक मण्डी है और बम्बई के सेठों के एजेन्ट वहां होते हैं और वहां के सामान पर यू.एस.ए. की छाप लगाते हैं और ईराक और ईरान भेजते हैं और बीच में मिडिल क्लास के लोगों का शोषण करते हैं और सरकार उनके लिए कोई योजना नहीं बना सकती। इसलिये बजट के अन्दर पिछड़े जिलों के लिए योजनायें नहीं हैं। प्यासे आदमियों को पीने का पानी मिले, उसकी कोई योजना नहीं है। बेकार आदमियों को काम पर लगाने की कोई योजना नहीं है। जिनको हमने भू-खण्ड

(श्री दीपंकर)

दिये उनके मकान कैसे बनें उनके लिए पैसा नहीं है और उनके साथ ही साथ जो आदमी बेकार हैं, जिनको हमने ऋण मुक्त किया है, उनको गांव के अन्दर साहूकार ऋण देते डरते हैं और देते ही नहीं हैं उनके लिए कोई योजना नहीं है। ग्रामीण औद्योगीकरण बैंक दो तीन जगह खोले हैं उससे वहां की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि हम कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये पैसा देंगे लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है। इसमें शक नहीं कि आपके नेक इरादे हैं और उन सोसाइटीज के अन्दर हरिजनों के प्रतिनिधि बैठते हैं और लोन का कुछ भाग उनको भी मिलेगा और आपने वचन दिया है लेकिन आपको पता होगा कि राजस्थान का कोआपरेटिव मूवमेन्ट कुछ सलेक्टेड लोगों के कब्जे में चला गया है और एक आदमी पर आज भी एक लाख रुपया, एक आदमी पर पांच लाख रुपया बकाया है और उसकी वसूली नहीं हो सकती और जो धन पैसे वाले हैं जिन्होंने हवेलियां बनाई हैं वह अपने मनमाने ढंग से हरिजनों को उनमें बैठायेंगे और अपना काम निकालेंगे। तो क्या आप ऐसे ही आदमियों के जरिये हरिजन समाज का कल्याण करवा सकेंगे? यह क्या नाटक है? आपका कोआपरेशन बेकार गया, इस तरह से वह नहीं चल सकता इसलिए यह लाजमी बात है कि कोआपरेटिव मूवमेन्ट को शुद्ध रूप देना है तो उसको आपको इलेक्शन डिपार्टमेन्ट को दे देना चाहिए।

जहां तक पीने के पानी की समस्या का सवाल है मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। वित्त मंत्री महोदय ने बहुत कुछ ऐसे इलाकों को जहां बहुत आवश्यकता थी वहां यह समस्या हल की है और वहां लोग उनको भागीरथ के रूप में याद करेंगे। किन्तु राजस्थान में बहुत बड़ी समस्या आज भी पीने के पानी की है और आज भी राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा मंत्री महोदय की तरफ दृष्टि लगाये आशा रखता है कि वह अपने कार्यकाल में कम से कम यह तो कर ही जायें। इन्डस्ट्रीज कहीं पर लगे या नहीं और कुछ हो या नहीं लेकिन मीठा पीने का पानी मिल जाये ऐसी व्यवस्था तो कर ही दें। अगर आप नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि एक तरह से राजस्थान के लोगों के लिए बहुत विचारणीय है कि बाहर से आने वाले डेलीगेट्स पूछते हैं कि यहां पर पीने का पानी कैसे मिलता है। आप ऐसा लोगों को पानी पिलाते हैं जिससे मनुष्यों के शरीर में नारवे की तांत पड़ जाती है, आदमी बेकार हो जाता है और परिवार के काम का नहीं रहता।

(व्यवस्था-सूचक-घंटी)

यह पानी की विकट समस्या है जिसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल बुधवार दिनांक 10 मार्च, 1976 के प्रातः बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5–15 बजे बुधवार दिनांक 10 मार्च, 1976 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट—1

(तारांकित प्रश्न संख्या 5 की सूची)

जयपुर जिले की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं का ब्योरा

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत धन राशि (लाख रुपये)	कार्यकाल	स्वीकृत ग्राम	अब तक विद्युतीकृत हुये ग्रामों की संख्या	अब तक प्राप्त की गई धन राशि (लाख रुपये)	अब तक खर्च की गई धनराशि (लाख रुपये)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1)	11 तहसीलों की संयुक्त योजना	1970—71	76.530	3	117	117	76.530	74.034
(2)	पंचायत समिति गोविन्दगढ़ शाहपुरा	1970—71	37.445	3	53	58	34.631	59.893
(8)	बसवा सिकराय दौसा तहसील संयुक्त योजना	1973—74	42.525	3	60	17	17.911	15.079
(4)	तहसील जमवारामगढ़	1973—74	53.587	4	60	28	12.405	17.074
(5)	तहसील बैराठ (पी.पी.ए.)	1974-75	19.109	2	27 (20 पहले से विद्युतीकृत)	7	10.104	7.103

Page No 106

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(6)	तहसील बस्ती (गै.पी.ए.)	1974–75	15.558	2	35 (28 पहले से विद्युतीकृत)	4	7.779	0.302 (पूरा बुकिंग नहीं हुआ है।)
(7)	तहसील लालसोट	1974–75	53.121	3	62	5 (2 और होने वाले हैं)	18.177	2.905 (पूरा बुकिंग नहीं हुआ है)
(8)	तहसील दौसा	1975–76	50.776	3	68	–		ऋण की प्रथम किश्त आनी बाकी
(9)	तहसील झोटवाड़ा (एम.एफ.)	1975–76	13.500	2	15	–		
(10)	132 के.वी. लाइन दौसा	1975–76	116.000	3	–	–		
	योग		478.151	–	497	231	177.537	177.490
(11)	रूरल इले. कापरेटिव योजना तहसील कोटपूतली	1975–76	120.435	5	123	–	ऋण की प्रथम किश्त आना बाकी है	
	योग		598.586		620	231	177.537	176.490

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या 8 की सूची)

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में पेन्डिंग चल रही जांच की वर्षवार तालिका:—

सन्	1969	2
सन्	1970	4
सन्	1971	10
सन्	1972	13
सन्	1973	26
सन्	1974	21
सन्	1975	63
सन्	1976	20
योग :—		159

परिशिष्ट–3

(ता. प्र. सं. 10 की सूची)

जयपुर जिले के प्रस्तावित सिंचाई कार्य

क्र. सं.	योजना का नाम	तहसील	अनुमानित सिंचाई एकड़ में
1.	कानोता सिंचाई योजना	बस्सी	3600
2.	बिचून सिंचाई योजना	दूदू	130
3.	बनाड़ी सिंचाई योजना	कोटपूतली	1952
4.	दांलति का नाका	कोटपूतली	350
5.	भागरू योजना	बैराठ	370
6.	छतरपुरा (राजपुरा)	बैराठ	200
7.	सुकलावास योजना	बैराठ	100
8.	ब्रांची सिंचाई योजना	बैराठ	680
9.	लुहाकना सिंचाई योजना	बैराठ	116
10.	बडी जोड़ी सिंचाई योजना	बैराठ	116
11.	राजपुरा भांतेला योजना	बैराठ	80
12.	रघुनाथपुरा योजना	बैराठ	304
13.	छापर सिंचाई योजना	बैराठ	168
14.	खारयाती सिंचाई योजना	कोटपूतली	360
15.	बड़गांव सिंचाई योजना	कोटपूतली	92
16.	भाई खडी सिंचाई योजना	बैराठ	120
17.	खोईबार सिंचाई योजना	बैराठ	356
18.	त्रिवेणी सिंचाई योजना	बैराठ	72
19.	अजमेरी सिंचाई योजना		200